लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४२, १९६०/१८८२ (शक)

[४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४२ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीयमाला, खण्ड ४२–अंक ४१ से ५०–४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)

अंक ४१—सोमवार, ४ अप्रैल, १९६०/१५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७१, १२७४, १२७६ से १२७८, १२८१ से १२८५ और १२८९ से १२९१ ४४०७–३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . ४४३४–३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७२, १२७३, १२७५, १२७९, १२८०, १२८६, १२८७, १२८८ और १२९२ से १२९६ ४४३७–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१७ से १७५९ ४४४३–६१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

वायुक्षेत्र के उल्लंघन के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्यों में कथित विरोधाभास . ४४६२–६३

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४४६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नौसेना के प्रशिक्षण विमान की दुर्घटना . . . ४४६३–६४

अनुपस्थिति की अनुमति . ४४६४

समवाय (संशोधन) विधेयक . ४४६५

लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति ४४६५

अनुदानों की मांगें ४४६६–४५१३

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ४४६६–४५११

स्वास्थ्य मंत्रालय . ४५११–१३

दैनिक संक्षेपिका . . . ४५१४–१७

अंक ४२— बुधवार, ६ अप्रैल, १९६०/१७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८, १२९९, १३०१ से १३०६, १३०८ से १३११, १३१५ और १३१७ से १३२१ ४५१९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १२९७, १३००, १३०७, १३१२ से १३१४, १३१६, १३२२ और १३२३ . . .	४५४८–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७६० से १८३१ .	४५५२–८७
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . .	४५८७
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	४५८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४५८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बासठवां प्रतिवेदन .	४५८९
प्राक्कलन समिति	
अस्सीवां प्रतिवेदन . . .	४५९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पाकिस्तान को पानी का दिया जाना . . .	४५९०–९१
अमृत बाजार पत्रिका में लेख के बारे में . . .	४५९१
सदस्य को सजा	४५९१
अनुदानों की मांगें	
स्वास्थ्य मंत्रालय	४५९२–४६५८
कल्याण विस्तार परियोजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४६५९–६२
दैनिक संक्षेपिका	४६६३–६८
अंक ४३—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९६०/१८ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२४ से १३३४ और १०९१ . .	४६६९–९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ से १३४५	४६९१–९६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८३२ से १८६४ . . .	४६९६–४७०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०८
प्राक्कलन समिति	
तिरासीवां प्रतिवेदन	४७०९
अनुदानों की मांगें	
खान, इस्पात और ईंधन मंत्रालय	४७०९–५६
चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४७५६–६१
दैनिक संक्षेपिका . . .	४७६२–६५

अंक ४४—शुक्रवार, ८ अप्रैल, १९६०/१९ चैत्र, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४६, १३४७, १३५०, १३५२, १३५६ से १३५८, १३६३ से १३६५, १३६७, १३६९ से १३७५, १३५३, १३६२ और १३६६ . . . . . ४७६७—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ४७९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४८, १३४९, १३५१, १३५४, १३५५, १३५९ से १३६१ और १३६६ . . . . . ४७९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६५ से १९१२ . . . . ४७९८—४८२३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४८२३—२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४८२५—२६

राज्य सभा से सन्देश . . ४८२६—२७

अनुदानों की मांगें . . . ४८२७—६४

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . . ४८२७—४९

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४८४९—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी—

बासठवां प्रतिवेदन ४८६५

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प . ४८६५—८६

विभिन्न प्रतिरक्षा परिषदों की स्थापना के बारे में संकल्प . . ४८८६—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . ४८८९—९३

अंक ४५—शनिवार, ९ अप्रैल, १९६०/२० चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८० से १३८८, १३९१ और १३९४ से १३९८ . . . . . ४८९५–४९२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७८, १३७९, १३८९, १३९०, १३९२, १३९३ और १२३० . . . . ४९२२—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९१३ से १९५३ . . ४९२४—४२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४९८२
प्राक्कलन समिति—	
बयासीवां प्रतिवेदन	४९८२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
जबलपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली . . .	४९४३–४४
सभा का कार्य	४९४४–४५
कांडला पत्तन के बारे में वक्तव्य	४९४५–४६
अनुदानों की मांगें—	
प्रतिरक्षा मंत्रालय	४९४६—९४
दैनिक संक्षेपिका	४९८२—९४
अंक ४६—सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०।२२ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०१ से १४०४, १४०६, १४०८, १४१०, १४११ और १४१४ से १४१८	४९९९—५०२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४००, १४०५, १४०७, १४०९, १४१२, १४१३, और १४१९ से १४२२ . . .	५०२२—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९५४ से १९८९ और १९९१ से १९९३	५०२६—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०४२–४३
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही—सारांश	५०४३
याचिकाओं का उपस्थापन	५०४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की पूर्व सूचना के बारे में . .	५०४३
अनुदानों की मांगें . .	५०४४—५११४
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय .	५०४४—९७
पुनर्वास मंत्रालय . . .	५०९७—५११४
दैनिक संक्षेपिका	५११५—१८

विषय	पृष्ठ
अंक ४७—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०।२३ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ से १४३६ .	५११९—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ से १४५४ .	५१४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९४ से २०३३ और २०३५ से २०४१	५१५४—७६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	५१७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	५१७७
सदस्य द्वारा पद त्याग . .	५१७८
समिति के लिये निर्वाचन	५१७८
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	५१७८
अनुदानों की मांगें .	५१७८—५२३६
पुनर्वास मंत्रालय . .	५१७८—५२१२
सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . .	५२१२—३६
दैनिक संक्षेपिका .	५२३७—४१
अंक ४८—बुधवार, १३ अप्रैल, १९६०।२४ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५५–१४५८, १४६०, १४६१, १४६३–६६, १४६८, १४७० और १४७१ . .	५२४३—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५९, १४६२, १४६७, १४६९ और १४७२ से १४८०	५२६६—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या २०४२ से २०८०	५२७२—९१
प्रश्न की शुद्धि	५२९१
राज्य-सभा से सन्देश	५२९१
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक—सभा पटल पर रखा गया	५२९१
अनुदानों की मांगें	५२९१—५३५२
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	५२९१—५३३६

पृष्ठ

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय : . . . ५३३६—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३५३—५६

अंक ४६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६०।२५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८१ से १४८४, १४८६, १४८७, १४९० से १४९४, १४९६, १४९७, १५००, १५०१ और १५०५ . . . ५३५७—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५, १४८८, १४८९, १४९५, १४९८, १४९९, १५०२ से १५०४ और १५०६ से १५१४ . . . ५३८२—९२

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८१ से २१४७ . ५३९२—५४२०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . ५४२०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ५४२०

प्राक्कलन समिति—

नवासीवां प्रतिवेदन ५४२०

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ५४२१

अनुदानों की मांगें . . . . . ५४२१—७६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ५४२१—६४

वित्त मंत्रालय . . . . . ५४६४—७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५४७७—८१

अंक ५०—शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०।२७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१५ से १५१८, १५२१, १५२२, १५२६, १५२९, १५३०, १५३३ से १५३६, १५४० और १५४१ . . ५४८३—५५०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२०, १५२३ से १५२५, १५२७, १५२८, १५३१, १५३२, १५३७, १५३८ और १५३९ . . . ५५०६—११

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४८ से २१९८ . . . . ५५११—३२

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

आसाम के मिज़ो हिल्स ज़िलों में अकाल की स्थिति ५५३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५३४

राज्य-सभा से सन्देश ५५३५

प्राक्कलन समिति--

चौरासीवां प्रतिवेदन ५५३६

तारांकित प्रश्न संख्या १४३० और ९१९ के उत्तरों की शुद्धि ५५३६-३७

सभा का कार्य ५५३७

अनुदानों की मांगें--

वित्त मंत्रालय ५५३७--५४

वेतन की अधिकतम सीमा (ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में) विधेयक--श्री अ० मु० तारिक द्वारा पुरस्थापित ५५५४-५५

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध) विधेयक--श्री नागी रेड्डी का विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ५५५५--७२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नये खंड ७क का रखा जाना)--श्री त० ब० विट्ठल राव का विचार करने के लिये प्रस्ताव ५५७२--७४

संविधान (संशोधन) विधेयक--(अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) श्री च० का० भट्टाचार्य का--पुरस्थापित ५५७४-७५

कार्य मंत्रणा समिति--

पचासवां प्रतिवेदन ५५७५

दैनिक संक्षेपिका ५५७६--८१

नोट :--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND--LS III--329 (Ai) LSD--4-6-60--135.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६०
२५ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन

+
*१४८१. { श्री ब्रि० दास गुप्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आयुध कारखानों की इस्पात उत्पादन क्षमता के सन्तुलन और आधुनिकीकरण के प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : आयुध कारखानों की इस्पात उत्पादन क्षमता के सन्तुलन और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†श्री ब्रि० दास गुप्त : सब बातों पर विचार करने में कितना समय लगेगा तथा निर्णय कब तक किया जायेगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह निरन्तर चलने वाला कार्य है । कलकत्ता में उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है और आगे और क्षमता बढ़ाई जा रही है । इस संबंध में आंकड़े देना ठीक नहीं होगा । कानपुर का कारखाना भी १९ वर्ष पुराना है । उस कारखाने का आधुनिकीकरण भी विचाराधीन है । मैं ठीक-ठीक समय नहीं बता सकता । यह प्राथमिकता देने की बात है क्योंकि हमारे पास सामान की कमी है ।

†मूल अंग्रजी में

303 (AI)LSD—1

†श्री स० मो० बनर्जी : पहले पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया कि वर्ष १९५९ के प्रथम महीने में ईशापुर में इस्पात की इंटों का कुल उत्पादन २३,००० टन हुआ जो लक्ष्य का १० प्रतिशत था। लक्ष्य क्या है और १९६० में कितना उत्पादन होगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : गत वर्ष ईशापुर में उत्पादन में ९,००० टन की वृद्धि हुई और अभी १५,००० टन की और हुई है। लक्ष्य इस बात पर निर्भर रहेगा कि कानपुर के कारखाने में कितना उत्पादन हो सकता है तथा क्या संबंधित प्रयोक्ता आकड़ें बताना ठीक समझेंगे ।

†श्री बि० दास गुप्त : आयुध कारखानों में इस इस्पात की कितनी वार्षिक मांग है और कितना बाहर से मगांया जाता है और उसका प्रतिशत क्या है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मुझे खेद है कि मैं आकड़े नहीं बता सकता । इसे बताना ठीक नहीं होगा ।

†श्री बि० दास गुप्त : आयुध कारखानों में इस्पात बनाने की स्थापित क्षमता कितनी है तथा आयुध कारखानों में लगी मशीनों से किस-किस प्रकार का इस्पात तैयार होता है ?

†श्री कृष्ण मेनन : आयुध कारखानों में साधारण इस्पात नहीं बनाया जाता । वहां ऐसा इस्पात बनाया जाता है जो सामान्य अन्य साधनों तथा व्यापार से नहीं प्राप्त हो सकता । यह मिश्रित धातुयें तथा विशेष प्रकार का इस्पात होता है जिनके आंकड़े मैं नहीं बता सकता । कुल मांग बताने का अर्थ हमारी आवश्यकताओं को खोलना होगा ।

†श्री तंगमणि : ईशापुर की वर्तमान उत्पादन क्षमता ६० टन प्रति दिन है । क्या उसमें अब पूर्ण क्षमता से काम हो रहा है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं इन आंकड़ों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : आयुध कारखानों में जो विशेष प्रकार के इस्पात बनाये जाते हैं, क्या उनमें से कुछ इस समय बाहर से भी मगांये जाते हैं और यदि हां, तो इन कारखानों के लिये कितने मूल्य का इस्पात मंगांया जाता है ?

†श्री कृष्ण मेनन : हां, श्रीमान् । कुछ मंगाये जाते हैं । प्रत्येक के अलग-अलग मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । इसके अतिरिक्त यदि मैं आंकड़े बताऊंगा तो आप यह जान जायेंगे कि कितनी मांग है ।

†श्री स० नो० बनर्जी : कानपुर में ३० टन की जो ओपन हर्थ भट्टी स्थापित की जाने वाली है, उसके संबंध में क्या स्थिति है और क्या उसके अगले वर्ष स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†श्री कृष्ण मेनन : ३० टन की हर्थ भट्टी कानपुर में नहीं है । यह ईशापुर में है । यह आशा की जाती है कि इसमें अगले वर्ष उत्पादन कार्य आरम्भ हो जायगा ।

†श्री बि० दास गुप्त : इस्पात की मांग के संबंध में हमारे आयुध कितने वर्षों में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

†श्री कृष्ण मेनन : जिस गति से आधुनिकीकरण का कार्य होता है उसके आधार में अगले दो या तीन वर्षों में आत्म-निर्भर हो जायेंगे यदि इस बीच हमारी मांग न बढ़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों का मिलाया जाना

+

†*१४८२. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाभप्रद कोयले की खानों के मिलाये जाने के बारे में कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रगति बड़ी धीमी है ; और

(ग) यदि हां, तो मिलाने के काम में शीघ्रता करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): : (क) कोयला खानों के मिलाये जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये स्थापित की गई समिति ने ४८ कोयला खानों के स्वेच्छा से मिलाये जाने के पच्चीस प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है। अनिवार्य एकीकरण के लिये विधान बनाने के बारे में विचार करने के संबंध में भी सरकार काफी आगे पहुंच चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री रा० च० माझी : अभी तक स्वच्छा से कितनी कोयला खाने मिलाई जा चुकी हैं ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : कोयला खानों के मालिकों के पास से हमें ७४ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और हमें ७० सुझाव भी प्राप्त हुये हैं। इनमें से १९ कोयला खानों को स्वच्छा से मिलाने के ११ प्रस्ताव कार्यान्वित किये जा चुके हैं।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या ऐसा पूर्णतः स्वेच्छा के आधार पर किया जाता है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : अभी यह पूर्णतः स्वेच्छा के आधार पर ही किया जाता है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : प्रत्येक बार जब हम विधान के बारे में यह प्रश्न उठाते हैं तो कहा जाता है कि यह काफी आगे पहुंच चुका है और ऐसा गत दो या तीन वर्षों से हो रहा है। सभा में विधेयक प्रस्तुत करने के संबंध में वस्तुतः दृढ़ निश्चय कब किया जायगा ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मुझे खेद है कि मैं ठीक तारीख नहीं बता सकता क्योंकि मामला ऐसा है कि कई छोटी-छोटी कोयला खानों को मिलाने की इस आदर्श स्थिति के मुकाबले में हमें देखना यह है कि उत्पादन कितना होता है और इस समय हम उत्पादन पर अधिक जोर दे रहे हैं और हमें बताया गया है कि शीघ्रता में विधान बनाने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : समिति ने सिफारिश की कि विधान बनाया जाये। जब हम कुछ भी आगे प्रगति नहीं कर सकते तो फिर इसकी पुनः परीक्षा करने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि विधान होना चाहिए। किन्तु इस समय जब कि कोयला का उत्पादन अधिक करना है तो ऐसी स्थिति में विधान प्रस्तुत करने से थोड़े समय के लिये उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और इस अवस्था में हम उत्पादन को विशेष महत्व दे रहे हैं।

†श्री कासलीवाल : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री के सभा-सचिव ने बताया कि बिना लाभ पर काम करने वाले यह सभी कोयला खानें गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने इन सब कोयला खानों को अपने अधिकार में लेने तथा उन्हें सरकारी क्षेत्र में चलाने के बारे में क्यों नहीं विचार किया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह सामान्यतः बहुत [illegible] है मैं नहीं समझता कि सरकार ने सिद्धान्तस्वरूप यह मान लिया है कि जो कोई भी [illegible] ले, उसे सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

सेठ गोविन्द दास : ये जो दरख्वास्तें इस सम्बन्ध में आई हैं, वे किन किन राज्यों से आई हैं और अब तक जो काम हुआ है, वह कहां कहां हुआ है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : यह बिहार और बंगाल की कालियरीज की एमलगमेशन का सवाल है। वहां काम हो रहा है और वहां से ही दरख्वास्तें आई हैं।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि विलीनीकरण की योजना के अन्तर्गत आने वाली कोयला कानों में कोयले के कुल उत्पादन का २० प्रतिशत उत्पादन होता है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : ७० से ८० लाख टन के बीच में उत्पादन होता है। यही कुल उत्पादन क्षमता है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या उत्पादन अधिक होने के कारण विधान स्थगित किया जा रहा है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : लगभग ४७० लाख टन के कुल वार्षिक उत्पादन में से ७० लाख टन काफी होता है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह सच नहीं है :....

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बराबर एक के बाद दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। यदि वे चाहते हैं कि सरकार को एक विशिष्ट विधान स्वीकार करना चाहिये तो उन्हें संकल्प प्रस्तुत करना चाहिये। जब सभा उसे स्वीकार कर लेगी, तभी ऐसा हो सकता है।

†श्री कासलीवाल : क्या यह सच नहीं है कि सरकार की यह निश्चित नीति है कि इस समय जितनी कोयला खानें गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, उनके अतिरिक्त अन्य खानों में गैर-सरकारी क्षेत्र को काम करने की अनुमति न दी जाये ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : समय-समय पर नीति सम्बन्धी जो निणय होते हैं, उनमें यही तो बताया गया है गैर-सरकारी क्षेत्र केवल आसपास के क्षेत्र में काम कर सकता है। पूर्णतः नये क्षेत्रों में तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक वे बहुत दूर नहीं होते और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये जब तक एक गैर-सरकारी पार्टी को स्वीकृति देना आवश्यक नहीं हो जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैगोर शताब्दी

+

†*१४८३. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पांगरकर :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री प्रभात कार :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष भारत और विदेशों में टैगोर शताब्दी मनाने की योजना को अन्तिम रूप देने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यदि कोई प्रगति हुई है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने हाल के महीनों में इस सम्बन्ध में दिल्ली और कलकत्ता में कोई बैठकें बुलाई थीं; और

(घ) यदि हां, तो उनसे क्या परिणाम निकला ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). विभिन्न संगठनों तथा मन्त्रालयों के कार्यों में तालमेल लाने तथा शताब्दी समारोह के कार्यक्रम के लिये आगे कार्यवाही पर विचार करने के लिये सभायें की गई हैं। राज्य सरकारों को केवल अपने कार्यक्रमों की प्रगति देखना है।

(ख) और (ग). हां, श्रीमान्। वर्तमान योजनाओं पर पुनः विचार किया गया था तथा भावी योजनायें बनाई गई थीं।

†श्री दी० चं० शर्मा : विवरण के अनुसार कलकत्ता में शताब्दी के लिये केवल लगभग १००० रुपये एकत्र हुये थे और इसमें १००० रुपये तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ही दान में दिये थे। टैगोर की शताब्दी के लिये जनता से चन्दा इकट्ठा करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं अथवा सरकार ही सारा खर्च करेगी ?

†श्री हुमायूं कबिर : नहीं, श्रीमान्। सभी साधनों से धन एकत्र करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि हमारे प्रयत्न काफी सफल हुये हैं। इस समय यह अनुमान है कि हम लगभग ५० लाख रुपये एकत्र कर लेंगें। हमारा लक्ष्य १ करोड़ रुपया जमा करने का है और ७ से ८ लाख रुपये के लिये पूरा आश्वासन मिल चुका है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है मुझे प्रत्येक राज्य में इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी नहीं है किन्तु इस महीने के आखिरी सप्ताह में जब शताब्दी समिति की अगली बैठक होगी तब उसमें हमें रिपोर्ट मिल जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री डी० चं० शर्मा : शताब्दी समिति उपसमितियों के जरिये काम कर रही है और मुझे बताया गया है कि कई उपसमितियां हैं। व उपसमितियां कौन कौन सी हैं तथा उनके कार्यों में तालमेल उपस्थित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†श्री हुमायन् कबिर : मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया कि एक केन्द्रीय शताब्दी समिति है जिसके सभापति श्री जवाहरलाल नेहरू हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, वह समिति कार्यों में तालमेल उपस्थित करती है। प्रत्येक राज्य की अपनी समिति है। जहां तक केन्द्रीय समिति का सम्बन्ध है, बहुत सी उपसमितियां नहीं हैं और हमने यहां केन्द्र में तीनों अकादमियों के सचिवों, भारतीय सांस्कृति सम्बन्ध समिति के सचिव तथा एक या दो मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों सहित एक छोटी समन्वयकारी समिति स्थापित की है। सारा काम किया जा रहा है।

†डा० सामन्त सिंहार : स्वर्गीय क्रान्तिकारी नेता श्री राश बिहारी बोस ने जापानी भाषा में स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा। क्या सरकार जापान में उस भाषा में इसके सम्बन्ध में कुछ करना चाहती है ?

†श्री हुमायून् कबिर : स्पष्टतः हम जापान में कुछ नहीं कर सकते किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जापान में ही एक समिति गठित की गई है और वह शताब्दी के मामले में कार्यवाही कर रही है।

†श्री स० मो० बनर्जी : एक पूर्वप्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि शताब्दी समारोह के काम विभिन्न अवस्थाओं में हैं और उनमें से मुख्य काम हैं, टैगोर के ग्रन्थों को प्रकाशित कराना, राज्य की राजधानियों में नाट्यशालायें बनाना तथा प्रदर्शनी आदि संगठित कराना। ग्रन्थों के प्रकाशन तथा विभिन्न राज्यों को राजधानियों में नाट्यशालाओं की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†श्री हुमायून् कबिर : जहां तक प्रकाशन के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण काम है और इसमें प्रगति की जा रही है। कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरे ग्रन्थ भी तैयार हैं तथा प्रेस भेजे जाने वाले हैं। मई, १९६१ तक प्रकाशन के कार्यक्रम के अधिकांश भाग के पूरे हो जाने की आशा है। किन्तु स्पष्टतः यह लगातार हो ने वाला काम है। ७ मई, १९६१ तक तो यह काम निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगा। जहां तक नाट्य शालाओं का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य ने सिद्धान्तरूप में इस स्वीकार कर लिया है। नौराज्य सरकारों ने भी अपने प्रस्ताव भेजे हैं। हम उन्हें नियमित रूप से सहायता दे रहे हैं। हम टैगोर द्वारा बनाये गये चित्रों का एक एलबम तथा उनकी एक फाइल भी तैयार करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायी तथा अव्यावसायिक दोनों तरह के लोगों द्वारा टैगोर के नाटक भी दिखाये जायेंगे इसके लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

†श्री साधन गुप्त : क्या टैगोर के ग्रन्थों को अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं में प्रकाशित करके इस शताब्दी को मनाने के लिये भी कोई कार्यवाही की जा रही है और क्या किन्हीं विदेशी सांस्कृतिक संथाओं ने इन प्रकाशनों में रुचि दिखाई है ?

†श्री हुमायून् कबिर : जहां तक हमारे अपने प्रकाशन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वह मुख्यतः भारतीय भाषाओं में है। हम एक या दो ग्रन्थ अंग्रेजी में निकाल रहे हैं। अन्य देशों की कई संस्थाओं ने रुचि दिखाई है। वे उनके अनुवाद निकाल रहे हैं और हम उनकी यथा सम्भव सहायता कर रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक विदेशों का सम्बन्ध है अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जापान में एक समिति बनी है। मैं जानना चाहता हूं कि और किन किन देशों में बनी हैं ? और जहां तक

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रकाशन का सम्बन्ध है मैं जानना चाहता हूं कि किन किन भारतीय भाषाओं में इस साहित्य का प्रकाशन हो रहा है ?

श्री हुमायून कबिर : समिति के बारे में दो मुल्कों से खबर मिली है, एक जापान से और दूसरे अमरीका से। लेकिन समिति के अलावा भी यू० एस० एस० आर० में काफी इन्तिजाम हो रहा है, इटली में बहुत भारी इन्तिजाम हो रहा है, जर्मनी में इन्तिजाम हो रहा है। मुझे यह खबर भी मिली है कि फ्रांस और इंलैण्ड में भी कुछ उनका करने का इरादा है ।

जहां तक दूसरे सवाल का सम्बन्ध है, भारतीय भाषाओं का, मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भारतीय भाषायें हैं, उनमें से हर एक में इसके अनवाद का इन्तिजाम हो रहा है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सारे प्रयत्न नृत्य, नाटक तथा थियेटर तक ही सीमित रहेंगे अथवा टैगोर ने जिस जीवन दर्शन का और मानवता के आदर्शों का उपदेश दिया था और स्वयं अपने जीवन में जिन का पालन किया था, क्या लोगों को उन की शिक्षा देने की भी कुछ कोशिश की जायेगी ?

†**श्री हुमायन् कबिर** : मैं आदरपूर्वक यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि कुछ मिनट पूर्व ही मैंने कहा था कि कार्यक्रम का मुख्य काम उन के ग्रंथों को प्रकाशित कराना है। टैगोर ने अपने लेखों द्वारा संसार को अपना सन्देश दिया। हम सभी भारतीय भाषाओं तथा कई अन्य भाषाओं में उन की मुख्य कृतियों को प्रकाशित कराने का प्रबन्ध कर रहे हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री मेरी बात नहीं समझ पाये हैं। म यह जानना चाहता हूं कि टैगोर ने जिन आदर्शों को अपने जीवन में माना तथा जिन का उन्होंने स्वयं उपदेश दिया, उन आदर्शों को लोगों को सिखाने के लिये क्या कोई प्रयत्न किया जायेगा।

†**श्री हुमायून् कबिर** : उन का जीवन ही सन्देश था और वह सन्देश उन के लेखों में निहित है।

संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन

\+

†*१४८४. **श्री रा० च० माझी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विभूति मिश्र :
श्री झूलन सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नहीं, श्रीमान् । कुछ राज्य सरकारों से अभी विचार मिलने वाले हैं और उन की प्रतीक्षा है ।

(ख) जो विचार प्राप्त हो गये हैं, उन की परीक्षा की जा रही है ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

यह देखते हुए कि संस्कृत के विकास तथा प्रगति के लिये संस्कृत आयोग द्वारा की गई कई प्रस्थापनाओं में यह बात पहले से ही मान ली गई है कि केन्द्र द्वारा निरन्तर ध्यान देने, समन्वय तथा निर्देशन की आवश्यकता है, केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड संस्कृत के प्रचार तथा विकास से सम्बन्धित विषयों पर भारत सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ।

२. केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सलाह पर एक केन्द्रीय संस्कृत संस्था की स्थापना के लिये एक योजना बनाई जा रही है ।

३. केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं से निकले विद्यार्थियों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां देने की योजना स्वीकार की है ।

४. लोकप्रिय संस्कृत ग्रन्थों तथा अप्राप्य ग्रन्थों को छापने की योजना की सारी बातों पर विचार किया जा रहा है ।

५. संस्कृत के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना बना ली गई है ।

६. केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सलाह पर उपयुक्त संस्कृत पत्रिकाओं को पर्याप्त अनुदान देने का विचार है ।

७. संस्कृत की शिक्षा सरल बनाने के लिये अच्छे स्तर की आधुनिक प्राइमरों और अन्य पाठ्य-पुस्तकों को प्रकाशित करने की योजना आरम्भ की जा रही है ।

८. गुरुकुलों के विकास तथा सुधार के लिये पर्याप्त सहायता देने के लिये एक योजना बनाई जा रही है ।

९. संस्कृत के विकास तथा प्रचार सम्बन्धी कार्य की देखभाल करने के लिये शिक्षा मंत्रालय में संस्कृत का एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ।

१०. राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि "त्रिभाषा सूत्र" के अन्तर्गत (एक प्राचीन भाषा सहित) मिले जुले पाठ्यक्रम की कार्यान्विति में योग दे कर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाये ।

†श्री रा० च० माझी : क्या किसी स्वयंसेवी संगठन को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० केसकर : अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है । जैसा मैंने कहा, राज्य सरकारों के विचारों का अध्ययन करने के बाद नीति तय की जायेगी ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन प्रान्तों अथवा क्षेत्रों की मातृभाषा हिन्दी है, वहां पर संस्कृत को अनिवार्य विषय बना देने के सम्बन्ध में सरकार के मार्ग में क्या कठिनाई है ?

डा० केसकर : इस सम्बन्ध में आगे कोई कदम उसी समय उठाया जायेगा जब सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के विचार हमारे पास आ जायेंगे और उन सब को हम विचारपूर्वक देख चुकेंगे । तभी इस के बारे में कोई निश्चय लेंगे । यह जो सुझाव आप ने किया है, इस पर भी उस समय विचार किया जायेगा ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भारत सरकार को जो त्रिभाषा-सूत्र भेजा है क्या उस में उन्हों ने संस्कृत को प्रथम स्थान पर रखा है और क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय ने यह भी सिफारिश की है कि संस्कृत एक अतिरिक्त राजभाषा के रूप में स्वीकार की जाये ?

†**डा० केसकर** : ऐसा हो सकता है । मुझे इस के बारे में मालूम नहीं है किन्तु यह संभव है कि वैसा किया गया हो ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण के पैराग्राफ ७ में यह बताया गया है :

> "संस्कृत की शिक्षा सरल बनाने के लिये अच्छे स्तर की आधुनिक प्राइमरों और अन्य पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करने की योजना प्रारम्भ की जा रही है ।"

इन पुस्तकों के प्रकाशन में कितना समय लगेगा तथा क्या वे सभी राज्यों में अनिवार्य कर दी जायेंगी ?

†**डा० केसकर** : यहां पर उल्लिखित इन पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित कराने की योजना पूरी योजना के तय हो जाने के बाद ही अन्तिम रूप से प्रारम्भ की जायेगी । इस समय केवल एक व्यापक योजना बनाई जा रही है । राज्य सरकारों से विचार प्राप्त होने के बाद ही इस प्रश्न पर और अधिक निश्चित रूप से विचार किया जायेगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में सिफारिश के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है । क्या सरकार ने इस विश्व-विद्यालय की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो क्या शंकराचार्य के जन्मस्थान कलाडी में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†**डा० केसकर** : संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रश्न के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपने आप में एक पूर्ण शिक्षा प्रणाली है । उस को प्रोत्साहन और सहयोग देने के सम्बन्ध में आप ने अपने वक्तव्य में निर्देश दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : माननीय सदस्य इस बात को समझ लेंगे कि जितनी स्कीम थीं, जिन का उल्लेख यहां किया गया है, सब के नक्शे तैयार हैं। परन्तु जब तक सब यूनिवर्सिटीज और सब स्टेट गवर्नमेंट्स से हम को उन के विचार और उन के सुझाव नहीं मिलते तब तक उन को पूर्ण रूप दे देना उचित नहीं होगा। एक स्कीम तैयार है इस समय लेकिन उन सुझावों को पाने के बाद ही हम उसे फाइनल रूप देंगे ।

चांदनी चौक में स्मारक

*१४८६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदनी चौक में घंटाघर के स्थान पर कोई अन्य स्मारक बनाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के नागरिकों ने उपरोक्त स्थान पर स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से प्रस्ताव मिला था और राजधानी में उपयुक्त स्थानों पर स्मारक प्रस्थापन की परामर्शदात्री समिति के सामने रखा गया था। घंटाघर का प्रस्तावित स्थान यातायात को दृष्टि में रखते हुए स्वामी श्रद्धानन्द की प्रतिमा के प्रस्थापन के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया। इस के अतिरिक्त प्रस्ताव के लिये अपेक्षित धन प्रदान नहीं किया गया था ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : दिल्ली के पुराने घंटाघर के स्थान पर स्वाधीनता आन्दोलन के समय स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ ब्रिटिश पुलिस का वीभत्स व्यवहार एक ऐतिहासिक घटना है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि उन की स्टैचू के लिये अपेक्षाकृत बड़े स्थान को घेरने के बजाय थोड़े से स्थान पर स्वामी श्रद्धानन्द की स्टैचू स्थापित कर दी जाय ताकि उन का स्मारक एक अमर रूप धारण कर सकें ?

श्री गो० ब० पन्त : इस बात के लिये जो कमेटी खास तौर पर नियत है उस का मत है कि यह स्टैचू कायम नहीं हो सकती।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब घंटाघर वहां पर पहले बना हुआ था उस समय यातायात में कोई असुविधा थी, या नहीं तो आगे स्टैचू बनने पर कैसे होगी ?

श्री गो० ब० पन्त : असुविधा थी या नहीं थी, यह तो मैं नहीं कह सकता। असुविधा तो शायद तब भी रही होगी, मगर जो चीज दूसरी जगह हो सके, उस को ऐसी जगह पर करना जिस से कि असुविधा बढ़े, यह किसी के लिये लाभदायक नहीं है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जो स्थान स्मृति की दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है, अगर उसी स्थान पर स्मारक बना दिया जाय तो इस में सरकार का क्या हर्ज है ?

श्री गो० ब० पन्त : जो कमेटी इस के लिये नियत है, उस की राय है कि यह नहीं होना चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसी चांदनी चौक में, इसी स्थान के समीप लार्ड हार्डिंज बम केस हुआ था और उस में षड़यंत्र केस भी हुआ था, कुछ लोगों को फांसी की सजा हुई थी। तो क्या उन महान वीरों की स्मृति के सम्बन्ध में काई स्मारक स्थापित किया जायेगा ?

श्री गो० ब० पन्त : यहां शायद इस बात का एक प्रस्ताव है कि एक मार्टर्स कालम कहीं पर बनाया जाय। तो उस में सभी मार्टस आ जायेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि स्वामी श्रद्धानन्द की प्रतिमा के प्रस्थापन के लिये जो प्रस्ताव था उसके लिये अपेक्षित धन प्रदान नहीं किया गया। यदि धन दिया जाये तो क्या वे उस प्रस्ताव को मान लेंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : तब प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और उसके लिये अन्य उपयुक्त स्थान ढूंढा जायेगा ; एक उपयुक्त स्थान ढूंढने की कोशिश की जायेगी ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या यह वह स्थान नहीं है जहां स्वर्गीय स्वामी जी ब्रिटिश संगीनों के समक्ष अपना वक्ष खोल दिया था और क्या वह उनके स्मारक के लिये उपयुक्त नहीं है

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं जानता क्योंकि यातायात कठिनाइयों के कारण अत्यन्त प्रतिष्ठित देशभक्तों के स्मारकों के लिये भी स्थान नहीं है । ये स्मारक जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रख कर ही बनाये जायेंगे ।

आर्थिक विकास के लिए विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि

+

†*१४८७. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक विकास के लिये विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि के कार्यों में भारत किस प्रकार भाग ले रहा है ;

(ख) क्या निधि के तत्वावधान में भारत में कोई काम करना आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह काम क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) भारत संयुक्त राष्ट्र विशेषनिधि की शासी परिषद् का, जो १-१-१९५९ से चल रही है, तीन वर्षों से सदस्य है । निधि स्वेच्छापूर्वक

---

†मूल अंग्रजी में

दिये गये अंशदानों से बनी है । भारत ने १९५९ में ५,००,००० डालर के बराबर रुपये इस निधि को दिये और १९६० के लिये १,९७५,००० डालर के बराबर रुपये देने का वचन दिया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) निधि ने अपने १९५९ के कार्यक्रम के अन्तर्गत, विदेशी मुद्रा में ४,००४,८५० डालर तक निम्न चार भारतीय परियोजनाओं की स्थापना के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है ;

(१) पावर इंजीनियरिंग रिसर्च आर्गेनाइजेशन, भोपाल और बंगलौर (विद्युत् इंजीनियरी अनुसन्धान संगठन) ।

(२) सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर (केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था) ।

(३) सेंट्रल (इंस्ट्रक्टर्स) ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, और केन्द्रीय (प्रशिक्षक) प्रशिक्षण संस्था ।

(४) तीन रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (प्रादेशिक श्रमिक संस्थायें) कानपुर, कलकत्ता और मद्रास ।

१९६० का कार्यक्रम अभी निधि प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस निधि में और कितने राष्ट्र भाग ले रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं । शासी परिषद् के अठारह सदस्य हैं जिनमें भारत भी सम्मिलित है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह विधि कैसे काम करती है ? क्या इससे ऋण दिया जाता है या सहायता भी दी जाती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह अनुदान होता है, ऋण नहीं ?

†**श्री साधन गुप्त** : क्या दी गई निधि का उपयोग भारत किसी भी देश में कर सकता है, या उस का किसी विशिष्ट देश में उपयोग किया जा सकता है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : कौन सी निधि ?

†**श्री साधन गुप्त** : इस निधि से दिये गये अनुदान, उदाहरणार्थ, माननीय मंत्री ने मूल उत्तर में वर्णित विशिष्ट संस्थाओं के लिये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य इन चार परियोजनाओं के लिये अनुदानों का उल्लेख कर रहे हैं, जिनका मैं ने उल्लेख किया है । पद्धति यह है कि विशेष निधि इन अनुसन्धान संगठनों या अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रबन्ध संयुक्त राष्ट्र के किसी विशेषीकृत अभिकरण को सौंप देता है । उदाहरण के लिये, इन चार परियोजनाओं में से, विद्युत् इंजीनियरी अनुसन्धान संगठन और केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरी अनुसन्धान के मामले में, जहां तक निधि का सम्बन्ध है, अभिकरण होगा यूनेस्को और जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, अभिकरण होगी वैज्ञानिक

†मूल अंग्रेजी में

और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्। अन्य दो संस्थाओं के मामले में, निधि की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्य करेगा और जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है, प्रशासनिक मंत्रालय होगा श्रम मंत्रालय।

†श्री प्र० चं० बरुआ: क्या भारत के लिये कोई विशिष्ट निधि निर्धारित की गई है?

†श्री ब० रा० भगत: मैं ने यह १९५९ के लिये बताया है। मैं ने परियोजनायें और राशि बता दी है।

†श्री प्र० चं० बरुआ: १९६० में कितनी परियोजनायें चलाई जायेंगी?

†श्री ब० रा० भगत: मैं यह इतनी जल्दी नहीं बता सकता। क्योंकि जब तक कि यह अन्तिम रूप में तैयार न हो जाये, मैं १९६० के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

आन्ध्र प्रदेश का आदिमजातीय वित्त निगम

\+

†*१४९०. { श्री रामी रेड्डी:
श्री क० वी० पादलू:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के आदिमजातीय वित्त निगम को केन्द्र से सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने निगम को कितनी राशि दी है; और

(ग) निगम के खास-खास काम क्या हैं?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) जी हां। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा।

(ख) १९५५-५६ वर्ष से १५.९९ लाख रुपये।

(ग) अब तक निगम की मुख्य गतिविधि आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जातीय लोगों के लाभार्थ सहकारी संस्थाओं का विकास करना रहा है।

†श्री रामी रेड्डी: क्या यह निगम आदिम जातीय लोगों से कृषि वस्तुें खरीदता है और उन्हें खुले बाजार में बेच देता है और इस प्रकार आदिमजातीय लोगों को उचित दाम नहीं देता?

†श्रीमती आल्वा: मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह पूर्णतया सच है। किन्तु मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य के ध्यान में वह मामला है जिसमें कि इमली १½ रुपये प्रति मन खरीदी गई थी जबकि मूल्य ३ रुपये प्रति मन था। इस पर आदिम जातीय लोगों और निगम के प्राधिकारियों के बीच झगड़ा हुआ था। शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न उठा था और राज्य सरकार मामले की जांच कर रही थी। हमने राज्य सरकार से प्रतिवेदन मांगा है।

†श्री रामी रेड्डी: क्या यह सच है कि आदिमजातीय लोगों को निगम के प्राधिकारियों ने मारा पीटा और और तब स्वयं अफसरों ने आदिमजाति के लोगों के विरुद्ध मामला खड़ा कर दिया?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती आल्वा : यह आरोप लगाया गया है । जब तक हमें राज्य सरकार से प्रतिवेदन न मिले, हम कुछ नहीं कह सकते ।

†श्री नरसिंहन् : क्या निगम राज्य-पोषित निकाय है या संविहित निकाय ?

†श्रीमती आल्वा : यह राज्य-पोषित निकाय है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : क्या निगम में लेखा परीक्षा की पद्धति है, और यदि हां, तो लेखा परीक्षा किस के द्वारा किया जाता है ?

†श्रीमती आल्वा : निगम की लेखा परीक्षा प्रणाली अवश्य होगी । मुझे इस के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

†श्री केशव : क्या ऐसा निगम अन्य सब राज्यों में है और मैसूर राज्य में भी है ?

†श्रीमती आल्वा : मैं नहीं समझती कि मैसूर में ऐसा कोई निगम है ?

†श्री मं० रं० कृष्ण : यह घटना कब हुई थी ? क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिमजातियों की सहायक आयुक्त ने उस स्थान पर आ कर जांच की ?

†श्रीमती आल्वा : मैं यह सूचना नहीं दे सकती कि आया अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिमजातियों का आयुक्त....

†श्री मं० रं० कृष्ण : सहायक आयुक्त ।

†श्रीमती आल्वा : ...इस घटना होने के बाद उस स्थान पर आया । यह घटना हाल में हुई है और हमने प्रतिवेदन मांगा है । प्रतिवेदन अभी हमें नहीं मिला है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि १९६० से पहले विशाखापटनम और श्रीकाकुलम जिलों को कोई सहायता नहीं दी गई है ?

†श्रीमती आल्वा : म इस का सविस्तार उत्तर दूंगी । १९५७-५८ में इस निगम ने चार जिलों को लिया, १९५९-६० में सात और जिलों में कार्य किया और १९६०-६१ में तेलगांना क्षेत्र इसमें आ जायेगा । इस का कार्य पूरे आंध्र प्रदेश में फैल जायेगा ।

†श्री वेंकटा सुब्बैय्या : निगम के अधिकारियों ने जो परेशानी पैदा की थी, उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यहां से एक व्यक्ति को स्थान पर मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये भेजने का विचार करती है ?

†श्रीमती आल्वा : जब तक राज्य सरकार से रिपोर्ट नहीं आती, हम कुछ नहीं कह सकते ।

आन्ध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेप

†*१४९१. श्री वेंकटा सुब्बैय्या : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के बंगनपल्ले में हीरे के पाये जाने का पता लगाया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या हीरे निकालने का काम करने के लिय किसी ऐसी को अनुमति दे दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस ऐजेंसी का नाम क्या है ; और

(घ) यह अनुमति किन शर्तों पर दी गई है ?

†**खान और तेल मंत्री के सभासचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण वि ाग ने बंगनपल्ले के समीप संपिण्डों में हीरों के हो की खबर दी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैय्या** : क्या सरकार को विदित है कि जब यह राजा का राज्य था तब खोज की गई थी और एक समवाय को लाइसेंस दिया गया था ? क्या अब इस क्षेत्र में हीरे खोजने के लिये किन्हीं अभिकरणों के प्रस्ताव सरकार के सामने हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : १८३० से पहले मनु माडुगू क्षेत्र में यह किया गया था ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैय्या** : वास्तव में खोज की गई थी । क्या सरकार मामले की अग्रेतर जांच करने और उस क्षेत्र में हीरों को मा ूम करने की संभावना को जानन का विचार रखती है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : कुछ समय पहले इस क्षेत्र का खनन पट्टा एक गैर-सरकारी दल के पास था । परन्तु वह पट्टा समाप्त हो चुका है । सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्र के व्यापक सर्वेक्षण और खोज का कार्य सम्मिलित किया है ।

†**श्री रामेश्वर राव** : क्या माननीय मंत्री, यह बतायग कि क्या औद्योगिक हीरों के लिये कृष्णा घाटी का व्यापक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस क्षेत्र में कुछ भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है । जैसा कि मैंने कहा, नक्शा बनाने और अधिक व्यापक सर्वेक्षण करन का पूर्ण कार्यक्रम अब भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण वि ाग के तीसरी पंच वर्षीय ोजना के कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैय्या** : क्या इस क्षेत्र में खोज करने के लिये किसी अभिकरण ने लाइसेंस की प्रार्थना की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे किसी अभिकरण का पता नहीं जिसने हाल में इस क्षेत्र में खोज करने के लिये प्रार्थना की हो ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच नहीं है कि बंगनपल्ले से लगभग ३०–४५ मील पर वज्रकासर स्थान पर हीरों के निक्षेप हैं और प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में एक या दो हीरे वहां मिल जाते हैं ? क्या सर्वेक्षण विभाग उस स्थान का सर्वेक्षण करेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह सच है कि भूतत्वीय दृष्टि से यह हीरों का क्षेत्र है । तल से भी पता चलता है कि गैर-सरकारी लोगों ने समय समय पर कुछ घटिया किस्म

---

†मूल अंग्रेजी में

के हीरे निकाले हैं । इसीलिये अब हम समूचे प्रश्न पर तरीके से विचार कर रहे हैं और इसे तीसरी योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं । हम इस क्षेत्र से कुछ हीरे निकालना चाहते हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह अभी भूतत्वीय सवक्षण के प्रक्रम पर है अथवा भारतीय खान ब्यूरो निकायों के परिमाण को जानने के लिये कोई सुराख खोद रहा है ?

†श्री के० दे० मालवीय : भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के प्रारंभिक कार्यक्रम में खुदाई भी सम्मिलित है ।

†श्री रा० स० तिवारी : अब यह पन्ना जिले से जहां से कि आलरैंडी हीरा निकल रहा है क्या सरकार ने उस का राष्ट्रीयकरण कर लिया है और उस को अपने हाथ में में ले लिया है और अगर नहीं लिया है तो इस को कब तक अपने हाथ में ले लेगी ।

श्री के० दे० मालवीय : जी हां वह ले लिया है ।

श्री रा० स० तिवारी : काम कब से शुरू करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह पन्ना की तो अलग बात है । अगला प्रश्न ।

जनसंख्या सर्वेक्षण

†*१४९२. श्री आचार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनसंख्या की प्रवृत्ति के बारे में जीवनांक एकत्रित करने की दृष्टि से एक नमूने का सवक्षण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश के किन भागों में ; और

(ग) देश के केवल इन्हीं भागों को चुनने के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) राज्यों में संख्यिकी सम्बन्धी सिद्धान्तों पर चुने गये गांव और नगर, जिन्होंने ऐसे सर्वेक्षण किये जाना स्वीकार कर लिया है ।

†श्री आचार : क्या औद्योगिक और कृषकीय आदि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ?

†श्रीमती आल्वा : यह सर्वेक्षण राज्य संख्यिकी ब्यूरो द्वारा मुख्यतया: ग्रामीण और नगरीय क्षत्रों में पृथक २, जनसंख्या की वृद्धि और वृद्धि दर जानने के लिये किया जाता है ।

†श्री गामित : क्या अगले पांच वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि दर का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ?

†श्रीमती आल्वा : सर्वेक्षण किया जाना है और तभी हम जानेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मुख्यालय सेवा

+

†*१४९३. श्री तंगामणि :
श्री नागी रेड्डी :
श्री स० र० अरुमुगम् :
श्री धर्मलिंगम् :
श्री गणपति :
श्री थानुलिंगम् नादर :
श्री रा० सी० अरुमुगम् :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सचिवालय में सशस्त्र बल मुख्यालय के विद्यमान कर्मचारियों को मिला कर एक प्रतिरक्षा मुख्यालय सेवा (डिफेंस हैडक्वार्टर्स सर्विस) की स्थापना करने का कोई विचार है ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी सशस्त्र बल मुख्यालय के साथ मिलाये जाने के विरुद्ध हैं क्योंकि उन का ख्याल है कि ऐसा करने से उनके हितों को हानि पहुंचेगी ;

(ग) प्रस्ताव किस प्रक्रम पर विचाराधीन है ; और

(घ) क्या प्रतिरक्षा सचिवालय के कर्मचारियों को इसका विकल्प देने का विचार है कि यदि वे चाहें तो इस नई योजना में शामिल न हों और वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ही सदस्य बने रहें ?

†प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय के सचिवालय के कर्मचारी वृन्द और सशस्त्र सेवाओं के मुख्यालयों के असैनिक कर्मचारी वृन्द को इकट्ठा करने के प्रस्तावों पर बहुत समय से विचार किया जा रहा है ।

(ख) परिवर्तन सदा किसी न किसी ओर से विरोध किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) प्रस्ताव के ब्यौरा पर विभिन्न संबद्ध प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

†श्री तंगामणि : क्योंकि बातचीत काफी समय से चल रही है, इसलिये क्या सरकार इस प्रस्ताव को छोड़ देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री कृष्ण मेनन : जी, नहीं ।

†श्री तंगामणि : सचिवालय के कितने कर्मचारियों को इस विलय से हानि होगी ?

†श्री कृष्ण मेनन : इकट्ठा करने से सब सदस्यों को हानि या लाभ होगा ?

†श्री तंगामणि : क्या सरकार उन कर्मचारियों को विकल्प देने के प्रश्न पर विचार करेगी, जो वर्तमान स्थिति में रहने के लिये इस योजना में सम्मिलित न होना चाहें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कृष्ण मेनन : केवल यही कठिनाई सामने आती है । प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के उपरांत, इस मामले को गृह-कार्य मंत्रालय के साथ हल करना होगा । इसीलिये विलंब हो रहा है । यदि सरकार इसे केवल एक आदेश द्वारा करना चाहती, तो वह पहले ही कर लिया गया होता । यह मामला विशेष लंबित है और हम इसे चला रहे हैं ।

†श्री तंगामणि : एक आपत्ति यह थी कि यदि यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाता है, तो इस का वेतनों और सेवा की अन्य शर्तों पर बुरा प्रभाव होगा। यदि प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाता है, तो क्या सरकार इस की व्यवस्था करेगी कि इन कर्मचारियों को हानि न हो ?

†श्री कृष्ण मेनन : जी, नहीं, उन्हें हानि होने का प्रश्न नहीं है । वे यह जानना चाहते हैं कि अन्य लोगों को जो कुछ मिल सकता है, वह उन्हें न मिले ऐसी कोई संभावना नहीं होनी चाहिय ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह योजना नीचे की इकाइयों के असैनिक कर्मचारियों के लिये किसी प्रकार लाभदायक होगी ?

†श्री कृष्ण मेनन : यही इसका कारण है । क्योंकि सशस्त्र सेना सेवाओं की निचली इकाइयों के असैनिक कर्मचारियों को दूसरों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है, इसलिये अधिक कठिनाई हो रही है । इसी कारण इस पर इतनी देर से चर्चा की जा रही है ।

†डा० मेलकोटे : क्या विल्प सरकार की इच्छा पर किया जा रहा है या कर्मचारी वर्ग इसे चाहता है ?

†श्री कृष्ण मेनन : सरकारी सुधार के प्रस्ताव सरकार से आरम्भ होते हैं। परन्तु कई वर्षों से इन लोगों के साथ लगातार परामर्श और चर्चा की जा रही है ।

†डा० राम सुभग सिंह : अब तक प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये जाते हैं । क्या इस प्रणाली का विस्तार सेना मुख्यालय कर्मचारी वृन्द पर भी किया जाएगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†डा० राम सुभग सिंह : परन्तु क्योंकि दो कर्मचारी वर्ग एक सशस्त्र सेना मुख्यालय में मिलाये जाएंगे, अब क्या स्थिति होगी ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या संघ लोक सेवा आयोग का क्षेत्राधिकार हटा दिया जाएगा ? माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं ।

†श्री कृष्ण मेनन : ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस की व्यवस्था गृह-कार्य मंत्रालय के साथ की गई है, यह एक पूल होगा जो सामान्य संगठन के अन्तर्गत आएगा ।

†डा० मेलकोटे : क्या यह सच नहीं है कि सचिवालय का कर्मचारी वर्ग इस योजना का विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें वही काम नहीं मिलेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच नहीं है कि सचिवालय का कर्मचारी वर्ग इस योजना के विरुद्ध है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं नहीं कहूंगा कि सचिवालय के कर्मचारी इस के सर्वथा विरुद्ध हैं । वे हमेशा इस के पक्ष में नहीं रहे । परन्तु वे अधिक रक्षण चाहते हैं ताकि उनके लिये यह व्यवस्था हो कि भारत सरकार की जिस सामान्य सेवा में वे अब हैं, उनको जो कुछ मिलेगा, वह उन्हें भी मिलेगा । वे भविष्य के लिये अधिक उत्सुक हैं ।

कोर्ट मार्शल

+

†*१४९४. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत जनरल कोर्ट मार्शल का निर्णय तब तक अन्तिम नहीं होता जब तक कि उच्च सेना प्राधिकारियों द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इंग्लैंड के सेना अधिनियम से कुछ भिन्न है ;

(ग) पश्चिमी कमान (वेस्ट कमांड) के उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें जनरल कोर्ट मार्शल के निर्णय कार्यान्वित नहीं किये गए और वे मामले सेना प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं ; और

(घ) अधिनियम में इस कमी को दूर करने के लिये क्या कारवाई की गई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). जनरल कोर्ट मार्शल की उपपत्तियां और दण्ड तब तक मान्य नहीं होते जब तक उनका समर्थन निर्धारित प्राधिकारी द्वारा न किया जाए । यह स्थिति होते हुए, जनरल कोर्ट मार्शल के सब निर्णयों के, चाहे वे वेस्टर्न कमांड के हों या दूसरी कमांडों के, क्रियान्वित किये जाने से पूर्व उनका अनुसमर्थन होना अनिवार्य है । ब्रिटिश सेना अधिनियम में भी यही व्यवस्था है, अन्तर केवल इतना है कि उस अधिनियम के अधीन "अपराधी नहीं" उपपत्ति के मामले में अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती । "अपराध नहीं" उपपत्ति के अनुसमर्थन के उपबन्ध के हटाने के लिए सेना अधिनियम १९५० में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ब्रिटेन में अपीलीय न्यायालय होते हैं जिन में अब वहां के मुख्य न्यायाधिपति और अन्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश होते हैं और तीनों में से किसी सेवा के जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दण्डित व्यक्ति, अनुमति ले कर अपने दण्ड के विरुद्ध उस न्यायालय में अपील कर सकता है ? मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि यह १९५१ से ब्रिटेन में स्वीकार किया जा चुका है, क्या सरकार उस प्रकार की विधि बनाने का विचार करती है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : मैं समझता हूं कि वहां अभी हाल में कोर्ट मार्शल अपील क्षेत्राधिकार या इस प्रकार की कोई विधि बनाई गई है । इस समय हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

इससे भी अधिक कठिन समस्याओं को हल करना है और सरकार इस विशिष्ट प्रश्न पर विचार कर रही है, रिहाई के मामले में उस व्यक्ति के विरुद्ध अपील करने का खतरा बना रहता है, जो भारतीय आपराधिक विधि शास्त्र का अंग है। हम इस पर गौर कर रहे हैं कि क्या ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के लिये यह खतरा रहना ठीक है या नहीं और जब यह हो जाएगा तो हम निश्चय ही इस बात का भी विचार करेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री के वक्तव्य से प्रतीत होता है कि वह विशिष्ट अधिनियम में संशोधन करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस संशोधन में संबंद्ध व्यक्ति, सैनिक को, न्यायालय में जाने की आवश्यक सुविधा का उपबन्ध किया जाएगा। अथवा क्या विधेयक में ही संशोधन किया जाएगा ? संशोधन कैसा होगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : आप देखेंगे कि मूल प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने अधिनियम में संशोधन के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ने केवल इतना ही कहा है कि इस विशिष्ट बात को हटाने के लिये सेना अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है। यदि ऐसा करते हुए, कोई दूसरी चीज सामने आती है, तो सरकार उसे सभा के सामने लाएगी।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : माननीय उपमंत्री के उत्तर से मैं समझता हूं कि 'अपराधी नहीं" निर्णय के अनुसमर्थन को निकालने का प्रश्न विचाराधीन है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या जहां जनरल कोर्ट मार्शल ने "अपराधी" निर्णय दिया है, उस के विरुद्ध अपील सुनने के लिये कोई न्यायिक न्यायाधिकरण बनाने का विचार किया गया है। इस समय ऐसा कोई न्यायाधिकरण नहीं है और अधिनियम में अपील का कोई उपबन्ध नहीं है जैसाकि ब्रिटेन में किया जा रहा है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह सच है कि उस रूप में कोई न्यायाधिकरण नहीं है। परन्तु अपील के कई उपबन्ध हैं, सेवा के अन्तर्गत उच्चतर अधिकारियों को अपील, सरकार को अपील, राष्ट्रपति को अपील और अन्य सब कुछ। परन्तु वास्तविक मामला, जिसने बहुत से लोगों को परेशान कर रखा है, यह है कि क्या कोई मार्शल के विरुद्ध अपील देश के साधारण न्यायालयों को की जानी चाहिये, जिन में उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है। इस से हमारे देश में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना होगा। सशस्त्र सेवाएं किस सीमा तक मुकदमे बाजी के साधारण न्यायालयों के अन्तर्गत आएंगी, यह इस समय विचाराधीन नहीं है। यदि सभा यही बात स्वीकार करेगी, तो यदि हम इस बात को लेते हैं, इस का परीक्षण करते हैं और हल ढूंढते हैं, तो अन्य उपाय खुला होगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : असैनिक न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय को अपील का अधिकार देने की बजाए क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इसके द्वारा नियुक्त किया जाने वाला और न्यायिक अनुभव रखने वाला, न्यायिक न्यायाधिकरण बनाने के प्रश्न पर विचार नहीं करेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह सोचना गलत है कि जनरल कोर्ट मार्शल में कुछ सैनिक बात होती है। वे न्यायालय हैं जो संसद् द्वारा पारित विधियों और नियमों का संचालन

---

†मूल अंग्रेजी में

करते हैं । अतः वे इस प्रकार न्यायिक हैं । विभागीय अपीलों पर भी न्यायपूर्ण दृष्टि से विचार किया जाता है, उन का निर्णय किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता और प्रक्रियाएं मूलतः वही हैं । प्रश्न यह है कि क्या संविहित न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिये या नही । जब यह पूरा हो जाएगा, तो सरकार दूसरे प्रश्न पर विचार करने को तैयार है ।

नाहरकटिया में अशोधित तेल पर कर

†*१४९६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पत, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने नाहरकटिया में उत्पादित अशोधित तेल (क्रूड आयल) पर कर लगाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) अशोधित तेल पर प्रस्तावित बिक्री कर एक नया पैसा प्रति लिटर की दर से लगेगा । आसाम सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रयोजन के लिये मौजूदा आसाम पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की, जिन में मोटर स्पिरिट और चिकनाने वाले पदार्थ भी शामिल हैं, बिक्री कराधान अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने का विचार है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या नाहरकटिया में तैयार किये गये अशोधित तेल को भारतीय तेल शोधक कारखानों को बेचते समय क्या इस 'लेवी' को उसकी कीमत में शामिल कर दिया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९५५ के आसाम कराधान विधेयक में यह संशोधन आसाम सरकार द्वारा किया जाने वाला है । अभी हमें इस बात की जांच करनी है कि इस कर का क्या प्रभाव पड़ेगा । इसीलिये हमारे अनुरोध पर उन्होंने विधेयक की एक प्रति हमारे पास भेज दी है । हम उसकी जांच कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह कर केवल अशोधित तेल पर ही लगेगा या आसाम के अन्य पैट्रोलियम उत्पादों पर भी लगाया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह संशोधन १९५५ के अधिनियम में अशोधित तेल को भी शामिल करने के लिये किया जा रहा है ।

†**श्री कासलीवाल** : इस कर से आसाम सरकार कितनी राशि जमा कर सकेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमें पता नहीं । शायद आसाम सरकार का इरादा इन कराधान प्रस्तावों में अशोधित तेल को शामिल कर अपने मौजूदा राजस्व में वृद्धि

---

†मूल अंग्रेजी में

करने का है । इस समय मुझे इस का कुछ भी अंदाज नहीं है। अभी तो यह केवल प्रस्ताव के प्रक्रम पर है ।

†**श्री च० द० पांडे** : उपभोग की ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार टैक्स लगाती है और राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती हैं । कभी कभी करों का भार इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे वहन नहीं किया जा सकता । क्या सरकार इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने की योजना पर विचार करेगी कि यदि एक वस्तु पर केन्द्रीय सरकार कर लगाती है तो उसी वस्तु पर राज्य सरकार द्वारा कर न लगाया जाये ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव मैं निश्चित रूप से वित्त मंत्रालय को भेज दूंगा ।

कुलू में चांदी की खानें

†***१४९७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुलू में चांदी की उन पुरानी खानों की नये सिरे से खोज की जा रही है जिनके बारे में इस समय यह विश्वास किया जाता है कि १९०४ में आये तीव्र भूकम्प में वे खानें लुप्त हो गई थीं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : जी हां । १९४८–४९, १९५६–५७ और १९५९–६० में भारत के भूतत्वीय भू-परिमाप ने कांगड़ा जिले के कुलू परगने में उचिच गांव के नीचे चांदी की खान की जांच की थी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : उसका परिणाम क्या निकला ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जांच अभी चल ही रही है और अभी से यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता कि क्या परिणाम निकला है क्योंकि यह बड़ा ही विषम क्षेत्र है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह जांच पड़ताल १९४८ से चल रही है । दस वर्ष बीत चुके हैं । उसकी जांच करने में कितने दशक और लग जायेंगे ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं बता चुका हूं कि १९४८–४९ में जांच की गयी थी । बाद में कहीं जा कर १९५६–५७ में और फिर १९५९–६० में उस कार्य को फिर से हाथ में लिया गया । अभी उसकी और आगे जांच करने की जरूरत है । वह क्षेत्र कुछ विषम प्रकार का और कठिनाई पूर्ण है और काम करने वालों की संख्या सीमित ही है ।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या कुलू परगने में कई स्थानों पर पाये जाने वाले गर्म सोतों के पानी में गंधक के अंश के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : यह प्रश्न चांदी की खानों के विषय में है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या कुलू घाटी में या कम से कम मणिकरण घाटी में पाये जाने वाले अन्य खनिजों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : माननीय सदस्य जिस अन्य क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुलू घाटी में अन्य भूतत्वीय सर्वेक्षण भी किये जाते हैं ।

जंगपुरा (दिल्ली) में एक लड़की की मत्यु

\+

†*१५००. **श्री प्र० गं० देव** :
श्री आसर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ मार्च, १९६० को जंगपुरा (दिल्ली) में एक लड़की एक खुले "मैन होल" में गिर कर डूब गई और उसकी मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो इतने समय तक "मैन होल" खुला क्यों पड़ा रहने दिया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) वहां एक 'सम्प-वैल' है जिसमें मल जमा हो जाता है और उसे कुछ काल पश्चात पम्पों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है । यह "मैन होल" इसी 'वैल' में से गैस निकलने देने के लिये खोला गया था । यह लड़की 'मैन होल' खोलने के लगभग १५ मिनट के बाद ही 'सम्प वैल' में गिर पड़ी थी ।

†**श्री प्र० गं० देब** : क्या इस लड़की के पिता को कोई मुआवजा दिया जायगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे पता नहीं । मुझे मालूम नहीं कि लड़की के पिता ने मुआवजा दिये जाने की इच्छा प्रगट की है या कि वह मुआवजा लेना भी चाहेंगे या नहीं, लेकिन मैं प्रशासन से इस मामले की जांच करने के लिये कह दूंगा ।

†**श्री आसर** : 'मैन होल' खोलते समय अधिकारियों ने बचाव की क्या कार्यवाही की थी ? क्या सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा लापरवाही दिखाये जाने के बारे में जांच की गयी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : यह मैन होल पम्प ड्राइवर ने खोला था और वह पम्प इंजन की जांच के लिये नीचे पम्प हाउस में चला गया था और जब तक वह लौटे लौटे दुर्भाग्यवश यह दुर्घटना हो चुकी थी । लेकिन मंत्रालय ने इस बात की जांच का आदेश दे दिया है कि पम्प ड्राइवर कहीं लापरवाही दिखाने का दोषी तो नहीं है । मैं यह बात

†मूल अंग्रेजी में

भी बता दूं कि भविष्य के लिय यह आदेश निकाल दिये गये हैं कि सभी 'मैन होलों' को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखा जाय अर्थात् इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृद्धि से बचाव का प्रबन्ध रखा जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कारण से भी 'मैन होल' खोले तो वहां एक व्यक्ति को खड़ा कर दे और 'मैन होल' अकेले में कभी खुला न छोड़ा जाय ।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि दिल्ली में चोरियों के कारण मैन होल खुले पड़े रहते हैं ? यदि हां, तो इस बात की व्यवस्था के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं कि वे खुले न रहें ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मुझ पता नहीं कि कुछ ऐसे मैन होल भी हैं जो ढके नहीं हैं । संभव है कि चोरियों के कारण कुछ 'मैन होल' कुछ समय तक बिना ढके रहें लेकिन जहां तक इस मैन होल का संबंध है, यह ढका हुआ था और उसे उसी प्रयोजन के लिय, जो मैं बता चुका हूं , खोला गया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान अखबारों में छपी इस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि दिल्ली में इस क्षेत्र विशेष के १९०० 'मैन होलों' में से ७०० बिना ढके रहते हैं ? यदि हां, तो क्या कुछ कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मुझे इस बात का पता नहीं है लेकिन मैं संबंधित मंत्रालय अथवा नगर निगम से, जिसका भी इस मामले से सबंध हो, इस बात की जांच करने और इन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिये कहूंगा ।

†**श्री तंगामणि :** अखबार में छपने पर भी उन्हें जानकारी नहीं मिलती ? वह कहते हैं कि ७०० मैन होल बिना ढके पड़े हैं । इसमें क्या जांच करनी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से नहीं बता सकता । मैं तो वही जानकारी आगे बढ़ाये दे रहा हूं जो मेरे अधिकार में है । लेकिन मैं इस मामले की जांच कर देखूंगा कि मैं कुछ सहायता कर सकता हूं या नहीं ।

वाराणसी के निकट ध्वस्त हवाई जहाज में सोने और बहुमूल्य रत्नों का पाया जाना

\+

†*१५०१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी के निकट बाबलपुर हवाई अड्डे पर २३ मार्च, १९६० को जो विदेशी हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उसमें ५०,००० रुपये के मूल्य का सोना और उसके अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य रत्न मिले थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में ,

(ख) यदि हां, तो जो बहुमूल्य पदार्थ मिले उनका ब्योरा क्या है और यह विदेशी हवाई जहाज हमारे सीमा-शुल्क कर्मचारियों की नजर से किस प्रकार निकल गया था ;

(ग) क्या दुर्घटनाग्रस्त विमान में मिले बहुमूल्य रत्नों का मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका रुपयों में कितना मूल्य है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जी हां । २३ मार्च, १९६० को वाराणसी के निकट बाबलपुर हवाई अड्डे पर जो विदेशी विमान ध्वस्त हो गया था उसके ध्वंसावशेष में अन्य वस्तुओं के अलावा ४२१.५ तोले वजन के सोने के १३ टुकड़े, जिनकी कीमत लगभग ५४,००० रुपये और एक फैंसी रत्न पाया गया था। यह विमान कलकत्ते से होकर जापान जा रहा था और उस विमान पर सवार लोगों के 'पकेजों' पर दिल्ली पहुंचने पर कस्टम की मुहर लगा दी गयी थी और कलकत्ते के कस्टम हाउस को मुहरबन्द 'पैकेजों' के पुनर्निर्यात की देखरेख करने की हिदायत कर दी गयी थी । जिस समय यह विमान दिल्ली में था उसकी कस्टम वालों ने भली भांति तलाशी भी ले ली थी और उसमें कुछ भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गयी थी ।

(ग) और (घ) वाराणसी के कुछ स्थानीय जौहरियों ने उस रत्न की जांच की थी और उन की राय है कि वह कोई बहुमूल्य रत्न न होकर शौकीनी के लिये रखने वाली चीज है । उसकी कीमत नगण्य है ।

श्री रघुनाथ सिंह : वह सोना और जवाहरात फ्रांस भेज दिए गए हैं या अभी वे यहां ही मौजूद हैं ?

श्री ब० रा० भगत : अभी तो वे वहां के डिस्ट्रिक्ट क्लेक्टर के पास ही हैं ।

कुतुब मीनार का आलोकित करना

*१५०५. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार के बाहरी भाग को विद्युत-प्रकाश से आलोकित करने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : आवश्यक मंजूरी दे दी गई है और सी० पी० डब्ल्यू० डी० से जल्दी काम पूरा करने के लिये कहा गया है ।

(उत्तर हिन्दी में भी पढ़ा गया)

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कार्य कितने समय से चल रहा है और इसके पूरे होने में अभी कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे खेद है कि इसमें बहुत समय लग गया है, लेकिन अब कार्य अन्तिम प्रक्रम पर पहुंच गया है । मेरा ख्याल है कि व्यय की मंजूरी २६ दिसम्बर को दी गयी थी और इलैक्ट्रिकल आर्डर दे रहे हैं । अनुमान है कि सामान आने में लगभग ६ महीने लग जायेंगे और सामान आने के बाद काम पूरा करने में ६ महीने और लगेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह सामान कहां से आयेगा और सामान आने में ६ महीने क्यों लगेंगे ? यह सामान देशी है या विदेशी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत से बिजली के मेन और ६० फ्लड लाइटें होंगी । मैं यह नहीं जानता कि यह देशी होंगी अथवा विदेशी लेकिन इंजीनियरों ने हमें बताया है कि संभरण तथा निबटाना के महानिदेशक सामान का संभरण करने में लगभग ६ महीने लगा देंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस पर कुल कितना धन व्यय हो चुका है और कितना धन अभी और भी व्यय होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मेरा ख्याल है कि पहले प्रक्रम के बारे में, जो पूरा हो चुका है, मैं पहले कुछ आंकड़े बता चुका हूं । इस समय तो केवल सब से ऊपर की मंजिल के बारे में विचार किया जा रहा है । इसके लिये ९१,८०० रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी पिछले चरण की लागत इस समय मुझे याद नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मनीपुर में लामफेलपट क्षेत्र

†***१४८५. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन ने स बात की जांच कर ली है कि निर्माण प्रयोजनों के लिये लामफैलपट कहां तक उपयुक्त होगा ;

(ख) यदि हां, तो लामफेलपट में किस प्रकार की इमारतें बनाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि यह क्षेत्र अस्पतालों और रहने के लिये इमारतें बनाने के उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि लगोलंचिग की पर्वतमाला होने के कारण यह स्थान "एण्टी-साइक्लोन" क्षेत्र में स्थित है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) हां ।

(ख) (१) असैनिक न्यायालय तथा अन्य दफ्तरों की इमारतें ।

(२) पुलिस की इमारतें ।

(३) सेन्ट्रल जेल ।

(४) रहने के, क्वार्टरों के साथ नया अस्पताल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) सरकार के आदिम जाति के कर्मचारियों के लिए रहने के क्वार्टर

(ग) स्थिति जांच भारतीय ऋतु-विज्ञान विभाग के परामर्श से की गई है। मनोपुर का समूचा घाटी क्षेत्र सर्दियों में साइक्लोन विरोधी है और गर्मियों में साइक्लोन से प्रभावित होने वाला है। यही स्थिति देश के अधिकतर अन्य भागों की है। इम्फाल के पास नीची पहाड़ियों के होने से लामफेलपट जैसी छोटी बस्ती में इमारतों की निर्माण विरोधी हालतें उत्पन्न नहीं हो सकतीं। अतः लामफेलपट क्षेत्र अस्पताल की या अन्य किसी इमारत के निर्माण के लिए अनोपयुक्त नहीं माना जाता।

भारतीय वायुसेना का सिगनल केन्द्र, गुड़गांव

*१४८८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के सिगनल केन्द्र, गुड़गांव में अग्निकांड के बारे में दी गई रिपोर्ट पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ख) उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख) : सरकार, रिपोर्ट पर विस्तार पूर्वक विचार कर रही है।

औषधियों में काम आने वाले पौधे

†*१४८९. **श्री प्र० के० देब** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतागे की कृपा करेंने कि :

(क) क्या भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग इस देश के औषधियों में काम आने वाले पौधों, विशेषकर आयुर्वेदिक पौधों को बढ़ने की वृत्ति, उगने की क्षमता, कम लागत पर उत्पादन और उनके चिकित्सा संबंधी गुणों का अध्ययन करने के लिये परीक्षात्मक उद्यान लगा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ये उद्यान कहां पर लगाये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे उद्यान लगाने का विचार है।

(ख) इन उद्यानों के प्रस्तावित स्थान निम्न हैं :

(१) शिलांग के पास खासी पहाड़ियां;

(२) दार्जिलिंग जिला ;

(३) हिमाचल प्रदेश;

(४) देहरादून के पास पहाड़ी क्षेत्र;

(५) कलकत्ता के आस पास ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) उड़ीसा में सम्बलपुर के पास ;

(७) पूना के पास ;

(८) कोयम्बटूर के पास ; और

(९) राजस्थान ।

बैंक ऋण नियंत्रण

†*१४९५. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंकों के ऋण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये हाल में क्या कार्रवाई की गई हैं और उस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप विभिन्न वस्तुओं के मूल्य-स्तर में क्या कमी दिखाई पड़ी हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : रिज़र्व बैंक ने ११ मार्च, १९६० को एक अधिसूचना और एक निदेश निकाला था जिस में उल्लेख था कि अनुसूचित बैंक :

(१) ११ मार्च, १९६० के बाद प्राप्त होने वाले अतिरिक्त जमा राशियों का २५ % भाग रिजर्व बैंक के पास रखे ;

(२) अधिमान अंशों के अतिरिक्त अन्य अंशों पर ५,००० रु० के अधिक के अग्रिम देयों पर कम से कम ५० % का अन्तर रखें;

(३) बदले के सौदों के लिए प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था न करें ; और

(४) प्रत्येक मास के कुल अग्रिम देयों के साथ स्पष्ट अग्रिम देयों का अनुपात उतना ही रखें जितना कि यह वर्ष १९५९ के तत्स्थानी मासों में था।

२. विभिन्न वस्तुओं के मूल्य पर इन कार्यवाहियों का क्या प्रभाव पड़ेगा इसे अभी निश्चित नहीं किया जा सकता परन्तु स्टाक मार्किट के मूल्य में गिरावट आ गई है ।

दिल्ली के ग़ैर-सरकारी स्कूल

†*१४९८. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन विभिन्न ग़ैर-सरकारी स्कूलों को ९० प्रतिशत अनुदान देता है ;

(ख) क्या प्रशासन का उन के ऊपर अपना कोई नियंत्रण है ;

(ग) यदि हां, तो कहां तक और प्रशासन का नियंत्रण किस प्रकार लागू किया जाता है ;

क्या हाल के वर्षों में प्रशासन की जानकारी में कुछ ऐसे मामले भी आये हैं जिन में ग़ैर-सरकारी प्रबन्ध वाले सरकारी सहायता प्राप्त इन स्कूलों ने अध्यापकों को समय पर वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में और प्रशासन द्वारा निर्धारित फीस और अन्य फंडों के अलावा बिल्डिंग फंड आदि के अन्तर्गत रुपया वसूल कर के सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया हो ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो वे स्कूल कौन-कौन से हैं और उन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ; और

(च) प्रशासन द्वारा इस समय दिये जाने वाले ९० प्रतिशत अनुदान के साथ-साथ शेष १० प्रतिशत खर्च और पूरा करके इन सारे सहायता प्राप्त स्कूलों का सम्पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में न लिये जाने के क्या क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल जाता है ।

विवरण

(क) हां, श्रीमान । स्वीकृत व्यय और शुल्क से प्राप्त आय के अन्तर के ९०% के लिए संचालन अनुदान दिया जाता है ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) सहायता प्राप्त स्कूलों के संचालन के नियमन के लिए विस्तृत नियम बनाये गये हैं । इन नियमों के द्वारा शिक्षा निदेशक उन के प्रबन्ध, अध्यापकों की नियुक्ति तथा उनकी शर्तें, अनुशासन, दण्ड आदि कर्मचारियों को वेतनों के नियमित भुगतान ; फीस और जुर्माना, एवं पाठ्यक्रम, अध्यापन के ढंग तथा स्तर निश्चित के मामलों में नियंत्रण रखता है ।

(घ) हां, श्रीमान । वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुछ स्कूल अपने अध्यापकों को कुछ मास तक वेतन न दे सके ।

(ङ) १७ स्कूलों में भुगतान न होने की शिकायतें मिली थीं । अध्यापकों के वेतनों के भुगतान के मामले में सरकार ने अनुदान तिमाही आधार पर अग्रिम भुगतान करने का प्राधिकार दे कर सहायता अनुदान नियमों को ढीला कर दिया है ताकि स्कूल के प्रबन्धकों को अध्यापकों के वेतनों का समय पर भुगतान करने में कोई कठिनाई न हो । २१ स्कूलों को अप्राधिकृत भुगतान प्राप्त करने की शिकायत मिली थी । इन स्कूलों को यह दण्ड दिया गया कि अप्राधिकृत प्राप्तियों की समूची राशि उनके सहायता-अनुदान की राशि में से काट ली गई ।

(च) अधिकतर गैर सरकारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं और इसलिये सरकार का विचार उन्हें अपने हाथ में लेने का नहीं है ।

सामान्य सैनिकों के लिये कालेज[1]

†*१४९९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य सैनिकों के प्रशिक्षण के लिये एक कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कालेज कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : हां, श्रीमान । भारतीय सैनिक अकादमी से सेना के 'कमीशन्ड' पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कालेज खोलने का निश्चय किया गया है ।

(ख) कालिज नौगांव में खुलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] College for other ranks.

इस्पात का मूल्य

†*१५०२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन आरम्भ होने से देश में इस्पात के मूल्य में कुछ कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति टन मूल्य में कितनी कमी हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर और त्रिपुरा में प्रशासकीय व्यवस्था का पुनर्गठन

†*१५०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर और त्रिपुरा में प्रशासकीय व्यवस्था का पुनर्गठन करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : त्रिपुरा प्रशासन के सचिवालय तथा कार्यालयों की व्यवस्था के पुनर्गठन पर मुख्य आयुक्ता से प्रारम्भिक विचार विमर्श हो गया है । इन विचार विमर्शों के परिणामों स्वरूप प्रशासन द्वारा बनाये गये विस्तृत प्रस्ताव विचाराधीन है । और शीघ्र ही कोई निश्चय किये जाने की संभावना है । इस के बाद मनीपुर में भी ऐसा ही पुनर्गठन किया जायेगा ।

पश्चिमी बंगाल में कोयला

†*१५०४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बगाल के आसनसोल डिवीज़न के बाराकर नगर और ग्रांड-ट्रंक रोड के खतरे वाले कोयला क्षेत्र में चट्टे लगाने (स्टोइंग) की संभाव्यता का पता लगाने के बारे में कोयला बोर्ड ने टेक्निकल जांच-पड़ताल पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के चट्टे लगाने (स्टोइंग) की सिफारिश की गई है ;

(ग) कार्य कब से प्रारम्भ होने वाला है ;

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ङ) क्या राज्य सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर दे दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). समस्या क टेक्निकल जांच-पड़ताल को सुविधाजनक बनाने के लिये कोयला बोर्ड ने उस क्षेत्र में, जहां चट्टे लगाये जाने थे, नीचे बैठाने के लिये एक कूपक तैयार किया है । चट्टे लगाने तथा अन्य सरक्षात्मक की आवश्यकता तथा स्वरूप बोर्ड कूपक का तथा भूगर्भी कार्यों का बोर्ड तथा खानों के मूख्य निरीक्षक के कार्यालय के टेक्निकल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के पश्चात् निर्धारित करेगा ।

(ङ) अभी तक प्रति कर का प्रश्न नहीं उठा है क्योंकि अभी तक उस क्षेत्र का कोई निवासी वहां से नहीं हटाया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान

††१५०६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक संघ की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् द्वारा स्थापित सामुद्रिक अनुसंधान संबंधी विशेष समिति द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में शामिल होने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या ऐसे अभियान में भाग लेने के लिये कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं और उस से कुछ लाभ भी होता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) (ग) तथा (ख). मामला भारत सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) आज कल प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय पौधों के चित्र

†*१५०७. **श्री प्र० के० देब** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वानस्पतिक उद्यान, शिवपुर के सुपरिंटेण्डेण्ट, डा० विलियम रोक्सवर्ग द्वारा भारतीय कलाकारों की सहायता से डेढ़ सौ वर्ष पहले तैयार किये गये भारतीय पौधों के २६०० रंगीन चित्र इस समय बोटेनिकल गार्डन, क्यू, लन्दन के संरक्षण में है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्राप्त करने और भारत भेजने के लिये क्या प्रयत्न किय जा रहे हैं ; और

(ग) क्या ये चित्र प्रकाशित किये गए हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हां, श्रीमन् । परन्तु संख्या लगभग २५०० है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सेट है ।

(ग) इन चित्रों में से ७०० चित्र छप चुके हैं और शेष चित्रों को छापने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पश्चिमी जर्मनी से ऋण

†*१५०८. श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर निम्न बातें बताने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे ;

(क) पश्चिमी जर्मनी की सरकार द्वारा १९५८ में जिस १० करोड़ डालर का ऋण देने का प्रस्ताव किया गया था उस में से अब कितनी राशि ली गई है ;

(ख) ली गई राशि पर ब्याज की दर क्या होगी ;

(ग) क्या १९५८–५९ और १९५९–६० का अंश व्यपगत हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऋण का इस्तेमाल करने में क्या कठिनाईयां हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) अगस्त १९५८ में फीड्रल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने बताया था कि संभव है कि वे द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में भारत को १० करोड़ डालर के बराबर ऋण दे सकें । यह ऋण ४ करोड़, ३ करोड़ और ३ करोड़ की तीन किस्तों में इस उद्देश्य के लिए देने की इच्छा थी कि उस से १९५८–६१ के तीन वर्षों में पश्चिमी जर्मनी में भुगतान किया जाये । ६ जून १९५९ को ऋण की प्रथम किस्त के लिए करार हुआ । यह किस्त १६.८ करोड़ डी० एम० अर्थात ४ करोड़ डालर की होगी । १६.८ करोड़ डी० एम० के ऋण में से १६.७३ करोड़ डी० एम० अब तक ले लिया गया है।

(ख) ली गई राशि में से ४.८ करोड़ डी० एम० की राशि पर, जो पांच वर्ष के लिए है, ५¼ पर सैंट ब्याज लिया जायेगा और १० करोड़ डी० एम० पर (२½ पर सैंट कटौती के अतिरिक्त) ५.७ परसैंट ब्याज लिया जायेगा और यह राशि २० वर्ष के लिए है । ली गई राशि की शेष राशि पर, अर्थात् १.९३ करोड़ डी० एम० पर ब्याज की दर अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई है ।

(ग) तथा (घ). नहीं । ऋण का कोई भी भाग विपगत नहीं हुआ है । ऋण की पहली किस्त के लिए करार ६ जून १९५९ को हुआ था । इस के होते हुए भी कि हम ने पश्चिमी जर्मनी में पूंजीगत वस्तुयें बड़ी मात्रा में खरीदीं थीं, हम ऋण का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता क्यों प्राप्त कर सकें , इस के कारण १३ अगस्त १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के संबंध में बताये गये थे। प्रथम किस्त के देर से लेने और जर्मनी के 'मनी मार्किट' की स्थितियों के कारण भारत सरकार को ऋण की दूसरी किस्त की वार्ता स्थगित करने की

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रणा दी गई थी । यह वार्ता हाल में आरम्भ हुई है और आशा है कि शीघ्र ही करार हो जायेगा ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

†*१५०९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चटर्जी समिति ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी थी, अपना त्याग पत्र वापस ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति अपना कार्य कब आरम्भ कर रही है ;

(ग) जिन कारणों से समिति ने त्याग-पत्र दिया था क्या वे इस बीच दूर हो गये हैं ;

(घ) क्या समिति को विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच करने के लिये पूरी शक्तियां दी जायेंगी ; और

(ङ) समिति का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). समिति के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचित किया था कि कुछ बातों का स्पष्टीकरण हो जाये तो समिति के सदस्य अपना कार्य दुबारा शुरू करने के लिए तैयार है । विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने अभी हाल ही में ही अध्यक्ष को अपना उत्तर भेजा है ।

(ग) से (ङ) तक. प्रश्न के उन भागों का उत्तर देना अभी संभव नहीं है ।

राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा कारों का बेचा जाना

†*१५१०. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री आचार :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री पहाड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा कारों की कथित बिक्री के संबंध में २६ मार्च, १९६० को "टाइम्स आफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी बिक्री से रोकने के बारे में सरकार ने कोई कार्रवाई की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आजकल पुरानी कारों के विक्रय पर कोई मूल्य-नियंत्रण नहीं है। जहां आवश्यकता होती है वहां सरकार की अनुमति से जब तक विक्रय होता है, तब तक विधि का खंडन नहीं होता। अपेक्षित अनुमति बिना कारों के विक्रय के मामलों में संबंधित विदेशी मिशनों से उचित कार्यवाही करने के बारे में वार्ता की जाती है।

रूस के भौमिकी और खनिज संसाधन मंत्री की भारत यात्रा

†*१५११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के भौमिकी और खनिज संसाधनों के मंत्री ने अन्य दो व्यक्तियों के साथ भारत सरकार के निमंत्रण पर हाल में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या प्रयोजन था ; और

(ग) उससे क्या निष्कर्ष निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). मुख्य उद्देश्य भारत में तेल की खोज की प्रगति देखना और तेल तथा अन्य खनिज पदार्थों के विकास संबंधी भूतत्वीय/भू भौतिकीय समस्याओं का अध्ययन करना था ।

उनसे भारत में तेल के संसाधनों के विकास और उसके लिये रूसी सहायता संबंधी साधारण विचार विमर्श किया गया था ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन

†*१५१२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का पूर्णरूपेण पुनर्गठन करने का विचार है ;

(ख) क्या कुछ विदेशी सहायता ली जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो वह सहायता किस प्रकार की होगी और उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) नहीं, श्रीमान् । भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन गत वर्ष किये गये थे। ये परिवर्तन बढ़े हुये कार्य की पूर्ति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभाग को सौंपे गये कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिये किये गये थे। इन परिवर्तनों में अन्य बातों के साथ तीन प्रादेशिक कार्यालयों की स्थापना और इन कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को प्रशासी अधिकार देना भी सम्मिलित था। संभव है कि तृतीय योजना काल में जबकि कार्य बहुत बड़े पैमाने पर करना होगा, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने अनिवार्य हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हमारा मुख्य स्वयं पर ही निर्भर रहने का है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये ब्रिटिश बैंकों द्वारा ऋण

†*१५१३. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात परियोजना की वित्त व्यवस्था करने के लिये ब्रिटिश बैंकों द्वारा जिस ऋण का प्रस्ताव किया गया था उसमें से कितनी राशि ली गई है ;

(ख) ब्याज की दर क्या थी ;

(ग) क्या ब्रिटेन की बैंक दर में हाल में हुई वृद्धि से इस्पात परियोजना की लागत में वृद्धि हो जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह)**: ३१-३-१९६० को एक करोड़ पाउन्ड तक।

(ख) ब्याज दर समय समय पर प्रचलित बैंक आफ इंग्लैंड की कटौती की सरकारी दर से एक प्रतिशत अधिक होगी और कम से कम ४½ प्रतिशत वार्षिक होगी।

(ग) तथा (घ). नहीं, श्रीमान्। ऋण भारत सरकार को दिया गया है। हिन्दुस्तान स्टील में सरकार ने अंश पूंजी लगाई है और उसे ऋण भी दिया है। हिन्दुस्तान स्टील से ब्याज लिया जाता है और इसकी दर का उस दर से कोई संबंध नहीं है जिस पर सरकार विभिन्न साधनों से विदेशी धन प्राप्त करती है।

खोरिया के निकट भारतीय विमान बल के हवाई जहाज का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

†*१५१४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल का एक कैनबरा हवाई जहाज अपनी दैनिक उड़ान में भारतीय विमान बल केन्द्र (आई० ए० एफ० स्टेशन), खोरिया के निकट ३० मार्च, १९६० को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कुल कितनी क्षति का अनुमान लगाया गया है?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) उल्लिखित तारीख को एक कैनबरा हवाई जहाज दैनिक उड़ान करते हुये गिर गया था। कोई मृत्यु नहीं हुई।

(ख) से (घ). दुर्घटना की विमान बल नियमानुसार जांच पड़ताल करने के एक जांच न्यायालय की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। दुर्घटना के कारण और कितनी वित्तीय हानि हुई है ये सब बातें न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने पर ही विदित होंगी।

पंजाब में खेल के मैदान

†२०८१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिये ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं के नाम भेजे हैं जिनके पास खेल के मैदान नहीं हैं या अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या १९५९–६० में पंजाब की ऐसी संस्थाओं को कोई सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नहीं, श्रीमान्। अन्तिम रूप में स्वीकृत योजनाधीन राज्य सरकारों को प्रत्येक संस्था के प्रार्थनापत्र केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजने थे।

(ख) तथा (ग). शैक्षणिक संस्थाओं को खेल के मैदान के लिये भूमि लेने के लिये अनुदान देने के लिये १९५९–६० में पंजाब सरकार के विवेक पर ८०,५०० रु० की राशि रखी गई थी। इस राशि के वितरण के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

नई दिल्ली का हुमायूं का मकबरा

†२०८२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे की देख भाल पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) १९६०–६१ में कितना व्यय होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) ४,१८० रु०।

(ख) ६,३०० रु०।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान

†२०८३. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की कितनी गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं ने १ नवम्बर, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक अनावर्तक अनुदानों के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की ;

(ख) अबतक प्रत्येक संस्था को कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ग) क्या कुछ मामले अब भी अनिश्चित पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अनिश्चित मामले किस तारीख तक निश्चित होंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डॉ० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ६८।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

(ग) हां ।

(घ) निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। मामलों को यथाशीघ्र निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

राजकीय उत्सवों के लिये निमंत्रण-पत्र

२०८४. **श्री वाजपेयी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कितने समारोहों, उत्सवों और भोजों का प्रबन्ध किया गया ; और

(ख) इन में से कितने समारोहों के कार्यक्रम और अतिथियों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र हिन्दी में भेजे गये, कितने अंग्रेजी में और कितने दोनो भाषाओं में भेजे गये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखी जायेगी ।

संगीत नाटक अकादमी का आन्ध्र प्रदेश को अनुदान

†२०८५. **श्री ० मधुसूदन राव** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में आंध्र प्रदेश के किस किस संघ ने संगीत नाटक अकादमी से अनुदान प्राप्त किये और कितने कितने ;

(ख) क्या १९५९-६० में तेलगू ड्रामा के विकास के लिये अनुदान देने का अकादमी का कोई विचार है ; और

(ग) इसकी राशि क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) १९५८–५९ में संगीत नाटक अकादमी ने आंध्र प्रदेश में निम्न संघों को अनुदान दिया :

संघ का नाम	अनुदान की स्वीकृत राशि
	रुपये
(१) कलाक्षेत्रम्, एलुरु .	२,३६५
(२) नव कला केन्द्र, अलवल . . .	२,२००
(३) आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, हैदराबाद . .	७,५००

(ख) तथा (ग). कला मंडल, हैदराबाद को २००० रु० मंजूर किये गये थे।

उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा के लिये धन

†२०८६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में लड़कियों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५९–६० में कितना धन आवंटित किया ;

(ख) राज्य सरकार ने कितना धन व्यय किया ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने १९६०–६१ के लिये धन मांगा है ;

(घ) यदि हां, तो कितना धन मांगा है ; और

(ङ) राज्य सरकार ने राज्य में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार की किन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) ४ लाख रु०।

(ख) दिसम्बर, १९५९ तक ०.६४ लाख रु० और अन्तिम तिमाही में ३.१६ लाख रु० व्यय होने की आशा है।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) १९६०–६१ की शिक्षा विकास योजना में ३.७७ लाख रु० का प्रस्ताव है।

(ङ) आशा है कि १९५९–६० में राज्य सरकार की प्रस्तावित निम्न उप-योजनायें १९६०–६१ में आरम्भ की जायेंगी :—

(१) प्रारम्भिक स्कूल अध्यापक प्रशिक्षार्थियों की छात्रवृतियां तथा उनकी राशि बढाना ;

†मूल अंग्रेजी में

(२) अध्यापकों के लिये, पुनरध्ययन पाठ्यक्रम;

(३) प्रारम्भिक स्कूल के विद्यार्थियों को उपस्थिति छात्रवृत्तियाँ देना;

(४) व्यस्क स्त्रियों के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम;

(५) ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों में महिला अध्यापकों के लिये ५८ क्वार्टरों का निर्माण,

(६) (१) प्रारम्भिक स्कूलों में ४०० नई "स्कूल मदर"[1] की नियुक्ति;

(२) "स्कूल मदर" के लिये लघुकालीन प्रशिक्षण कोर्स,

(३) १९५८–५९ में नियुक्त की गई ४०० को जारी रखना;

जालसाजी निरोधी दस्ता[2]

†२०८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९५९ और अप्रैल, १९६० के बीच जालसाजी निरोधी दस्ता (एंटी फ्राड स्क्वैड) ने समवाय विधि के कितने मामलों में कार्यवाही की ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : फ्राड स्क्वैड ने इस काल में दो नये मामले दर्ज किये और पिछले दो मामलों में कार्यवाही करता रहा ।

दिल्ली नगर निगम

†२०८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय राम लीला मैदान के पास बनाने के प्रस्ताव में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: नगर आयोजन संघ ने मिन्टो रोड क्षेत्र में नागरिक केन्द्र का नमूने का विस्तृत नकशा तैयार किया है । इसमें निगम के लिये कई मंजिलों वाली कार्यालय की जगह और परिषद् कक्ष की व्यवस्था सम्मिलित है। संघ के प्रस्तावों पर निगम विचार कर रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में सांस्कृतिक केन्द्र

†२०८९. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार को सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण के लिये आज तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) प्रत्येक जिले में केन्द्र कहां कहां होंगे ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र पर कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]School Mothers.

[2]Anti Fraud Squad.

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : ग्रामीण क्षेत्रों में खुले थियेटरों के केवल निर्माण के लिये ५,७५० रु० ।

(ख) केन्द्र निम्न स्थानों पर हैं :—

पंचायत का नाम	जिले का नाम
१. कोटौरतला .	विशाखापटनम
२. इन्दुकरपेटा . . .	नेलौर
३. माइदुकुर	कडापाल
४. रामायणपेट . . .	मेडक
५. वाइरे	खम्मामेठ

(ग) राज्य सरकार ने अभी इसकी सूचना नहीं दी है ।

'एम० वी० अन्दमान'

†२०९०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
सरदार अ० सि० सहगल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'एम० वी० अन्दमान' तथा 'एम० वी० निकोबार' नामक सरकारी जहाजों के लिये दिया गया किराया तथा भाड़ा लौटाने के कितने मामले १९५७, १९५८ और १९५९ से क्रमानुसार हार्बर मास्टर, पोर्ट ब्लेयर के पास अनिश्चित पड़े हैं, और इनके निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: हार्बर मास्टर, पोर्ट ब्लेयर के पास किराया लौटाने के १९५७ के ३, १९५८ के २ और १९५९ के ३ मामले अनिश्चित पड़े हैं। हार्बर मास्टर के पास भाड़ा लौटाने का कोई मामला अनिश्चित नहीं पड़ा है।

विलम्ब कारण सुनिश्चित किये जा रहे हैं। एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ।

"एम० वी० अन्दमान" तथा "एम० वी० निकोबार"

†२०९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एम० वी० अन्दमान' और 'एम० वी० निकोबार' नामक सरकारी जहाजों की सैलून, बंक और डैक यात्रियों तथा सामान ले जाने की कुल क्षमता कितनी है ;

(ख) १९५९–६० में वे अपनी प्रत्येक निर्गम तथा आगम यात्रा में सैलून, बंक और डैक के कितने यात्री तथा सामान ले गये और लाये एवं कितना किराया तथा भाड़ा प्राप्त किया ; और

(ग) इसी काल में इन जहाजों पर मोटी मोटी मदों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क)

(१) कुल यात्री क्षमता

	एम० वी० अन्दमान	एम० वी० निकोबार
सैलून . .	६६	१९
बंक .	५५२	३२
डैक . .	—	२१२ (खुला मौसम) १८० (खराब मौसम)

(२) कुल भाड़ा क्षमता

'एम० वी० अन्दमान' . . १,००० टन डी० डब्ल्यू०

'एम० वी० निकोबार' . . . १,००० टन डी० डब्ल्यू०

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशियों का भारत में नियत अवधि से अधिक ठहरना

†२०९२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९६० से ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं जिनमें कुछ विदेशी अपने पारपत्रों की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में ठहरे रहे; और

(ख) वे किन-किन देशों के थे ?

†गृह-कार्य (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

नेफा और त्वेनसांग क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा

†२०९३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा तथा त्वेनसांग क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये क्या किया गया है ;

(ख) उसके क्या परिणाम हुये हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नये पग उठाने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के पग उठाने का विचार किया गया है ; और

(ङ) उपरोक्त क्षेत्र में इस समय कितने प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : नेफा तथा त्वेनसांग क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा इस समय अनिवार्य नहीं की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). जब तक अनिवार्य शिक्षा चालू करने के लिये आधार तैयार नहीं हो जाता तब केवल स्वेच्छा के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाने का विचार है ।

(ङ) ३१ मार्च, १९५९ को नेफा के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या ४,९६७ थी। त्वेनसांग क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

राकफेलर अनुदान

†२०९४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में भारत में राकफेलर निधि से दिये गये अनुदान में से प्रत्येक राज्य को कितना-कितना दिया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राकफेलर फाउन्डेशन "सम्पूर्ण विश्व में मानव के कल्याण में वृद्धि करके के लिये" एक गैर-सरकारी लोक हितैषी संगठन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चार्टर्ड है और भारत में १९२० से काम कर रहा है। यह फाउन्डेशन वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध धन को मेडिकल शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, मानवशास्त्र तथा समाज शास्त्र आदि नाम के अपने विभागों में बांट देता है। फाउन्डेशन मुख्य सहायता व्यक्तियों को छात्र-वृत्तियां तथा यात्रा अनुदान देकर और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को सहायतानुदान देकर करता है । सहायता प्रत्येक सरकार को अलग-अलग नहीं दी जाती और राज्यवार तो कभी नहीं दी जाती। वर्ष १९५९-६० में दिसम्बर तक (जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) भारत में विभिन्न पार्टियों को लगभग १,८३९,९१५,०० डालर के अनुदान दिये गये ।

अम्बाला छावनी में खेल के मैदान

†२०९५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला छावनी में जनता के लिये कितने खेल के मैदान हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : एक 'गांधी मैदान' में है। इसके अलावा छावनी बोर्ड हाई स्कूल से लगा हुआ एक खेल का मैदान भी है। जब कभी स्कूल के अधिकारी उसे दे पाते हैं, वह जनता के लिये मैचें करने के लिये मिल जाता है ।

राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति योजना

२०९६. श्रीमती मिनीमाता : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश से उच्च अध्ययन के लिये कितने छात्र चुने गये ; और

(ख) उनमें से कितनी छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों के छात्रों को दी गईं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर): (क) और (ख). कामनवेल्थ स्कालरशिप और फेलोशिप योजना १९६० से शुरू हुई है और इसलिये इससे पहले कोई चुनाव नहीं हुये ।

टैगोर की प्रतिमा

२०९७. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रवीन्द्र भवन में स्थापित किये जाने के लिये श्री रवीन्द्र नाथ टेगोर की प्रतिमा किसी भारतीय शिल्पकार के द्वारा बनाई जा रही है, या वह विदेश में तैयार हो रही है ; और

(ख) वह कब तक तैयार हो जायेगी ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर): (क) कुछ प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकारों से नमूने बनाने के लिये कहा गया है ।

(ख) उम्मीद है कि यह मूर्ति मई १९६१ में होने वाली टैगोर जयन्ती के पहले तैयार हो जायेगी ।

"गोदान" का अनुवाद

२०९८. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित "गोदान" का अनुवाद इस समय किस अवस्था में है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): "भारत की प्रतिनिधि क्लासिक कृतियों का पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद" करने की यूनेस्को की योजना के अन्तर्गत "गोदान" का अनुवाद अंग्रेजी और फ्रेंच में होना है ।

इस पुस्तक का फ्रेंच में अनुवाद तैयार हो गया है और छप रहा है। अंग्रेजी में भी अनुवाद पूरा हो गया है और छपना बाकी है ।

साहित्य सेवियों को सहायता

२०९९. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में कितने लेखकों और साहित्य सेवियों को सरकार द्वारा सहायता दी गई; और

(ख) उनमें से कितने हिन्दी लेखक हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) "साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोगों को गरीबी की हालत में वित्तीय सहायता देना" की योजना के अधीन १०७ लेखकों को १९५८-५९ में सरकारी मदद दी गई है ।

(ख) आठ ।

मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

२१००. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में मध्य प्रदेश की कितनी सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान दिये गये ; और

(ख) अनुदानों की कुल कितनी राशि दी गई ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर): (क) और (ख). मंत्री के डिसक्रेशनरी फण्ड से कालिदास समारोह समिति, भोपाल को ७५०० रुपये और मध्य प्रदेश कला परिषद् की योजनाओं और संग्रहालयों के विकास के लिये राज्य सरकार को क्रमश: ४००० रुपये और ४०,६०० रुपये दिये गये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

२१०१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में आन्ध्र प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिकों को अपनी जीविका कमाने के लिये काश्त करने के हेतु भूमि दी गई है ; और

(ख) इसी अवधि में यदि उनको कोई वित्तीय सहायता दी गई तो वह क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश के स्कूलों में खेल-कूद

†२१०२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९-६० तथा १९६०-६१ में आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न कालेजों तथा संस्थाओं में खेल-कूद बढ़ाने के लिये उन्हें कितना अनुदान स्वीकार किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : खेल के मैदान प्राप्त करने तथा खेल कूद का सामान खरीदने के लिये शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के हेतु वर्ष १९५९-६० में आन्ध्र प्रदेश को ६२,५०० रुपये मंजूर किये गये थे । राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक उपरोक्त राशि में से ६१,४५१ रुपये की संलग्न विवरण में दिखाये गये रूप में शिक्षा संस्थाओं को दी गई । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]** अभी तक वर्ष १९६०-६१ के लिये धन का आवंटन नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय ऋण

†२१०३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६० को उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार का कुल कितना ऋण देना था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ मार्च, १९६० तक केन्द्रीय ऋण पर उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितना ब्याज देना था ;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय ऋण किन-किन मदों के अन्दर दिया गया है ; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऋण में से कुछ का भुगतान किया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (घ). क्योंकि वर्ष १९५९-६० का लेखा अभी चालू है अत: माननीय सदस्य द्वारा उस वर्ष के बारे में पूछी गई जानकारी इस अवस्था में नहीं दी जा सकती। तथापि ३१ मार्च, १९५९ को उत्तर प्रदेश को १७१.९९ करोड़ रुपये देने थे और वर्ष १९५८-५९ में ब्याज के रूप में ३.७३ करोड़ वसूल किये गये। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस वर्ष ८.१० करोड़ के ऋण का भी भुगतान कर दिया।

(ग) कई कामों के लिये ऋण दिया जाता है, उनमें से मुख्य काम हैं : अधिक अन्न उपजाओ योजनायें, अल्प बचत संग्रहों में राज्यों का हिस्सा, सामुदायिक विकास परियोजना, स्थानीय विकास कार्य, पुनर्वास, आदि।

अमृतसर जिले में सोने का तस्कर व्यापार

†२१०४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में अमृतसर (पंजाब) के जिले में सोने के तस्कर व्यापार के कितने मामले पकड़े गये ;

(ख) कुल कितना सोना बरामद हुआ ; और

(ग) इसके तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १४६।

(ख) ५,५०३ तोला।

(ग) यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

एम० ई० एस० में ठेके की पद्धति

†२१०५. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० ई० एस० में ठेके की पद्धति खत्म करने अथवा कम करने के लिये आगे किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) १९५९-६० में एम० ई० एस० में विभागीय श्रमिकों तथा ठेकेदारों द्वारा अलग-अलग कितने का काम कराया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) एम० ई० एस० में ठेके की पद्धति खत्म करने अथवा समाप्त करने से जिन अनेक समस्याओं के पैदा होने की संभावना है उसकी दृष्टि में इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया जा रहा है। मामले को तय करने में कुछ और समय लगने की संभावना है।

(ख) ठेकेदारों द्वारा	लगभग १०.४४ करोड़ रुपये
विभागीय रूप से लगाये गये श्रमिकों के द्वारा	लगभग ४.३७ करोड़ रुपये

उड़िया नाटक

†२१०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़िया ड्रामा की तरक्की के लिये १९५९-६० में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अनुदान देने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये विभिन्न संस्थाओं को कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)**: (क) और (ख). संगीत नाटक अकादमी ने उड़ीसी नृत्य तथा नाटक के लिये राष्ट्रीय संगीत संस्था कटक को ३,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया है।

इस्पात का स्फटीयन[1]

†२१०७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप भारत में वाणिज्यिक स्तर पर इस्पात का स्फटीयन कार्य आरम्भ किया जा सकता है ;

(ख) ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या इस उद्योग की स्थापना के लिये लाइसेंस हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार इस काम को सरकारी क्षेत्र में कराना चाहती है ;

(घ) क्या इससे विदेशी मुद्रा में बचत होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) इसकी प्रक्रिया की परीक्षा जमशेदपुर की प्रयोगशाला में अग्रिम संयंत्र के स्तर पर की जा रही है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यह काम वाणिज्यिक स्तर पर आरम्भ किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Aluminizing of Steel.

(ख) यह अनुमान है कि ३००० टन की अल्यूमिनाइज्ड चादरों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र के लिये लगभग २६ लाख रुपयों की आवश्यकता होगी ।

(ग) किसी भी गैर सरकारी पार्टी से कोई भी प्रार्थनापत्र नहीं प्राप्त हुआ है ; सरकार के पास भी सरकारी क्षेत्र में ऐसे संयंत्र की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) और (ङ) . किसी निश्चित योजना के अभाव में विदेशी मुद्रा की बचत का कोई अनुमान नहीं दिया जा सकता ।

विभिन्न शिक्षा संस्थाओं म तालमेल

†२१०८. **श्री च० का०-भट्टाचार्य** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५९ में जबलपुर में अखिल भारतीय विज्ञान अध्यापक सम्मेलन में पास किये गये संकल्प में बताये गये रूप में शिक्षा विभागों तथा प्रविधिक विभागों के बीच तथा विभिन्न स्तर की शिक्षाओं के प्रभारी अभिकरणों के बीच तालमेल सम्बन्धी नीति निर्धारित करने के लिये एक आयोग करने के हेतु क्या कोई प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आगरे का किला

†२१०९. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरे के किले की दीवारों पर पीपल के कुछ पेड़ तथा अन्य पौदे उग आये हैं जिनसे दीवारों की दशा बिगड़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या किया गया है अथवा करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) किले की दीवारों की देखभाल करने वाले सैनिक पदाधिकारियों ने दीवारों की रक्षा की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया है और वे उन पर उगे हुये बड़े-बड़े पौधों को हटा रहे हैं तथा दीवारों की मरम्मत भी कर रहे हैं ।

उड़ीसा में संग्रहालय

†२११०. **श्री वित मिश्र पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने संघ सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने पर १९५९-६० में संग्रहालयों के विकास के लिये ६०,००० रुपये व्यय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन संग्रहालयों पर राज्य सरकार ने व्यय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) (१) राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर

(२) खीचिंग का संग्रहालय

(३) बेलखंडी का संग्रहालय

उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर

†२१११. श्री वितामणि पाणिग्रही : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में उड़ीसा राज्य के संग्रहालय को १९६०–६१ में कोई धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में भुवनेश्वर के राज्य संग्रहालय को अब तक कितनी धन राशि नियत की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) भुवनेश्वर के राज्य संग्रहालय के विकास के लिये राज्य सरकार को अभी तक २,५०,००० पय की राशि दी गई है ।

हिमाचल प्रदेश में भवनों का निर्माण

२११२. श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये भवनों के निर्माण और बनाये जा रहे भवनों को पूरा करने के हेतु जो २८३.७०७ लाख रुपये की राशि नियत की गई थी क्या वह इस बीच खर्च हो गई है ; और

(ख) क्या योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों के नामों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) हिमाचल प्रदेश के १९५९–६० के बजट अनुमान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिये कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई थी । योजना के अन्तर्गत भवनों और दूसरे मकानों के लिये उस वर्ष में ८८.१४ लाख रुपये की बजट व्यवस्था थी । इसके समक्ष १९५९–६० में इस काम के लिये अन्तिम अनुदान १०९.५२८ लाख रुपये था, जिसमें से ८.१३२ लाख रुपये योजना के अन्तर्गत भवनों के लिये थे । ऐसा अनुमान है कि यह सारी राशि वर्ष की समाप्ति तक खर्च हो गई होगी ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प बचत योजना

२११३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में अल्प बजत योजना के अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) नगरों और ग्रामों से अलग अलग कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) खण्ड तथा गैर-खण्ड क्षेत्रों से अलग अलग कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(घ) नगरों और ग्रामों में रहने वाले अमीरों तथा गरीबों को अल्प बचत योजनाओं में अंशदान देने के लिये समान रूप से प्रोत्साहित करने के हेतु सरकार १९६० में आगे क्या करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) क्रमश: ७९.०४ करोड़ रुपया (वास्तविक) और ७८.८० करोड़ रुपया (वास्तविक) ।

(ख) और (ग). इन क्षेत्रों के लिये अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) छोटी छोटी बचतों के आन्दोलन को चलाने के काम की लगातार जांच की जाती है और देहाती और शहरी इलाकों में इस आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये, जरूरत पड़ने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । केन्द्र और राज्यों के राष्ट्रीय बजत सलाहकार बोर्ड भी इस काम में सहायता देते हैं ।

बैरकपुर में एम० ई० एस० के कर्मचारी

†२११४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरकपुर (२४ परगना) में एम० ई० एस० के कर्मचारियों तथा अन्य प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मकान का किराया तथा अन्य प्रतिकर भत्ते दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ग) क्या यह भत्ता सभी वर्ग के कर्मचारियों को दिया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) उत्तर बैरकपुर नगरपालिका की हद में स्थित एम० ई० एस० के कर्मचारियों सहित प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों को मकान का किराया तथा प्रतिकर भत्ते दिये जा रहे हैं ।

(ख) ईशापुर में, जो उत्तरी बैरकपुर नगरपालिका की हद में है, १ मार्च, १९४९ से और नगरपालिका के शेष क्षेत्र में १ मई, १९५८ से ।

(ग) ये भत्ते प्रतिरक्षा विभाग के गैर-गजेटेड असैनिक कर्मचारियों को, जिनका वेतन (महंगाई मिलाकर) २३० रुपये मासिक से अधिक नहीं है, दिये जाते हैं, जिन लोगों का वेतन इससे अधिक होता है इनके मामले में थोड़ा बहुत समायोजन अवश्य कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति

†२११५. **श्री राधा रमण :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले गत १२ महीनों में भारतीय सेना के कितने गैर-कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों ने अपनी वर्तमान सेवा से निवृत्त पाने तथा पेन्शन की सूची पर रखे जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया ;

(ख) ऐसे कितने प्रार्थियों को सेवानिवृत्ति की अनुमति दी गई और कितनों को अनुमति नहीं दी गई ;

(ग) क्या प्रार्थियों ने अपने प्रार्थनापत्रों में कोई कारण बताये थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). जानकारी विभिन्न रेजीमेन्ट्स सेना दल और अभिलेख कार्यालयों से एकत्र की जायेगी तथा इस समय उपलब्ध नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश में भवन-निर्माण

२११६. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में भवनों के निर्माण में बहुत समय लगता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह विलम्ब सीमेन्ट और लोहे की नालीदार चादरों के न मिलने के कारण होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भवन-निर्माण की कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अनुसार लोहे की चादरों और सीमेन्ट की बजाय स्थानीय सामग्री जैसे इमारती लकड़ी, स्लेट और पत्थर का प्रयोग किया जाये ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) हिमाचल प्रदेश के जिन स्थानों में सड़कें जाती हैं वहां भवनों के निर्माण में सामान्य समय लगता है किन्तु चीनी और पांगी जैसे दुर्गम तथा पहाड़ी इलाकों में यातायात की कठिनाई है, कुशल मजदूर और ठेकेदार नहीं मिलते और काम करने का मौसम भी सीमित रहता है । अतः भवनों के निर्माण में कुछ अधिक समय लगता है ।

(ख) और (ग). सीमेन्ट या लोहे की चादरों के न मिलने के कारण निर्माण कार्य में देरी नहीं हुई । जहां तक संभव है, भवनों के निर्माण में स्थानीय सामग्री काम में लाई जाती है ।

दक्षिण कलकत्ता में उप-चुनाव

†२११७ **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कलकत्ता संसदीय उपचुनाव के लिये कोई तारीख निश्चित हो गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) निर्वाचन आयोग ने कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के सम्बन्ध में उक्त उपचुनाव के विभिन्न प्रक्रमों के लिये निम्नलिखित तारीखें नियत की हैं :—

(१) २ अप्रैल, १९६०—नाम निर्देशन करने के लिये अन्तिम तारीख;

(२) ५ अप्रैल, १९६०—नाम निर्देशन की जांच की तारीख ;

(३) ८ अप्रैल, १९६०—नाम वापिस लेने की अन्तिम तारीख ;

(४) १ मई, १९६०—अयदि आवश्यक हुआ तो इस तारीख को मतदान लिया जायेगा ; और

(५) ७ मई, १९६०—इस तारीख के पहले चुनाव पूरा हो जायेगा ।

सभा-पटल पर सम्बन्धित अधिसूचना की एक प्रति रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन, अन्दमान

†**२११८. श्री प्र० के० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक कितना धन नियत किया गया है तथा व्यय किया गया है ; और

(ख) अभी तक उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). अन्दमान में अन्दर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४९,००,००० रुपये नियत किये गये हैं । भारत में उपयुक्त पोत उपलब्ध नहीं थे और न वे विदेशी मुद्रा के अभाव में विदेशों से खरीदे जा सके । अतः देशी निर्माताओं से उपयुक्त पोत बनाने के लिये टेन्डर मांगे गये थे । वे हाल ही में प्राप्त हुये हैं और उनकी जांच की जा रही है । शीघ्र ही आदेश दिये जाने वाले हैं ।

अन्दमान में भूमि का पुनः बन्दोबस्त

†**२११९. श्री प्र० के० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान भूमि के बन्दोबस्त तथा बस्तियां बसाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक कितना धन नियत किया गया है तथा व्यय किया गया है ;

(ख) कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है तथा काश्त के योग्य पाई गई है ; और

(ग) वहां कितने परिवार बसाये गये हैं तथा उनमें से कितने पास्किातान के विस्थापित परिवार हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) नियत की गई धन राशि १३० लाख रुपये

जनवरी १९६० तक व्यय की गई धनराशि ६७.३६५ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १४,१८० एकड़ ।

(ग) परिवारों की कुल संख्या २,६४३ ।

पाकिस्तान के विस्थापित परिवार २,३६३ ।

समाज कल्याण केन्द्र

†२१२०. **श्री कुम्भार :** क्या **शिक्षा** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या उड़ीसा में समाज कल्याण केन्द्रों की जिलेवार जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में अब तक प्रत्येक वर्ष इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र में कितनी धन राशि व्यय हुई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उड़ीसा में कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित धनराशि दी है :

१९५४–५५	३०,१७२ रुपये	प्रथम योजना
१९५५–५६	१,२९,००० रुपये	
१९५६–५७	१,७३,५०० रुपये	द्वितीय योजना
१९५७–५८	१,६३,००० रुपये	
१९५८–५९	२,२१,५०० रुपये	
१९५९–६०	३,५१,५०० रुपये	

(ग) केन्द्रवार व्यय के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

१९६१ की जनगणना

†२१२१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ की जनगणना का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५१ की जनगणना से इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या अन्तर है ;

(ग) क्या किसी राज्य ने प्रश्नावली में से 'जाति' निकाल देने पर आपत्ति की है ;

(घ) यदि हां, तो उस राज्य का नाम क्या है ;

(ङ) क्या जाति की गणना न करने के औचित्य के बारे में संघों, नेताओं और संगठनों की राय मांगी गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां ।

(ख) आगामी जनगणना में नगरीय-ग्राम्य प्रव्रजन, पेशों-धंधों और उद्योगों तथा घरेलू उद्योगों व खेतीबाड़ी की जीवन-निर्वाह सम्बन्धी विशेषताओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) और (च). इसे आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि जाति-पांति का अन्त संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही है ।

दक्षिण भारतीय भाषायें

२१२२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करने के लिये इस बीच **और** क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मांगी गई सूचना का विवरण साथ लगा है ।

विवरण

उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रगति देने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान कमिशन ने १९५९–६० वर्ष के दौरान में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को ५९,६५० रुपये की राशि (आवर्ती और अनावर्ती) इस प्रकार दी ।

विश्वविद्यालय	खर्च की मद	दी हुई राशि
अलीगढ़	अमला	४,००० रु० (आवर्ती)
	पुस्तकें, मैगजीन और पत्रिकाएं	५,००० रु० (अनावर्ती)
	फर्नीचर	५,००० रु० (अनावर्ती)
दिल्ली	अमला	२४,००० रु० (आवर्ती)
	पुस्तकें	१०,००० रु० (आवर्ती)
	पुस्तकें	१०,००० रु० (अनावर्ती)
	तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्नड़ जैसी विभिन्न भाषाओं के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिये चार दक्षिण भारतीय विशेषज्ञों का सफर भत्ता	१,६५० रु०
	जोड़	५९,६५० रुपये

हिन्दी विभाग

२१२३. श्री भक्त दर्शन : क्या **शिक्षा** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी विभाग को स्थायी बनाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : इस मंत्रालय के हिन्दी विभाग को स्थायी बनाने या न बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था। इस विभाग द्वारा बनाई गई हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली और हिन्दी शब्दकोष के कार्य को स्थायी प्रकृति का नहीं ठहराया गया था इसलिये इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया था। अब चूंकि १-३-६० से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय—एक अधीन संगठन—स्थापित हो चुका है इसलिये नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इसको स्थायी बनाने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जायगा।

शराब के लिए अखिल भारतीय परमिट

†**२१२४. श्री रामी रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार शराब के लिय अखिल भारतीय परमिट देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में राज्य-सरकारों की राय ले ली गई है ?

†**गृह कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उच्चतम-न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपीलें

†**२१२५. श्री बै० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में दीवानी और फौजदारी की अपीलें, वैधानिक मसले और पुनरावलोकन याचिकायें उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बकाया कार्य को पूरा करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (घ). यह जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थायें

२१२६. श्री पद्म देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं की संख्या (विषय-वार) क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ये संस्थायें केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिये ही हैं अथवा देश के अन्य लोगों के लिये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभागके अधीन केवल ३ प्रशिक्षण संस्थायें हैं । तीनों ही संस्थायें अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये हैं ।

(ख) प्राथमिक रूप से ये सभी प्रशिक्षण संस्थायें हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिये हैं पर जहां स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलते हैं वहां खाली स्थानों पर उतने ही उम्मीदवार बाहर से ले लिये जाते हैं ।

पटना के आय कर अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों का दिया जाना

†२१२७. **श्री बी० दास गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना के 'ए' वार्ड के आय-कर अधिकारी ने १९५६-५७ और १९५७-५८ वर्षों के सम्बन्ध में निर्धारियों के विरुद्ध प्रमाणपत्र जारी कर दिये हैं और अभ्याग्रहण आरोपण[1] कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन के विरूद्ध प्रमाण पत्र जारी किये गये और अभ्याग्रहण आरोपण किये गये हैं ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति उन वर्षों का आय-कर समय रहते अथवा अग्रिम ही अदा कर चुके हैं ;

(घ) कितने केसों में ऐसी राशि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं जो पहले ही अदा की जा चुकी हो ;

(ङ) क्या बिहार तथा उड़ीसा के आयकर आयुक्त को पटना के किसी निर्धारि से इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ के निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में जारी किये गये कुल प्रमाणपत्रों की संख्या क्रमशः ६५ और १२१ थी ।

(ग) और (घ). ऊपर जिन १८६ केसों का जिक्र किया गया है, उनमें से तीन के सम्बन्ध में आगे चल कर यह ज्ञात हुआ कि वह कर पहले ही अदा कर चुके हैं । लेकिन, इनमें से एक केस ऐसा था जिसमें भुगतान कहीं जा कर वित्तीय वर्ष के अन्त में किया गया था और भुगतान सम्बन्धी जानकारी प्रमाणपत्र जारी करने के पहले नहीं मिल पायी थी । अन्य दो केसों में यद्यपि भुगतान पहले ही किया जा चुका था, फिर भी चालान नहीं आये थे इसलिये आय-कर अधिकारी के पास भुगतान किये जाने का कोई रेकार्ड नहीं था । इन तीनों केसों में भुगतान किये जान का सत्यापन हो जाने के बाद यह प्रमाण-पत्र वापस ले लिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Attachment levied.

(ङ) जी हां, केवल एक केस में ।

(च) १९५६–५७ और १९५७–५८ के निर्धारण-वर्षों के सम्बन्ध में आवश्यक पूछ-ताछ की गयी थी । इन दोनों वर्षों के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र उस समय जारी किये गये थे जब कि यह मांगें बकाया में पड़ गयी थीं। १९५६–५७ के निर्धारण वर्ष में प्रमाण-पत्र उस दण्ड के सम्बन्ध में था जो कर अदा न करने के कारण लगाया गया था । जब बाद में यह सिद्ध हो गया कि कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका था तो दण्ड को रद् कर प्रमाण-पत्र वापस ले लिया गया था । १९५७–५८ के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र इस कारण जारी किया गया था कि मांग का अधिकांश बकाया में पड़ गया था । विभागीय अधिकारियों ने निर्धार्य को स्थिति समझा दी है और उसने इस बीच शेष बकाया के लिये चेक भेज दिया है ।

उदार किये गये पेंशन सम्बन्धी नियम

†२१२८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार बनाये गये पेंशन सम्बन्धी नियमों के अधीन ग्राह्य मत्यु-व-सेवा निवृत्ति उपदान को उपहार के रूप में घोषित करने वाला वित्त मंत्रालय का १९ फरवरी, १९५७ का ओ० एम० संख्या २०/(५)—ई० वी०/५७ देश के कानूनों के अनुरूप है ; और

(ख) क्या इस नियम को उन कर्मचारियों के लिये वाध्यता मूलक बनाया जा सकता है जो उस तारीख से पहले नौकरी में आये थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

प्रतिरक्षा अनुसन्धान कार्यक्रम

†२१२९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के सैनिक इंजीनियरिंग और प्रयोग सम्बन्धी संस्थापन के निदेशक सर डोनाल्ड बेली ने दिल्ली में सैनिक अधिकारियों के समक्ष भाषण करते हुए इस देश में प्रतिरक्षा अनुसन्धान कार्यक्रम को, विशेषरूप से सैनिक इंजीनियरिंग से सम्बन्धित कार्यक्रम को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके भाषण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारत सरकार उनके सुझावों को किस सीमा तक क्रियान्वित करेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) उनके भाषण की मुख्य बातें यह थीं :—

१. देश में उपकरणों को विकसित करने के लिये ठोस आधार पर एक प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. अनुसन्धान कर्त्ताओं को अनुमोदित बजट की सीमाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक छूट दी जानी चाहिये ।

३. विकास में लगने वाले समय के कारण होने वाले विलम्ब को कम करने के लिये प्रक्रिया को, जिसमें वित्तीय प्रक्रिया भी शामिल है, सरल बनाना चाहिये।

(ग) सरकार को यह पता है कि किस अनुसन्धान व विकास संगठन के उचित एवं कुशलता पूर्वक कार्य करने के सम्बन्ध में उपरोक्त बातें बड़ा महत्व रखती हैं । फिर भी इनके क्रियान्वित किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है हालांकि इस दिशा में गहन एवं निरन्तर रूप से विचार व प्रयास चल रहे हैं ।

सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां

†२१३०. **श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में किसी स्तर विशेष तक की नियक्तियां करने से पहले मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त न करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का स्वरूप क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) पहले सरकारी स्वामित्व निगमों के (चेयरमेन, मैनेजिंग डाइरेक्टर, और जनरल मैनेजर को छोड़कर) ऐसे पदों पर, जिनका अधिकतम वेतन २००० रुपये होता था नियुक्तियों के लिये मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को निर्देश करना पड़ता था लेकिन अब यह निश्चय किया गया है कि अब (चेयरमैन, मैनेजिंग डाइरेक्टर, और जनरल मैनेजर को छोड़कर) केवल ऐसे पदों के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति को निदश करना आवश्यक होगा जिनका अधिकतम वेतन २००० रुपये से अधिक हो ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के लिये गृह-निर्माण योजना

†२१३१. **श्री मोहन नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों की गृह-निर्माण योजनाओं के लिये १९५९–६० में कितनी राशियां मंजूर की गयी थीं ;

(ख) क्या दी गई राशि पूर्णतः व्यय हो गयी है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के लिये इस योजना के अधीन १९५९–६० में कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिये २ लाख और राज्य-क्षेत्र वाली योजनाओं के लिये १ लाख रुपये ।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी अभी राज्य सरकार ने नहीं भेजी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीजापुर को 'गोल गुम्मट'

†२१३२. { **श्री द० अ० कट्टी :**
{ **श्री माने :**

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बीजापुर का 'गोल गुम्मट' बड़ी ही खराब दशा में है और उसकी तत्काल मरम्मत आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी मरम्मत के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ग) इसकी मरम्मत पिछली बार कब की गयी थी ; और

(घ) इसकी मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गयी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) यह स्मारक काफी अच्छी सुरक्षित दशा में है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पिछली बार विशेष मरम्मत १९५९–६० में आरम्भ की गयी थी और अब भी चल रही है ।

(घ) १९५९–६० में ३७,९७६ रुपये ४६ नये पैसे ।

इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड, गोहाटी

†२१३३. **श्री बसुमतारी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड गोहाटी की औद्योगिक बस्ती के भवनों का उपयोग कर रही है जिसका असर उक्त बस्ती के कार्य की प्रगति पर पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितने समय तक उन भवनों पर कब्जा किये रहेंगे ; और

(ग) तेल शोधक कारखाने पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां। क्योंकि ऐसे अनेक शेड अब भी खाली पड़े हैं इसलिये एक शेड का इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा उपयोग किये जाने का औद्योगिक बस्ती की प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) अक्टूबर, १९६० तक ।

(ग) ३० मार्च, १९६० तक १७१.६७ लाख रुपये ।

राज्यों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन

†२१३४. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "न्याय प्रशासन के सुधार" के सम्बन्ध में विधि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये निकट भविष्य में राज्यों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाने वाला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन की संभावित तारीख क्या होगी ;

(ग) क्या इस सम्मेलन में चर्चा के विषय में कोई कार्यावलि तैयार की गयी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि अधिकांश सिफारिशों का राज्यों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है फिर भी राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजने में समुचित दिलचस्पी नहीं दिखाई है ; और

(ङ) कौन-कौन से राज्य अपनी प्रतिक्रियायें भेज चुके हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी कोई तारीख नियत नहीं की गयी है ।

(ग) अस्थायी कार्यावलि तैयार कर राज्य सरकारों के पास भेज दी गयी है । कार्यावलि को अन्तिम रूप देना अभी शेष है ।

(घ) अधिकांश सिफारिशों का राज्यों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । लेकिन, यह कहना सही नहीं होगा कि राज्य सरकारों ने प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणियां भेजने में समुचित दिलचस्पी नहीं दिखाई है । यह प्रतिवेदन वृहदाकार है जिसमें १२८२ पृष्ठ हैं और बहुत सी सिफारिशें इसमें की गयी हैं । यह सिफारिशें दूरव्यापी, और जटिल हैं और न्याय प्रशासन की पूरी व्यवस्था के बारे में हैं और इसी लिये इस बात की पूरी संभावना है कि अपनी टिप्पणियां देने से पहले प्रतिवेदन का अध्ययन करने में राज्य सरकारों को काफी वक्त लग जायेगा ।

(ङ) टिप्पणियां अभी तक केवल मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई हैं और वह केवल थोड़ी सी सिफारिशों के बारे में हैं ।

आय-कर से छूट

†२१३५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालिकों द्वारा अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये बनाये गये मकानों की आमदनी को १९५९ से आय-कर से मुक्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तमाखू की खेती

†२१३६. **श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री १६ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनधिकृत रूप से तमाखू की खेती के उस मामले का विवरण क्या है जो न्यायनिर्णयाधीन है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : बताया जाता है कि जिला व तहसील गुड़गांव के निवासी श्री सैदी के पुत्र श्री शेरसिंह ने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी नियम, १९४४ के नियम, १५ के अधीन घोषणा किये बिना ही २० सेन्ट भूमि पर तमाखू की खेती कर ली और ३ मन कची तमाखू पैदा कर ली थी जिसका उन्होंने उपभोग कर लिया । उन्हें नोटिस दिया गया था और अपने जवाब में उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया कि १९५८–५९ की फसल में उन्होंने तमाखू की खेती की थी । और आगे जांच जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संगीत नाटक अकादमी के अनुदान

†२१३७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने सांस्कृतिक संगठनों को १९५९–६० में दिये जाने वाले अनुदानों के विषय में इस बीच निर्णय कर लिया है ; और

(ख) आंध्र प्रदेश में इसी अवधि में कितने संगठनों को (संगठन वार) अनुदान दिये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) अकादमी ने १९५९–६० में आंध्र प्रदेश की निम्न लिखित संस्थाओं को अनुदान मंजूर किये हैं :—

संगठन का नाम	राशी
१. कला क्षेत्रम्, एलरू .	३,६०० रुपये ।
२. कला मंडल, हैदराबाद . .	२,००० रुपये ।
३. आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, हैदराबाद . .	३,६०० रुपये ।

दिल्ली पुलिस

†२१३८. **श्री रामेश्वर टाँटिया** : क्या **गृह- कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में जनता से अच्छे नागरिकों जैसा व्यवहार कराने में पुलिस की सहायता लेने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

वर्ग ३ और वर्ग ४ के पद

†२१३९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ मार्च, १९६० को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संबद्ध कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्कों और वर्ग ४ के कितने पद कितने **कितने** समय से रिक्त थे ;

(ख) क्या पुनर्वास तथा रोजगार के महा निदेशक को इन पदों की सूचना दी गयी है ताकि छंटनी किये गये कर्मचारियों को इन पदों पर रखा जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो खाली पद छंटनी किये गये कर्मचारियों द्वारा संभवतः कब तक भर दिये जायेंगे ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और इसके संकलन में काफी समय और परिश्रम लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और संबद्ध कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्कों के सभी पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरे जाते हैं । इसलिये पुनर्व्यवस्था तथा रोजगार के महानिदेशक को इन रिक्त स्थानों की सूचना देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक अन्य कार्यालयों के लोअर डिवीजन क्लर्कों तथा वर्ग ४ के कर्मचारियों का प्रश्न है, जब तक कि किसी के विषय में कोई विशिष्ट नियम विहित न किया गया हो, वर्तमान आदेशों के अनुसार पुनर्व्यवस्था तथा रोजगार के महानिदेशक को सभी रिक्त स्थानों की सूचना देनी होती है ताकि उन स्थानों को उनके पास उपलब्ध फालतू कर्मचारियों से भरा जा सके।

(ग) पुनर्व्यवस्था तथा रोजगार के महानिदेशक छंटनी किये गये कर्मचारियों को उपलब्ध रिक्त स्थानों में लगा देने का यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं।

चीनी राष्ट्रजनों को प्रदान की गई भारतीय नागरिकता

२१४०. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के उपरान्त कितने चीनी राष्ट्रजनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : जुलाई, १९५६ के पश्चात् जबकि नागरिकता अधिनियम, १९५५ के अधीन भारतीय नागरिकता अवाप्ति के नियम जारी किये गये थे, दस चीनी राष्ट्रजनों को देशीयकरण के प्रमाण पत्र दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों के साथ विवाहित तीन चीनी स्त्रियों को रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है ।

विदेशी छात्रों के लिए हिन्दी छात्रवृत्तियां

२१४१. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हिन्दी का अध्ययन करने के लिये कितने विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ; और

(ख) उनमें कितने रूसी छात्र हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९ ।

(ख) २ ।

त्रिपुरा में पंचायतें

†२१४२. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा त्रिपुरा की पंचायतों के निर्माण के बाद उन की देख-रेख और नियंत्रण का कार्य त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद् को ही सौंप देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा की पंचायतों के लिये आवश्यक नियम तैयार करने में त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद् से परामर्श किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ की धारा २८ के उपबन्धों के अनुसार त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद् को पंचायतों की देखरेख और नियंत्रण का अधिकार तो पहले से ही प्राप्त है । भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा ५४ (२) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में बनाये गये प्रादेशिक परिषद् नियम, १९५७ के नियम ९९ में यह स्पष्ट कर दिया है कि परिषद् को किस सीमा तक पंचायतों की देखरेख करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(ख) त्रिपुरा के मुख्यायुक्त पंचायतों के निर्वाचनों के लिये आवश्यक नियम तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, १९४७ (त्रिपुरा पर लागू किये गये रूप में) की धारा ११० के अधीन अपेक्षित रूप में इन नियमों को जनता की राय जानने के लिये प्रकाशित कर दिया जायेगा । इन नियमों को अन्तिम रूप देते समय त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् से प्राप्त किसी भी टिप्पणी पर समुचित रूप से विचार कर लिया जायेगा ।

त्रिपुरा में हाई स्कूल

†२१४३. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों में चलाये गये हाई स्कूलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनकी संख्या पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो और भी हाई स्कूलों की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दो ।

(ख) और (ग). इस समय त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के अधीन १६ हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जिनमें से १३ ग्राम्य क्षेत्रों में हैं । इसके अलावा १६ हाई और हायर सेकेन्ड्री स्कूल गैर-सरकारी प्रबन्ध में चल रहे हैं। प्रादेशिक परिषद् चालू वर्ष में ग्राम्य क्षेत्र में एक और हाई स्कूल खोलने वाली है। इस नये स्कूल के बन जाने से माध्यमिक स्तर की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये काफी होंगी । प्राइमरी और मिडिल के स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का और भी विस्तार होने पर जब भी आवश्यकता होगी नये हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल खोल दिये जायेंगे ।

दिल्ली में विस्फोट

†२१४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोमवार, २८ मार्च, १९६० को दिल्ली की मेहरौली सड़क पर एक सूखे कुएं में विस्फोट हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का कारण क्या था ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). २८ मार्च, १६६० की प्रातः मेहरौली सड़क पर एक सूखे छोटे तालाब में विस्फोट हुआ । पुलिस ने तुरन्त ही मामले की छानबीन की और पता लगा कि गलत चलाई गई सेना की मार्टर गोली फटी थी । सेना अभ्यास चांदमारी क्षेत्र मेहरौली-बदरपुर सड़क पर है । ऐसा प्रतीत होता है कि गोली किसी व्यक्ति को मिल गई थी और उसने उसे बाद में सूखे तालाब में फेंक दिया था । जांच से सन्देह करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता कि ध्यान देने योग्य अपराध किया गया है । कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

चाय समवायों के लाभ

†२१४५. **श्री रामम् :**
श्री दे० वें० राव :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७–५८ और १६५८–५६ में अभारतीय व्यक्तियों के समावायों को कितना लाभ हुआ ; और

(ख) उपरोक्त काल में इन समवायों ने भारत से कितना लाभ तथा लाभांश भेजा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ४]**

दिल्ली सेन्ट्रल जेल

†२१४६. **श्री कुन्हन् :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सैंट्रल जेल में किस श्रेणी के बन्दी रखे जाते हैं ; और

(ख) दिल्ली की जेल में रखे जाने वाले बन्दियों (श्रेणीवार) को क्या भोजन दिया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]**

झांसी में चांदमारी

†२१४७. **श्री कुन्हन् :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि २६ मार्च, १६६० को एक गोली से दो व्यक्ति घायल हुए जो कि जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) में नागदा में सेना क्षेत्र में चांदमारी के दौरान उन्हें लगी थी ;

(ख) क्या घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अस्पताल में मर गया ; और

(ग) क्या मृत स्त्री और घायल पुरुष के परिवारजनों को कोई प्रतिकर दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्। २६ मार्च, १९६० को एक आर्टिलरी शेल (गोला) चांदमारी के दौरान नागदा गांव के पास गिर गया था जिससे दो व्यक्ति घायल हो गये। चांदमारी आरम्भ होने से पूर्व गांव वालों को चेतावनी दे दी गई थी कि अमुक तारीख को चांदमारी होगी और स्थानीय नगर-अधिकारियों ने यह प्रमाणपत्र दे दिया था कि क्षेत्र साफ है। घायल व्यक्तियों को चिकित्सा के लिये झांसी के सेना अस्पताल ले जाया गया। दोनों में से एक व्यक्ति, स्त्री, उसी रात को मर गई।

(ग) एक जांच न्यायालय बताया गया है। प्रतिकर के प्रश्न पर दुर्घटना सम्बन्धी जांच न्यायालय की कार्यवाही प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं सरदार स्वर्ण सिंह की ओर से, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८१४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी०--२०८७/६०]

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश

†**डा० सुशीला नायर (झांसी)** : श्रीमान्, मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की ओर से पुनर्वास मंत्रालय--पश्चिमी खण्ड के बारे में नवासीवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखती हूं।

प्राक्कलन समिति

नवासीवां प्रतिवेदन

†**डा० सुशीला नायर (झांसी)** : श्रीमान्, मैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की ओर से पुनर्वास मंत्रालय--पश्चिमी खण्ड के बारे में प्राक्कलन समिति का नवासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई पुनर्गठन विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं बम्बई राज्य के पुनर्गठन तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी ।

श्री मोहन स्वरूप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : मैं, अध्यक्ष महोदय कल यह अर्ज़ कर रहा था कि कुछ मकान गिराने की बात मिनिस्ट्री द्वारा की जा रही है । इस सिलसिले में मैं ने कहा था कि इन को क्यों गिराया जा रहा है । मिनिस्टर साहब ने भी एक सवाल के जबाब में कहा था कि जो मकान बनते हैं उनकी आयु ५० और ६० बरस होती है । मैं नें एक सवाल का जबाब भी इसके बारे में कल आपको पढ़ कर सुनाया था । उस में बताया गया था कि कुछ मकानों की छतें गिर गई हैं और दूसरी खराबियां पैदा हो गई हैं । यह जो खराबियां हैं, जो कि बैड वर्कमैन-शिप का नतीजा है, इन को दूर किया जाना चाहिये और देखा जाना चाहिये कि ये खराबियां पैदा न हों । इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो मकान अच्छे हैं, जो च लसकते हैं, और जिनको मुरम्मत करने के बाद काम में लाया जा सकता है, उनको न गिराया जाए, उन को न तोड़ा जाए तो बेहतर है, । इसका कारण यह है कि हमारे पास रुपये की कमी है और रुपये की कमी के साथ साथ ही हमारे पास मकानों की भी कमी है । हर साल नए मकान कम बन रहे हैं जब कि हमारी जरूरियात बढ़ती ही जा रही हैं । इस वास्ते आवश्यकताओं को देखते हुए, मकानों की जरूरतों को महसूस करते हुए यह जरूरी है कि जो मकान मुरम्मत के बाद काम में लाये जा सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, उनको मुरम्मत करवा कर काम में लाया जाए ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि जो काम की खराबी है वह दो कारणों से हो सकती है । इसका एक कारण तो इजीनियरिंग स्टाफ की नीयत खराब होना हो सकता है और दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो ठेकेदारान काम को लेते हैं, वे ठीक तरह से नहीं करते हैं, वे खराबी पैदा करते हैं । इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि ५० लाख से ऊपर के जो काम हैं वे कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये से करवायें जायें । कंस्ट्रक्शन कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएं, और उनको यह काम सौंपा जाए । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अलग अलग किस्म का काम सप्लिट अप कर दिया जाए, अलग अलग किस्म के काम को अलग अलग कर दिया जाए और अलग अलग लोगों को दिया जाए और यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि काम में एफिशेंसी आयेगी और एफिशेंसी के साथ साथ काम अच्छी तरह से हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहन स्वरूप]

इस के साथ साथ मैं यह भी चाहता हूं कि भारत सेवक समाज तथा दूसरी ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वालेंटरी आर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि काम को बहुत अच्छी तरह से और किफायत से कर रही हैं, उन को काम दिया जाए । मुझे बताया गया है कि बिहार में कुछ काम भारत सेवक समाज द्वारा करवाया गया है और वह बड़ी किफायत से हुआ है, १०–१५ परसेंट कम खर्चे में हुआ है उस से जिस में कि पी० डब्ल्यू० डी० के लोग करते हैं । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि भारत सेवक समाज जैसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा काम करवाया जाना चाहिये ।

अब मैं हाउसिंग के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । हाउसिंग की सूरत हाल यह है कि १९५१ की आबादी जो थी उस के मुताबिक १९५१ तक हमारे पास ६४.३६ मिलियन हाउसिस थे । उन में से ५४.०६ मिलियन हाउसिस गांवों में थे और १०.३० मिलियन शहरों में । ६०.४८ मिलियन परिवार ग्रामों में रहते थे । और १२.८० मिलियन परिवार शहरी क्षेत्रों में रहते थे । इसी तरह से टैक्सेशन एनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि अर्बन हाउसिंग पर १२० करोड़ रुपया और रूरल हाउसिंग पर १६० करोड़ रुपया खर्च हुआ है १९५३ और १९५४ में । हाउसिस के बारे में जैसा कि मैं ने अभी अर्ज किया, बड़ी किल्लत है, बड़ी कमी है । खास तौर से क्लास ४ सर्वेंट्स के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही कम हाउसिस हैं । हाउसिस की कमी के कई कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि आबादी बढ़ रही है । हर साल करीब ५० लाख आबादी हिन्दुस्तान को बढ़ जाती है यानी दो साल में एक करोड़ आबादी बढ़ जाती है । इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीयलाइजेशन हो रहा है और स्थिति ऐसी हो रही है कि गांवों से लोग शहरों में आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं । रिफ्यूजी भी बाहर से आए हैं । इन सब कारणों से मकानों की बड़ी किल्लत है । स्लम्स की जो हालत है, गन्दी बस्तियों की जो हालत है, वह तो हमारे लिए बदनामी का कारण बनी हुई, है वह एक धब्बा है जिसे हमें मिटाना है । मैं ने दिल्ली ही में कितने ही स्लम्स देखे हैं । पिछले साल भी मैं ने कहा था कि उनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये लेकिन अभी तक आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है । इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव था कि हाउसिंग के सिलसिले में हमारी जो पालिसी है, वह तय हो और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप है, वह मजबूत हो । स्लम्स के बारे में मेरा यह सुझाव भी है कि जिस तरह से गांवों में कम्यूनिटी डिवेलपमेंट ब्लाक्स होते हैं, उसी तरह से शहरों में भी कम्युनिटी डिवेलपमेंट ब्लाक्स हों जो स्लम्स को टेक-अप करें । इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि म्यूनिसीपैलिटीज़ को रुपया दिया जाए और वे उस रुपये के ज़रिये से स्लम्स को दूर करवाने की कोशिश करें ।

मैं यह भी कहना चाहता हू कि म्यूनिसीपैलिटीज़ को और भी छोटे छोटे काम करने को दिये जायें । गांव पंचायतों को भी सैल्फ-सफिशेंट बनाया जाए, उनकी जो इनकम है, उसको बढ़ाया जाए और उनको भी कुछ काम सौंपे जायें ।

रूरल हाउसिंग के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैटीरियल इमारतों में लगता है, वह गांवों में ही मिलना चाहिये । खपरैल और सिमेंट इत्यादि जो भी मैटीरियल मकान बनाने के काम में आता है , वह गांवों में ही उपलब्ध होना चाहिये ....

श्री त्यागी (देहरादून) : यह काम स्टेट गवर्नमेंट्स का है ।

श्री मोहन स्वरूप : लेकिन देता तो सैंटर है, एलोकेट तो सैंटर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : सैंटर स्टेट्स को एडवाइस कर सकता है ।

श्री मोहन स्वरूप : काम प्राविंसिस का है लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है और जब यहां से रुपया दिया जाएगा तभी तो वहां वे काम करेंगे, बिना रुपये के नहीं कर सकते हैं ।

मेरे कुछ सुझाव हैं, जो कि मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । कल यहां पर इसका ज़िक्र हुआ था कि हाउसिंग मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंसिस हुई हैं । हैदराबाद में हुई है, मैसूर में हुई है, दार्जिलिंग में हुई है । उन कान्फ्रेंसिस के जो फैसले थे, वे अच्छी तरह से इम्प्लिमेंट नहीं हो पाये हैं । जो हैदराबाद कांफ्रेंन्स का सुझाव था उसी तरह का मेरा भी कुछ सुझाव है । ये जो मीटिंग्ज़ होती हैं वे यही नहीं कि हैदराबाद में हों बल्कि मैं चाहता हूं कि सूबे के स्तर पर भी होनी चाहियें । पीरियाडिकल मीटिंग्ज़ होनी चाहियें और उन में उन लोगों को इनवाइट किया जाना चाहिये जो कि रूरल हाउसिंग में दिलचस्पी रखते हों, गांवों की सूरत-हाल से वाकिफियत रखते हों, दूसरे जिन लोगों को बुलाना मुनासिब समझा जाए, बुलाया जाए और उन के साथ एक्सपर्टस भी बैठें और मीटिंग में डिसकशन के दौरान में जो सुझाव दिये जायें, उनको कार्यान्वित करने पर तवज्जह दी जाए ।

इस के साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन बनाये जायें जो कि उन लोगों को रुपया दें, जो मकानों के लिये रुपया चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरी सहूलियतें लोगों को पहुंचायें ।

प्राइवेट हाउस बिल्डिंग के काम को, एक्टिविटी को बढ़ावा देना भी आपका फर्ज है । कल यहां पर कहा गया कि बहुत से लोग मकान नहीं बना रहे हैं । इसकी वजह यह बताई गई कि मकान बनाने के लिये जो ज़मीनें थीं, उनको सरकार ने एक्वायर कर लिया है । इसका नतीजा यह हुआ है कि मकान बनाने के लिए ज़मीन मिल नहीं रही है । जो बिल्डिंग मैटीरियल है, वह महंगा हो रहा है । इस वास्ते मेरी दरख्वास्त है कि बिल्डिंग मैटीरियल को सस्ता किया जाए और खासी तादाद में यह लोगों को उपलब्ध होना चाहिये । आज हालत यह है कि अगर कोई सीमेंट लेना चाहता है और जितनी मात्रा में लेना चाहता है, उतनी मात्रा में उसको वह मिलता नहीं है । लोहा भी नहीं मिलता है । तो जो बिल्डिंग मैटीरियल है वह भी मिलना चाहिये और सस्ता होना चाहिये । उसी के साथ साथ जमीनों का भी इन्तजाम होना चाहिये और लोगों को मकान बनाने के लिये उत्साहित करना चाहिये क्योंकि इन दिक्कतों की वजह से मकान बन नही रहे हैं । इसी के साथ साथ मैं यह भी चाहता था कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन भी हाउसिंग के सिलसिले में और ज्यादा सहूलियत दे ।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि हाउसिस के इम्प्रूवमेंट के लिये गवर्नमेंट लोन दे । वह नये मकानों के लिये तो लोन देती है लेकिन उन के इम्प्रूवमेंट के लिये नहीं देती है । इम्प्रूवमेंट के लिये लोन दिया जाना जरूरी है ।

बैकवर्ड एरियाज जो हैं उन में से कुछ गांव छांटे गये हैं । पहले ५०० गांव छांटे गये थे, अब १६०० गांव छांटे गये हैं बेहतरीन बनाने के लिये । लेकिन जिस मुल्क में ५ लाख, ५८ हजार गांव हों उसमें से सिर्फ १६०० गांव को ले लेने से कुछ बन नहीं सकता । इस तरह से जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन का कुछ भी भला नहीं हो सकता । हमारे यहां जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन में जो लोग रहते हैं उन में से एक थारू जाति भी है, दूसरे लोग रहते हैं, जिन के पास रहने की सहूलियतें नहीं हैं । इस तरफ खास तवज्जह देने की जरूरत है ताकि इन इलाकों में खास तौर पर मकान बनाने की सहूलियत दी जा सके ।

[श्री मोहन स्वरूप]

हमारे यहां ५ लाख, ५८ हजार गांव हैं, अगर आप सब गांवों को हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जहां पर ब्लाक्स चल रहे हैं वहां तो आप यह सहूलियतें दें। माडल विलेज बनाने की तरफ तवज्जह दी जाय जिस में कि माडल हाउसेज हों। हर ब्लाक में गांव छांटे जायें। इसी तरह से गांवों में मकान बनाने का काम आगे बढ़ सकता है। साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मकान बनाने के लिये तो सरकार पैसा देती है पर सड़कें और नालियों के लिये कोई प्राविजन नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस के लिये भी कुछ करे।

लैंडलैस लेबरर्स के लिये भी कहीं पर कोई सहूलियत नहीं है। जैसा कि हैदराबाद कांफ्रेंस में सजेशन दिया गया था, उन को १५ फी सदी सब्सिडी दी जाय। इसी तरह के और भी बहुत से सुझाव कांफ्रेंसों में दिये गये हैं लेकिन उन को इम्प्लिमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इन सुझावों पर गवर्नमेंट गौर करे और उन पर जल्दी से जल्दी अमल करने की बात सोचे। जहां तक हाउसिंग का सवाल है, सरकार की तवज्जह इस तरफ ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इस तरफ तवज्जह दें बल्कि सैंट्रल गवर्नमेंट भी तवज्जह दे। स्टेट गवर्नमेंटस से कहा जाय कि वह इन ऐक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ाये। इसी हाउसिंग के सिलसिले में मैं यह भी चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब स्लम्स को दूर करने के लिये भी ज्यादा तवज्जह दें। हम देखते हैं कि स्लम्स दूर नहीं होते। वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्फर तो हो जाते हैं। किसी से कहा जाता है कि स्लम्स को यहां से हटाओ, तो वह वहां से हटा कर दूसरी जगह बैठ जाते हैं।

इसी तरह से मैं देखता हूं कि दिल्ली में १० या १५ हजार आदमी पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, जो सड़कों पर, फुटपाथ पर, लेटते हैं। जब हम उनकी हालत को देखते हैं तो ताज्जुब होता है। मुल्क को आजाद हुए १२, १३ वर्ष हो गये लेकिन उस के बाद भी ऐसे लोगों की तरफ तवज्जह नहीं दी जाती। हम ने दिल्ली में कुछ रैन बसेरे भी देखे, जिन को नाइट शेल्टर कहा जाता है और जहां पर लोग रात में ठहरते हैं और एक आध आना पैसा दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के रैन बसेरे और जगहों पर भी बनाये जायें ताकि पेवमेंट ड्वेलर्स को सोने के लिये जगह मिल सके। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर तवज्जह दें और अमल भी करें।

अब सप्लाइज की बात आती है। एक इंडियन मिशन वाशिंगटन में है, एक लन्दन में है, काफी रुपये का सामान हर साल उन के जरिये से खरीदा जाता है। अव्वल तो इस सिलसिले में मैं यह चाहूंगा कि जो सामान यहां मिल सकता हो, उसे यहीं से लेने की कोशिश की जाय। जो हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन को बढ़ावा देने के लिये जितना सामान हम उन के प्रोडक्शन में से ले सकें, लें। उस के बाद जहां तक मुमकिन हो सके हम देशी सामान ही लें अपने इस्तेमाल के लिये बजाए बाहर से करोड़ों रुपये का सामान खरीदने के।

इसी के साथ-साथ होटल्स के बारे में भी बात उठती है। होटेल्स गवर्नमेंट बनवा रही है। अब जनता होटल बनाया जा रहा है जिस में बहुत थोड़े आदमियों के लिये व्यवस्था हो सकेगी। अच्छी बात है अगर जनता होटल बने। जनता होटल के मुताल्लिक कहा जाता है कि जो लोग इस मिनिस्ट्री से सहायता लेंगे उन को सब्सिडी दी जायेगी। । मैं चाहता हूं कि वह रुपया और ज्यादा बढ़ा दिया जाय ताकि लोगों को वहां पर ठहरने के लिये एनक रेजमेंट हो। आज जो होटल गवर्नमेंट ने बनाये हैं वह इतने महंगे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अशोक होटल में मामूली आदमी तो ठहर ही नहीं सकते। वहां या

तो कोई स्मगलर ही ठहर सकता है जिस को लाखों रुपया रोज की आमदनी बेईमानी से होती है; या तो कोई बहुत ही बड़ा आदमी ठहर सकता है। जो दर्म्यान की आमदनी वाले हैं उनकी हिम्मत वहां ठहरने की नहीं हो सकती। मैं देखता हूं कि सैकड़ों कमरे अशोक होटल में खाली पड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट खुद होटल्स बनाने की तरफ तवज्जह दे और उनको सस्ता करने की कोशिश करे।

अशोक होटल में जो कार्यकर्ता हैं उनको भी कु शिकायत हैं। उनको इन्क्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी सर्विसेज मुस्तकिल नहीं की जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में भी तवज्जह दी जाये। मोगल गार्डन के जो माली वगैरह हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है, उन की सर्विस और भत्ते वगैरह के जो मसले हैं उन पर भी हमदर्दी से गौर करना चाहिये। वह लोग गरीब आदमी हैं आपको उनकी सूरते हाल पर भी गौर करना चाहिये।

मैं फिर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह सी० पी० डब्ल्यू० डी० में जो करप्शन है उसको रोकने के लिये और जो खराबियां वहां हैं उनको दूर करने के लिये जरूरी कदम उठाये और इस मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट और अच्छी करें क्योंकि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने अर्ज किया, ३० करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन पर खर्च होते हैं, अगर इतनी बड़ी रकम वैफैजर्ड वे में खर्च होती रही है तो यह मुल्क के लिये बहुत हानिकारक है।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब स्पीकर साहब, जब हम आज वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई मिनिस्ट्री के मतालबात पर बहस कर रहे हैं तो उस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक वजारत की कारकर्दगी का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि जहां तक बहुत बड़े बड़े मकान, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने और संगमरमर, संग सफेद और संगे सुर्ख बिछाने के काम का ताल्लुक है, यकीनन पिछले चन्द सालों में हमने इस पर काफी रुपया खर्च किया। लेकिन वजारत का यह भी काम है कि वह इस चीज को देखे कि इस मुल्क के रहने वालों में कौन लोग हैं। उनमें अक्सरियत बहुत छोटे आदमियों की है, गरीब आदमियों की है, मजदूरों की है, बेनवानों की है, क्लर्कों की है और छोटे छोटे चपरासियों की है। जिस वक्त हम इस तरफ देखते हैं तो हमें यहां पर इस बात को मान लेना चाहिये कि हम इन छो छोटे लोगों को जिन के कन्धों पर इस मुल्क की हुकूमत का दारोमदार है, कोई सही तरीके की सहूलियत पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। हिन्दुस्तान की यह एक रवायत रही है, बहुत पुरा ी रवायत है, तारीखी रवायत है कि हमने ऊंचे ऊंचे महल बनाये। आज हमारे पास ताजमहल है। अब ताजमहल को हम दुदिया के लोगो को दिखाते हैं एक बहुत बड़ी इमारत के लिहाज से लेकिन इस इमारत का एक पहलू यह भी है कि इमारत बनी है गरीबों के खून से .....

श्री त्यागी : मुहब्बत की बुनियाद पर बनी है।

श्री अ० मु० तारिक : हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे गरीब लोग होंगे जो कि अपनी मुहब्बत की यादगार कायम करना चाहते होंगे लेकिन उनको जमाने ने, रोजगार ने और पैसे ने इतनी फुरसत न दी होगी लेकिन एक बादशाह ने जो कि एक अच्छा बादशाह था उसने हम लोगों की गुरबत का मजाक उड़ा कर ताजमहल बनाया जिस पर कि हम आज फख्र करते हैं .....

श्री त्यागी : गलत बात है। यह तो एम्पलायमेंट देने के लिये बनाया गया था और गरीब आदमियों को इसके जरिये से रोजी मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० म० तारिक : बहरहाल रोजी कितनी मिली इस पर मैं त्यागी जी से बहस नहीं करना चाहता क्योंकि वह मेरे गुरू हैं । लेकिन तवारीख इस बात की गवाह है कि कम लोगों को रोजी मिली थी और यह इमारत जल्दी बन गई थी । आज भी हमारी इस वजारत ने यही कहा है कि जो हम यह बड़े बड़े होटल और ऊंची ऊंची इमारत बनाते हैं तो उनको सिर्फ इसलिये बनाते हैं कि लोगों को रोजगार मिले और यकीनन किसी हद तक लोगों को रोजगार मिलता भी है लेकिन मैं इस वजारत से यह पूछने का हक रखता हूं कि कितने ऐसे बेघर लोग हैं, कितने ऐसे छोटे लोग हैं और कितने ऐसे झोंपड़े वाले हैं जिनको कि सरकार के जरिये इस मुल्क में मकान मुहय्या किये गये हों ? इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अच्छे मकान बनाने की जरूरत है और हमको अच्छे मकान बनाने चाहिये लेकिन उनके साथ ही छोटे लोगों की तरफ भी सरकार को अपनी नजर रखनी चाहिये ।

जनाबवाला जहां तक इस वजारत की तमाम चीजों का ताल्लुक है हम सब लोग उस से परेशान रहते हैं । किसी हद तक यह ऐसी वजारत है कि भले ही वह खामख्वाह हो चाहें और किसी तरह से । लेकिन यह वाकया है कि यह वजारत पब्लिक में बदनाम है । अब पब्लिक वर्क्स के बारे में ही ले लीजिये । चाहे आप उसमें कितने ही अच्छे और दयानतदार आदमी क्यों न रक्खे लेकिन थोड़ी बहुत बदनामी जरूर होती है । हमारे वजीर साहब का यह फर्ज है और हमारी हुकूमत का यह फर्ज है कि वह लोगों में इतना ऐतमाद पैदा करे और खुद हमारे अफसरों का भी यह फर्ज होता है कि लोगों में अपने-अपने ताव्वुन और तरीके से यह ऐतमाद पैदा करें कि हमारे आफिसर्स नहीं हैं और वह अच्छे आदमी हैं । उसके लिये एक अच्छे पोलीटीशियन और लोगों के मामलात को समझने वाले आदमियों की जरूरत है और ऐसा होने पर लोग भी आपको अच्छी तरह से समझ सकेंगे :

हमारे पास होर्टीकल्चर डिपार्टमेंट है । वह बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है । उसमें कुछ लोग तो जरूर थोड़ा बहुत होर्टीकल्चर के मुताल्लिक जानते हैं लेकिन उसमें अक्सरियत ऐसे लोगों की हैं जो कि फूलों के नाम से भी नावाकिफ हैं । हमारे पास मालियों का एक कारवां है, काफिला है लेकिन जो कारवां मालियों का हमारे सामने मुहैय्या किया गया है उसके मुकाबले पर अगर हमें उनके काम को देखें तो हमें यकीनन अफसोस होता है । आज से चन्द वर्ष पहले जब यहां पर अंग्रेजों का जमाना था तब इसी दिल्ली में फूलों की किल्लत नहीं थी लेकिन जबसे हम आये मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि हमने दिल्ली की इन खूबसूरत जगहों को सहराओं में तबदील करने की कोशिश की और ऐसा लोगों को रोजगार मुहैय्या करने के वास्ते किया जा रहा है मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता और जाहिर है कि इन बड़ी बड़ी इमारतों पर कसीर रकम खर्च करनी पड़ती है ।

मैं अपने वजीर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो फरनीचर सरकार की तरफ से मुहैय्या किया जाता है तो सरकारी कानून के तहत एक मुद्दत में उसका वैलुएशन करना होता है । हमने देखा है कि एक फरनीचर जिसकी कि कीमत कम होती है लेकिन सरकार जब उसको किराये पर देती है तो उसकी कीमत भी कम नहीं लगाती है और भले ही २०, २० और २५, २५ साल का पुराना फरनीचर क्यों न हो जाय उसकी कीमत कम करके नहीं लगायी जाती है । इस तरफ भी हुकूमत को तवज्जह देनी चाहिये । खास तौर पर रेफ्रीजेटर्स और बिजली के पंखों के बारे में जिन पर कि डिपार्टमेंट बाजार की निस्बत बहुत ज्यादा किराया वसूल करता है और मुतवातिर कई सालों से वही किराया वसूल करता चला आता है । हुकूमत को फरनीचर के वैलुएशन की तरफ भी तवज्जह देनी चाहिये ।

इसके अलावा इस वजारत में और खास तौर पर सेंट्रल पी० डब्लू० डी० में डिसिप्लन की इन्तिहाई जरूरत है । इसमें कोई लगावट नहीं है बल्कि यह हकीकत है कि हमारे कुछ इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके कि होने पर हम फख्र कर सकते हैं लेकिन उनकी नाकामी की अगर कोई वजह है तो वह इस मुल्क में इनडिसिप्लन है और इस वजारत में इनडिसिप्लन है । इसके लिये दोनों तरफ के लोग

जिम्मेदार हैं छोटे लोग भी और बड़े लोग भी । कहीं तो हम देखते हैं कि जो छोटे लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, नज्जार होते हैं या और छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं वे ठीक होते हैं लेकिन उनके ऊपर जो काम लेने वाले आदमी होते हैं, ओवरसियर्स और सब ओवरसियर्स, उनमें कुछ खामियां होती हैं तो कहीं हम देखते हैं इंजीनियर्स और ओवरसियर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाला अमला होता है वह छोटे आदमी डिस्पिलन के तहत काम करना नहीं जानते और हर मामूली बात पर स्ट्राइक कर बैठते हैं । मामूली सें मामूली बात पर स्ट्राइक्स कर दी जाती है । हुकूमत को इस चीज को देखना है और इस वजारत को तब तक नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि यह डिस्पिलन उनमें कायम न की जाय क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग जो कि इस वजारत में काम करते हैं वे इल्म से नावाकफियत रखते हैं और वे जमहूरियत के सही मायने नहीं समझते हैं और उनको एक्सप्लायट किया जाता है ।

मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि हमें अच्छे होटल नहीं बनाने चाहियें चाहे अशोक होटल हो या जनपथ होटल हो । यकीनन इस मुल्क में जबकि हम यह कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क को हम दूसरे दुनिया के मुल्कों के मुकाबले खड़ा करें तो हमें अच्छे होटल, अच्छे रास्ते और अच्छे होस्टल बनाने होंगे । हम बाहर के आये हुये लोगों को जो कि टूरिस्ट्स की शक्ल में यहां आते हैं हमारा यह फर्ज है कि हम उनको सही सहूलियत दें लेकिन उसके यह मायने भी नहीं हैं कि हम इस जज्बे के तहत कि हम को अच्छे होटल बनाने चाहियें, हमें ज्यादा रकम खर्च नहीं करनी चाहिये । अब अशोक होटल को ही ले लीजिए । कितना हमने उसमें घाटा दिया है उसको हर वक्त कहने की जरूरत नहीं है लेकिन अब किसी हद दक हमें यह सुन कर खुशी हुई है कि हम मुनाफे की तरफ जायेंगे और वहां का इन्तिजाम जहां तक कि इन्तजामी मामलात का ताल्लुक है एक अच्छे आदमी के सुपुर्द किया गया है । लेकिन इसमें चन्द एक चीजें हैं जिनकी कि तरफ सरकार को तवज्जह देनी चाहिये । खुद अशोक होटल में यह बात पैदा की गई है कि वहां पर ब्लैकमार्केटिंग हो और वे छोटे छोटे वहां के दुकानदार ब्लैकमार्केटिंग करने पर मजबूर कर दिये गये हैं । अब उन छोटे छोटे दुकानदारों से जिनको कि मामूली मामूली जगहें दी गई हैं उन से २०, २० और २५, २५ हजार रुपया सालाना बतौर किराये के लिया जाता है । अब वे बेचारे दुकानदार इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करें और इस का असर यह होता है कि बाहर के टूरिस्ट्स जो कि उस होटल में आकर ठहरते हैं वे हिन्दुस्तान के लोगों के बारे में गलत राय कायम कर लेते हैं । अशोक होटल में जो टूरिस्ट अपना सूट या शेरवानी ड्राईक्लीन कराना चाहे तो उससे ९ रुपये ड्राईक्लीनिंग के वास्ते लिये जाते हैं लेकिन उसी कपड़े को अगर वह उस दुकानदार को कैनाट प्लेस में ड्राईक्लीनिंग के लिये देता है तो उसको सिर्फ साढ़े ३ रुपये ही देने पड़ते हैं । बहुत से टूरिस्ट्स ने बतलाया कि जब उन्होंने अशोक होटल में अपना सूट वगैरह ड्राईक्लीन कराया तो उनसे ८ या ९ रुपये लिये गये लेकिन जब कैनाट प्लेस में उसी दुकानदार से जाकर करवाया तो उनको साढ़े ३ या ४ रुपये ही देने पड़े और जाहिर है कि वे हिन्दुस्तान के लोगों के बारे में अजीब राय कायम करेंगे । लेकिन अगर हम देखेंगे तो पायेंगे कि हकीकत में हिन्दुस्तान के लोगों का कसूर नहीं है और यह उस ताजिर का कसूर नहीं है बल्कि यह कसूर तो डबलू० एच० एस० मिनिस्ट्री का है जिन्होंने कि इतने ज्यादा दाम लेकर एक मामूली दुकानदार को वहां जगह दी है । आखिर उसने वह ३०, ३५ हजार रुपया उन्हीं लोगों से तो लेना है जो कि वहां उस होटल में आकर ठहरते हैं । इसकी तरफ भी हम को तवज्जह देनी चाहिये और ऐसी गलती रकम जो कि गलत दबाव के तहत ताजिरों से वसूल करते हैं मुनाफे की शक्ल में नहीं दिखानी चाहिये ।

जहां तक अशोक होटल की रिपोर्ट्स् का ताल्लुक है, मैं एक मद की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । अशोक होटल में पिछले चन्द सालों से हम वहां के बागों पर, फूल और सब्जियां पैदा करने पर काफी रुपया खर्च करते हैं लेकिन हर साल रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि १०, १२,

[श्री अ० मु० तारिक]

१५ या १६ हजार फूल और दूसरी चीजें डेकोरेशन्स के लिये खरीदते हैं। परचेज आफ फलावर्स फौर डैकोरेशन के तहत १५, १६ हजार रुपये खच किये जाते हैं दूसरी तरफ हम उसी रिपोर्ट में पाते हैं कि मनी स्पेंट औन एडोर्निंग एण्ड अदर थिंग्स के मातहत काफी रुपया खर्च होता है हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं। अब यह दोनों चीजें बिल्कुल मुतजाद हैं और हम जो वहां बागबानी और फूल वगैरह पैदा करने पर खर्च करते हैं तो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वहां पर कम अज कम इतने फूल तो पैदा किये जायं जो कि अशोक होटल के डेकोरेशन्स के वास्ते काफी हों अगर हम उन्हें बाहर नहीं बेच सकते। हम देखते हैं कि हम वहां बाग पर भी पैसा खर्च करते हैं, बीज पर सैकड़ों रुपये खर्च करते हैं और मालियों की तनख्वाहों पर हजारों रुपये खर्च करते हैं लेकिन इस पर भी हम को सालाना १०, १२ हजार रुपये के फूल खरीदने पड़ते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जिन आडिटर साहब ने इस रिपोर्ट को पास किया है वह किस अन्दाज से पास किया है। मैं चाहता हूं कि वजीर साहब इस की तरफ तवज्जह दें। जनाबवाला यह वाकया है कि हमारे मुल्क में जब से आजादी आई है फूलों की काश्त की तरफ कम तवज्जह दी जाती है। मैं यह समझता हूं कि डबल्यू० एच० एस० मिनिस्ट्री के पास काफी जमीन है। उन जमीनों पर उनको खुद ऐसी नरसरीज़ बनानी चाहिये दिल्ली में कि जिनमें तमाम दुनिया के फूल पैदा किया जाएं और यह लोगों को बहुत सस्ते दामों पर मुहैय्या किए जाएं। हमारे पास बेशुमार बाग हैं, हमारे पास बेशुमार माली हैं, फिर भी बजाए इसके कि हम अपने फूल खुद पैदा करें और उनको और लोगों को भी मुहय्या करें, हम अपने लिये भी दूसरों के रहमो-करम पर रहते हैं। हम को खुद अपनी नरसरीज बनानी चाहियें और लोगों को सदस्ते दामों पर फूल मुहैय्या करने चाहियें।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्तलिफ एम० पीज़० के फ्लैट्स में मुख्तलिफ रंगों का फरनीचर सप्लाई किया जाता है। जब सब से बराबर रेंट लिया जाता है तो उनको फरनीचर भी उसी किस्म का मुहैय्या करना चाहिये।

एक और बात है कि जिसकी तरफ मैं इस वजारत की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह है झोंपड़ियां। हममें से बहुत से दोस्तों ने और शायद आपने भी देखा होगा कि जहां हमारा अशोका खड़ा है, बिल्कुल उसके सामने ये झोंपड़ियां हैं और उन झोंपड़ियों को खुद इस वजारत ने वहां पनपने का मौका दिया है, और अब उनको कोई नई जगह देने के बजाय तंग किया जाता है। वहां सैकड़ों लोग बसे हुए हैं, जिनके लिये सफाई का मौका कोई इन्तिजाम नहीं है यह बिल्कुल अशोका के सामने है, और इसका नतीजा यह है कि वहां गन्दगी फैली हुई है जो कि सुबह और शाम को और ज्यादा फैलती है। जब आपने उन लोगों का वहां रहना कबूल किया है और आप कहते भी हैं कि फौरी तौर पर उनको वहां से नहीं हटा सकते, तो उनके सैनीटेशन का, पानी वगैरह और चीजों का इन्तिजाम करना चाहिये था। लेकिन हमारी वजारत उन लोगों के इन मसायल को भी हल नहीं करती, और जब नहीं कर सकती और उनको वहां से हटाने की हरकत करती है तो उससे उनमें एक हफरा तफरी फैलती है। मैं समझता हूं कि हमारी डबल्यू० एच० एस० मिनिस्ट्री का यह बड़ा नाकाम कारनामा रहा है कि वह छोटे लोगों के लिये कुछ नहीं कर पायी है। हमारे लीडर बार बार तकाजा करते हैं, जहां भी हमारे लीडर जाते हैं और अवाम के लीडर जाते हैं, वह कहते हैं कि हमारी भी यह ख्वाहिश है और हमारी हुकूमत भी यह चाहती है कि लोगों को कम कीमत पर मकान मुहैय्या किए जाएं, लेकिन पूरे दस साल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपने लीडर की और अपने वजीरे-आजम की इस ख्वाहिश का मजाक उड़ाया है तो वह यह मिनिस्ट्री है। यह मिनिस्ट्री बड़े-बड़े होटल बनाने का प्लान बना सकती है, बड़ी-बड़ी अज़ीमुशान कोठियां बना सकती है और उनके प्लान चन्द दिनों में बना कर पेश कर सकती है और चन्द सालों में इमारतों पर इमारतें तैयार कर सकती है, लेकिन छोटे लोगों के लिये मुख्तसिर मकान मुहैय्या करना इसके बस का रोग नहीं है।

अगर ऐसा करना इस वजारत के बस का रोग नहीं है, तो हमें चाहिये कि हम कैबिनेट में, इस मुल्क में और इस हुकूमत में एक ऐसी वजारत बनाएं जिसका काम सिर्फ छोटे लोगों की देखभाल करना हो और मौजूदा वजारत सिर्फ बड़े लोगों की देखभाल करे ।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं ।

†श्री केशव (बंगलौर नगर) : मैं माननीय मंत्री तथा उनके पदाधिकारियों को उनके काम के लिये बधाई देता हूं । भोजन और वस्त्र के बाद आवास ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है । हमारे देश की करोड़ों जनता के लिए आवास की व्यवस्था करना कोई हंसी खेल नहीं है । मन्त्रालय योजनायें स्वीकृत करता है और उन योजनाओं के लिये धन देता है । उसके बाद निर्माण का कार्य या योजना को कार्यान्वित करने का काम विभिन्न विभागों तथा व्यक्तियों पर निर्भर होता है । योजनाओं को समुचित ढंग से कार्यान्वित कराना एक कठिन समस्या है । कभी-कभी तो मन्त्रालय को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है ।

प्रतिवेदन से पता लगता है कि मन्त्रालय का काम काफी अच्छा वह उत्साहवर्द्धक रहा है । उदाहरण के लिये अशोका होटल, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी तथा गवर्नमेंट प्रेस में कर्मचारियों तथा नियोजकों में बड़े अच्छे सम्बन्ध रहे हैं । पर इतने से ही सन्तुष्ट हो जाने की आवश्यकता है नहीं है । उन्हें आगे भी बढ़ना है और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की भांति प्रशंसा प्राप्त करना है ।

भूमि तथा विकास कार्यालय की दशा खराब है । पहले यह दिल्ली के चीफ कमिश्नर के अधीन था । इसे मन्त्रालय ने अपने अधीन कर लिया है । मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है पर यह कुछ अच्छा नहीं हुआ है । दिल्ली की वृहत् योजना के अधीन ३७,००० एकड़ भूमि अर्जित की गई है और उसके सम्बन्ध में अनेक आपत्तियां न्यायालय में हैं । मैं नहीं समझता कि नजूल भूमि के सम्बन्ध में यह सब कैसे हो सकता है ।

एक और बात है उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट लोगों की आवास सम्बन्धी सहकारी समिति की । उनके आवास के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वे अपने लिये मकान बनवाना चाहते हैं पर उनको कोई जगह नहीं मिलती । वे प्रधान मन्त्री तथा मंत्री महोदय से मिले भी थे । मेरा निवेदन है कि उनका उपनगर बनाने के लिये मन्त्रालय को कुछ व्यवस्था करनी ही चाहिये । शकूरबस्ती में तथा दिल्ली के युद्धास्त्र कारखाने के मजदूरों की आवास-निर्माण सहकारी समितियों को कई साल से कोशिश करने के बाद भी मकान बनवाने के लिये जगह नहीं मिली है । मेरा निवेदन है कि उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिये ।

इसके बाद मैं ग्रामीण आवास व्यवस्था का प्रश्न लेता हूं । इस दिशा में काफी असन्तोषजनक स्थिति है । गत १० वर्षों से गांव वालों के लिये मकान बनाने की योजना चल रही है, पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है । केवल ५००० गांवो को ही उठा कर हम कुछ नहीं कर सकते । इस गति से तो सभी गांवों तक पहुंचने में कई पीढ़ियां लग जायेगी । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शीघ्रता से काम करें और इस दिशा में जी जान से प्रयत्न करें ।

हमें प्रत्येक गांव के लिये आवास व्यवस्था की वृहत् योजना बनानी चाहिये और धीरे-धीरे उसे कार्यान्वित करना चाहिये । इससे समय लगेगा, यह ठीक है । अच्छा हो यदि योजना बना कर सारा काम इन गांव पंचायतों को सौंप दें । वे गांवों का उचित ढंग से विकास करें ।

ग्रामीण आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पंजाब के एक व्यक्ति, श्री सूरत सिंह ने ईंटों का भट्टा लगाने की तथा ईंट पकाने का एक नया उपाय निकाला है । उनका कहना है कि ईंटों को पकाने के लिये लकड़ी कोयला या बिजली या किसी रासायनिक ताप की जरूरत नहीं

[श्री केशव]

होगी। केवल ५० रु० में एक भट्टा बन जायेगा। इस प्रकार बनी ईंट ८ रु० हजार पड़ेगी जबकि इस समय ईंटों का दाम ३५ से ४० रु० हजार है। रुड़की की केन्द्रीय निर्माण गवेषणा संस्था ने उनके द्वारा बनाई गई ईंटों की जांच कर ली और वह सन्तोषजनक पाई गई है। मेरा निवेदन है कि इस मामले का ठीक ढंग से सरकार पता लगाये और यदि इसमें कुछ तथ्य हो, तो सरकार उनकी सहायता से ग्रामीण आवास व्यवस्था के काम को आगे बढ़ाये।

गन्दी बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में मन्त्रालय ने कुछ भी नहीं किया है। यह बड़ी असन्तोषजनक बात है। मैं यह बहाना सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। कि यह राज्य सरकार का मामला है। मेरा कहना है कि यदि राज्य सरकारें इस काम को ठीक तरह से नहीं करतीं, तो हमें स्वयं इस काम को अपने हाथों में ले लेना चाहिये। मैसूर राज्य को जो ६२ लाख रु० की राशि इस काम के लिये स्वीकृत की गयी थी उसमें से उसने केवल ३ लाख रुपये कई वर्षों में व्यय किये हैं। बंगलौर में कैशाल पलयम नाम की एक गन्दी बस्ती है। उसमें कुली व मजदूर आदि रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके लिये आवास व्यवस्था कर दी जाये। वे स्वयं उस योजना में काम व मजूरी करने के लिये तैयार हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार या तो स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के द्वारा उनके लिये आवास व्यवस्था का काम पूरा कराये।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री व मन्त्रालय को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आगे वह और भी अधिक व अच्छा काम करें।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : सबसे पहली बात मुझे यह कहनी है कि हमारे सरकारी दफ्तरों के क्लर्कों की हालत बहुत खराब है। उन्हें मकानों की बड़ी दिक्कत है। उनके लिये जो बस्तियां बनाई गई हैं, वे शहर से बहुत दूर हैं। रात को ८–१० बजे तक काम करने के बाद उन्हें घर जाना होता है। कभी-कभी उन्हें बस भी नहीं मिलती। वे बेचारे साइकिल रख सकते हैं या फिर पैदल ही दफ्तर तक आते-जाते हैं—मैं निवेदन करता हूं कि कर्मचारियों के लिये बस्तियां बनाते समय माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि वे कार्यालयों से बहुत दूर न हों ताकि कर्मचारियों को इतनी कंठिनाइयां न हों।

दूसरी बात यह है कि सरकार को चाहिये कि वह कर्मचारियों के रहने के लिये उचित मकानों की व्यवस्था पहले करे बाद में सब बात ठीक हो जायेगी। यदि कर्मचारियों को रहने के लिये अच्छा मकान मिल जायेगा, तो वे अधिक जी लगा कर काम करेंगे और उनका काम अधिक अच्छा होगा। साथ ही बड़े बड़े पदाधिकारी लोग तो वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं, पर बेचारे क्लर्कों को गर्मी, सर्दी तथा कड़ी अवस्थाओं में काम करना पड़ता है। अतः माननीय मंत्री को इन सभी बातों के सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिये। इससे कार्य की मात्रा तथा कुशलता भी बढेगी।

गत वर्षों में सरकार ने विनय नगर, शान नगर, मान नगर तथा अन्य अनेक नगर क्लर्कों के लिये बसाये हैं। ठीक ही बड़ी अच्छी बात है। पर इन स्थानों में स्कूल नहीं है। वहां रहने वाले क्लर्कों के बच्चों को—छोटे-छोटे बच्चों को—सुबह-सुबह स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल दूर हैं। क्लर्कों को बस आदि में—बच्चों की स्कूल बसों—काफी खर्च करना पड़ता है। मेरा मतलब है कि स्कूलों तथा अन्य सुविधाओं के बिना बस्तियां बनाने का कोई लाभ नहीं है। आशा है मेरी बात पर माननीय मन्त्री सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करेंगे।

मैं अशोका होटल और जनपथ होटल बनवाये जाने के विरुद्ध नहीं है। मैं कहता हूं कि इन्हें ठीक ही बनवाया गया है। पर केवल ऐसे होटलों से हमारा काम नहीं चलेगा। यह विदेशियों के

लिये ठीक हो सकते हैं। अतः जनता होटल बनाने का प्रस्ताव ठीक है। अन्य शहरों में भी ऐसे होटल बनाये जाने चाहियें। इसी प्रकार कुछ अवकाश गृह भी बनाये जायें, जहां कम वेतन पाने वाले लोग जाकर घूम-फिर व रह सकें।

अशोका होटल और जनपथ होटल के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि अशोका होटल में खान-पान तथा अन्य सभी बातों की व्यवस्था हमारी है। जनपथ होटल में फिर ठेकेदार क्यों रखा गया है। वह कान्स्टीट्युशन हाउस या वेस्टर्न कोर्ट जैसा कोई होटल नहीं है। फिर भी वहां ठेकेदार क्यों रखा गया है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका कारण बताने की कृपा करेंगे। जनपथ होटल के साथ ऐसा भेदभाव क्यों बरता जा रहा है? या तो फिर जनपथ होटल को भी हम एक समवाय बना दें।

गांवों की आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि इस दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आरम्भ किया गया, तो हमें बड़ी आशायें दिलाई गईं कि इससे आवास व्यवस्था में बहुत सुधार हो जायेगा। पर मुझे खेद है कि अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ इस उद्देश्य में भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूर्णतः असफल रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गांवों में जो मकान बनाये जाते हैं वह सामुदायिक विकास के पदाधिकारियों तथा कार्यालयों के लिये बनाये जाते हैं। मेरा विचार है कि इनके लिये मकान न बना कर गांव वालों की मदद में धन खर्च किया जाये, तो ज्यादा अच्छा हो। हमें बताया गया है—इस सम्बन्ध में—कि यह निर्माण कार्य राज्य सरकार का होता है। मेरा कहना है कि मन्त्रालय को इसे रोकना चाहिये। गांवों में अच्छे-अच्छे मकान मामूली किराये पर इन पदाधिकारियों के लिये मिल सकते हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि यह दिखावटी काम बन्द किया जाये। पदाधिकारियों के लिये बंगले व मकान व कार्यालय न बनाये जायें। निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय को चाहिये कि वह केन्द्र के सामुदायिक विकास मन्त्रालय तथा राज्यों के इस विभाग से मांग करे कि इन निर्माणों पर धन न बरबाद किया जाये बल्कि गांवों का सुधार करने के लिये धन व्यय किया जाये।

मैं मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरि) : हमारे देश में आवास की समस्या बड़ी टेढ़ी है, खास तौर से शहरों में। इसलिये कि उद्योग-धंधे शहरों में ही होते हैं और उनके कारण लोग गांवों से शहरों की ओर आते रहते हैं। शहरों में मकान बनाने के लिये स्थान मिलना भी कठिन हो जाता है। इमारती सामान बड़ा महंगा है।

आज जरूरत इस बात की है कि सस्ते मकानों के नमूने बनाये जायें, उनमें इमारती सामान भी सस्ता लगे और श्रम भी कम लगे। निर्माण के लिये दीर्घकालीन भुगतान वाले ऋण भी दिये जाने चाहियें।

मकान निर्माण के लिये स्थानों के सम्बन्ध में सरकार ने अर्जन तथा भूमि विकास अधिनियम पारित करके बड़ा अच्छा किया है। इससे इमारतों के लिये स्थानों का अर्जन करने में आसानी हो जायेगी।

इन क्षेत्रों का समुचित विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय निकायों को सुधार कर लगाना चाहिये। तब स्थानीय निकाय अधिक सुविधायें जुटा सकेंगे। यह कर उचित भी है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवास के लिये ८४ करोड़ रुपये दिये गये थे। इसमें से लगभग ५६ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नंजप्पा]

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिये काफी क्वार्टर बनवाये हैं। लेकिन साधारण जनता को इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ है। कम आय और मध्यम दर्जे की आय वाले लोगों के लिये आवास-निर्माण की योजनायें काफी आगे बढ़ी हैं। उनके लिये और अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसे देहाती क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को मकानों की बड़ी तंगी है। हरिजनों की झोंपड़ियों की बड़ी दुर्दशा है। देहाती क्षेत्रों की आवास योजनाओं के लिये प्रति इकाई १,५०० रुपये रखे गये हैं। राज्यों के आवास मंत्रियों ने हैदराबाद की अपनी बैठक में इसे प्रति इकाई २,५०० रुपये कर देने की सिफारिश की थी। देहाती क्षेत्रों में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि मौजूदा मकानों की मरम्मत सबसे पहले की जाये। आवास मंत्रियों के हैदराबाद सम्मेलन ने यह सिफारिश भी की थी कि इसके लिये लोगों को ऋण दिये जायें और सड़कों, जल-निस्सारण, जल-सम्भरण इत्यादि की सुविधाओं की व्यवस्था की जाये। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक तिहाई भूमि चाय-बागानों की है। इसलिये वहां चाय बागानों के मजदूरों के लिये आवास की व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। उनमें से अधिकांश हजिरन ही हैं। वे बड़ी ही गन्दी और अस्वास्थ्यकर झोंपड़ियों में बसर करते हैं। दक्षिण भारत की 'यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसियेशन' के सचिव ने दस साल पहले वचन दिया था कि इन मजदूरों के लिये मकान बनवाये जायेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया।

१९५६ में चाय बागानों के मालिकों को इन मजदूरों के लिये मकान वनवाने पर विवश करने के लिये एक अधिनियम पारित किया गया था। अब उस अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

औद्योगिक मजदूरों और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये सरकार छात्रावासों के ढंग के मकान बनाने की सोच रही है। चीज तो अच्छी है, लेकिन इन स्थानों में मजदूरों की गुटबाजी और दलबन्दी को नहीं घुसने देना चाहिये।

मद्रास में फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों की संख्या एक लाख तक पहुंचती है। राज्य सरकार ने उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। लेकिन भारत सेवक समाज ने वहां कई स्थानों पर रैन बसेरे बनाये हैं। उनसे मजदूरों को बड़ा लाभ हुआ है। यहां दिल्ली में भी वैसा ही किया जाना चाहिये।

औद्योगिक मजदूरों की आवास-समस्या की एक कठिनाई यह है कि निजी उद्योगपति उनके लिये कुछ भी नहीं करना चाहते। उनको इसके लिये बाध्य किया जाना चाहिये। आवास-मंत्रियों के तीन सम्मेलनों ने इसकी सिफोरिश की है। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है।

देश के विभिन्न भागों से दिल्ली में आने वाले छात्रों, किसानों, इत्यादि के लिये जनता होटल बनाने का सुझाव भी बड़ा अच्छा है।

मैं जानना चाहता हूं कि कोयम्बटूर के मुद्रण प्रेस का मामला अब किस अवस्था पर है।

सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार और कदाचार रोकने के लिये एक सतर्कता विभाग बनाने का सुझाव भी बड़ा अच्छा है।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : उपाध्यक्ष महोदय, आवास मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता है इसीलिये माननीय सदस्य हमारे मन्त्रालय के आवास विभाग के कार्य में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हमारे देश में आवास की स्थिति कितनी दयनीय है यह बताने के लिये आंकड़े पेश करना आवश्यक नहीं है। यदि हम किसी नगर में घूमने निकल जायें तो हमें अनेक गन्दी बस्तियां दिखाई पड़ जायेंगी। मकान बहुत पास-पास बने हुए हैं और आयोजन का सर्वथा अभाव मालूम होता है। कहीं-कहीं तो स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यक सुविधायें भी मौजूद नहीं हैं।

जहां तक गांवों का सम्बन्ध है, सम्भवत: उनकी स्थिति और भी अधिक खराब है। हमारे देश की २९$^{1}/_{2}$करोड़ जनता गांवों में रहती है जबकि मकानों की संख्या लगभग ५$^{1}/_{2}$करोड़ बताई जाती है। विशेषज्ञों का मत है कि इनमें से लगभग ५ करोड़ मकान उचित स्तर के नहीं हैं। अत: यदि आवास की समस्या को सन्तोषजनक रूप से हल करना है तो उसके लिये बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी।

माननीय सदस्य जानते हैं कि दूसरी योजना में निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय के अन्तर्गत चल रही विभिन्न आवास योजनाओं के लिये मूलत: १२० करोड़ रुपये का आवण्टन किया गया था। बाद में यह राशि कम करके ८४ करोड़ रुपये कर दी गई थी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिये कि सरकार इस समस्या पर केवल ८४ करोड़ रुपये ही व्यय कर रही है। वास्तव में अन्य मन्त्रालयों के अन्तर्गत भी देश में रहने के मकानों के निर्माण पर बहुत बड़ी राशियां व्यय की जा रही हैं।

उदाहरण के लिये जहां तक ग्रामीण जनसंख्या का सम्बन्ध है, ग्रामीण आवास परियोजना के लिये उपबन्धित धन के अतिरिक्त गृह मन्त्रालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आवास के लिये ८.७५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है। इसी प्रकार सामुदायिक विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत ग्रामीण आवास और सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कर्मचारियों की आवास परियोजनाओं के लिये १६ करोड़ रुपए का उपबन्ध किया गया है। फिर खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के पास भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप बनाने के लिये कोष है। स्वास्थ्य मन्त्रालय के पास ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंभरण और स्वच्छता के सुधार के लिये कोष है और वाणिज्य मन्त्रालय ने कारीगरों और बुनकरों के लिये आवास और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये योजनायें बनाई हैं तथा धन उपलब्ध किया है।

इस वर्ष के बजट से ज्ञात होगा कि विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत देश में मकान बनाये जाने के लिये ६४ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जा रहा है। छै योजनायें तो हमारे मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं। २७.६८ करोड़ रुपये का उपबन्ध इस वर्ष के बजट में किया गया है और ३.३५ करोड़ रुपए का उपबन्ध केन्द्रीय लोककर्म विभाग द्वारा मकान बनाये जाने के लिये किया गया है। फिर आप को याद होगा कि हाल में हमने दो योजनायें शुरू की हैं; एक मध्य आय वर्ग आवास योजना और दूसरी जीवन बीमा निगम से ऋण के रूप में प्राप्त सहायता से राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिये किराये की आवास योजना। इस वर्ष इन दो योजनाओं के लिये ४ करोड़ रुपए का आवण्टन किया जा रहा है।

फिर एक योजना भारत सरकार के स्थायी कर्मचारियों को आवास ऋण देने की है और दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये भी एक विशेष उपबन्ध किया गया है। इस वर्ष के बजट में इन दो प्रकार के कार्यों के लिये २ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस प्रकार इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल ३७.०३ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

फिर रेलवे, प्रतिरक्षा, डाक तथा तार और कुछ अन्य विभागों तथा इस्पात निगमों आदि जैसे सरकारी उपक्रमों की आवास योजनायें भी हैं। इस वर्ष के बजट में इनके अन्तर्गत लगभग २७ करोड़ रुपए का उपबन्ध किया जाएगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : डाक तथा तार विभाग के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वह दूसरे मन्त्रालय से सम्बन्धित है। हमारा काम तो केवल मकान बनाना है।

†**श्री तंगामणि** : १९५९-६० में कितने मकान बनाए गए तथा १९६०-६१ में कितने मकान बनाए जायेंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जैसा कि मैं कह चुका हूं यह कार्य डाक तथा तार विभाग का है। वह हमें धन देता है तथा हम मकान बनाने का काम करते हैं।

इस प्रकार इस वर्ष के बजट में मकानों के लिये ६४.०३ करोड़ रुपये का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भी मकानों का निर्माण किया जाता है।

अब मैं वास्तविक सफलताओं का उल्लेख करूंगा क्योंकि हमारे कार्य का निर्धारण इस दृष्टि-कोण से किया जाएगा कि जो ८४ करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं के लिये रखा गया है उसमें क्या कार्य हुआ है। राजसहायता प्राप्त औद्योगिक योजना के अन्तर्गत पुनरीक्षित योजना में २७ करोड़ रुपए का उपबन्ध है। गत चार वर्षों में हम १६.१३ करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और इस वर्ष के बजट में ८.५ करोड़ रुपये का उपबन्ध है। अर्थात् दूसरी योजना के अन्त तक हम २७ करोड़ रुपए के कुल आवण्टन में से २४.६३ करोड़ रुपए खर्च कर लेंगे। यदि इस कार्य का प्रतिशत निकाला जाय तो लक्ष्य का ९१.१ प्रतिशत होगा।

अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत योजना में ३५.६ करोड़ रुपए का उपबन्ध है। पहले चार वर्षों में राज्य २५.८९ करोड़ रुपये ले चुके हैं और इस वर्ष के बजट में ९.२५ करोड़ रुपए का उपबन्ध है। यह ३५.१४ करोड़ होता है जो लक्ष्य का ९९.१ प्रतिशत है।

बागान श्रमिक आवास योजना का कार्य सबसे अधिक असन्तोषजनक रहा है। योजना में उपबन्ध किये गए ०.५१ करोड़ रुपये में से पहले चार वर्षों में ०.०८ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस वर्ष के बजट में ०.१० करोड़ रुपए का उपबन्ध है। यह कुल ०.१८ करोड़ रुपए होता है जो लक्ष्य का ३५.२ प्रतिशत है।

गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन १२.९९ करोड़ रुपए है। पहले चार वर्षों में राज्य ६.४० करोड़ रुपए ले चुके हैं और इस वर्ष के बजट में ४.३३ करोड़ रुपये का उपबन्ध है। इनका योग १०.७३ करोड़ रुपए होता है जो लक्ष्य का ८२.९ प्रतिशत है।

ग्रामीण आवास परियोजनाओं के लिये ५ करोड़ रुपये का उपबन्ध है। पहले चार वर्षों में १.९६ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और वर्तमान बजट में २.५५ करोड़ रुपये का उपबन्ध है। इन का योग ४.५१ करोड़ रुपये होता है जो लक्ष्य का ९० प्रतिशत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि अर्जन तथा विकास योजना पिछले वर्ष ही शुरू की गई थी। इस के लिये २.९० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। पहले वर्ष में अर्थात् गत वर्ष में राज्यों द्वारा ०.४० करोड़ रुपये लिये जा चुके हैं और इस वर्ष के बजट में २.५० करोड़ रुपये का उपबन्ध है। इस प्रकार योजना के अन्त तक समस्त २.९० करोड़ पये खर्च हो जायेंगे।

संक्षेप में, जो ८४ करोड़ रुपये हमें दिये गये थे उस में से योजनावधि के अन्त तक लगभग ७८.५९ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा निकाल लिये जायेंगे। यह लक्ष्य का ९३.६ प्रतिशत होता है। मेरा निवेदन है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन की कठिनाइयों को देखते हुए यह सफलता बहुत अच्छी कही जायगी। अन्ततः ये योजनायें राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं और हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते वरन् केवल पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री रेड्डी, मैं और हमारे अधिकारी राज्य प्राशासनों से निकटतम सम्पर्क रखते हैं और विभिन्न राज्यों का प्रायः दौरा किया करते हैं तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में उन की सहायता करते हैं।

हम ने आवास परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी निर्णय किये हैं। वे सामान्यतः आवास मंत्रियों के विभिन्न सम्मेलनों द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित हैं। पहला निर्णय ग्रामीण आवास योजना से सम्बन्धित है। अभी तक ऋण की अधिकतम मात्रा १५०० रुपये थी और मकान पर ३००० रुपये तक लागत लगाने की अनुमति थी। अब ऋण की मात्रा बढ़ा कर २००० रुपये कर दी गई है। दूसरे, राज्यों के आवंटन का १५ प्रतिशत अब ग्रामीणों को उनके वर्तमान मकानों के सुधार के लिये ऋण देने पर खर्च किया जायगा। अनेक माननीय सदस्यों ने इस का निर्देश किया था और हम ने इस के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। इसे नये मकानों के के लिये धन कम रह जायगा। परन्तु इस के सम्बन्ध में हम असमर्थ हैं। दोनों बातें एक साथ पूरी नहीं हो सकती हैं। हम ने कुछ मामलों में उस राजसहायता को बढ़ा देने का निर्णय भी किया है जो हम ग्रामीण आवास पर व्यय करने के लिये राज्यों को देते हैं।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : क्या आप समस्त राशि खर्च कर लेंगे ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : ये आवंटन राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की गई चर्चा के आधार पर किये गये हैं। कुछ मामलों में राज्यों ने अधिक आवंटन की मांग की थी परन्तु वह हमने नहीं किया है। हमें आशा है कि ये राशियां इस वर्ष के दौरान में काम आ जायेंगी।

बागान श्रमिकों से संबंधित योजना का कार्य सब से कम संतोषजनक रहा है। मुख्य कठिनाई यह रही है कि छोटे-छोटे बाग वाले बागानों के संचालन के लिये वित्त प्राप्त करने के लिये अपनी समस्त आस्तियां और फसलें बैंक में गिरवी रख देते हैं और वे योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये ऋण प्राप्त करने के लिये राज्यों को पर्याप्त जमानत नहीं दे पाते हैं। इस विषय पर हम निरन्तर विचार करते रहे हैं और हम ने उन राज्यों के प्राधिकारियों से चर्चा भी की है जिन में वे बागान स्थित हैं। इस के अतिरिक्त योजना आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के साथ भी हम ने चर्चा की है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम 'पूल गारण्टी फण्ड' के निर्माण का विचार रहे हैं जो राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में बागान मालिकों द्वारा भरे जाने वाले प्रामिसरी बाण्डों और दूसरे बन्धक विलेखों के अतिरिक्त सांपार्श्विक प्रतिभूति का काम देगा। अब बागान मालिकों से वर्तमान ४.५ प्रतिशत की दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज लिया जायगा और जो अतिरिक्त वसूली होगी वह स कोष में जायेगा। इस कोष के अतिरिक्त यदि कोई अशोध्य ऋण होंगे तो वे केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और सम्बन्धित बोर्ड के बीच समान रूप

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

में विभाजित किये जायेंगे । प्रस्तावित कोष में भारत सरकार के शामिल होने में यह कठिनाई है कि वह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष राजसहायता ही होगी जिस को योजना के निर्माण के समय कल्पना नहीं की गई थी और आवास का उपबन्ध करना बागान मालिकों का संविहित दायित्व है । परन्तु चूंकि वह अशोध्य ऋण अ क नहीं होगा इसलिये इस प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है । अब हम चाय और काफी बोर्डों से इस कोष में सम्मिलित होने के लिये कह रहे हैं । उनके स्वीकार कर लेने पर हम राज्यों को आवश्यक हिदायतें जारी करेंगे । आशा है कि इस 'पूल गा टी फंड' से कुछ राज्य लाभ उठा सकेंगे ।

फिर जहां तक अल्प आय वर्ग आवास योजना का सम्बन्ध है, वर्तमान रूप में स्थानीय निकाय उस के अन्तर्गत किराये के मकान बना कर उन में से २५ प्रतिशत मकानों को अपने कर्मचारियों को उठा सकते हैं । दूसरे शब्दों में स्थानीय निकायों को अपने अल्पआय वर्ग के कर्मचारियों को २५ मकान देने के लिये सामान्य जनता के लिये ७५ मकान और बनाने हों । यह अभ्यावेदन किया गया था कि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वे जन साधारण के लिये मकानों का निर्माण कर सकें । इसलिये यह निर्णय किया गया है कि वे केवल अपने अल्पआय वर्ग के कर्मचारियों के लिये ही मकानों का निर्माण करेंगे । इस के सम्बन्ध में केवल एक शर्त रखी जायेगी कि योजना के अन्तर्गत राज्य के कुल आवंटन का अधिक से अधिक ७.५ प्रतिशत इस प्रयोजन के लिये स्थानीय निकायों को दिया जायेगा ।

श्री तंगामणि ने विश्वविद्यालयों का निर्देश किया । इस समय विश्वविद्यालयों तथा अन्य गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं को, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर भी, इस योजना के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के आवास के लिये ऋण नहीं दिये जा सकते हैं । अब उन्हें भी उन संगठनों की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है जो यह सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

जहां तक राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का सम्बन्ध है हम ने कम आय वाले तथा अकेले रहने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लि उपयुक्त रहने के स्थान की व्यवस्था करने के लिये नियम बनाये हैं । इस योजना के अन्तर्गत होस्टल बनाने को अनुमति देने का निर्णय किया गया है जिस का किराया उस का लगभग आधा होगा जो अभी दो कमरों के छोटे से मकान का लिया जाता है । इस प्रकार का निर्माण कार्य कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद आदि जैसे औद्योगिक नगरों में लोकप्रिय सिद्ध होना चाहिये जहां कि इस प्रकार के बहुत से मजदूर रहते हैं जो अपने परिवारों को गांवों में ही बनाये रखते हैं ।

जहां तक औद्योगिक श्रमिक आवास सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, जिन के सम्बन्ध में श्री तंगामणि ने कल निर्देश किया था, आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है जिस से मकान की लागत का दस प्रतिशत भविष्य निधि से उपलब्ध हो सकेगा । इन के सम्बन्ध में २५ प्रतिशत राज सहायता और ६५ प्रतिशत ऋण पहले ही उपलब्ध हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सुविधा, जो अभी केवल कारखानों के मजदूरों को उपलब्ध है, सड़क परिवहन श्रमिकों को भी दी जायेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना का संबंध है, माननीय मित्र जानते हैं कि वह केवल फैक्ट ी अधिनियम की कुछ धाराओं द्वारा प्रशासित होने

---

†मूल अंग्रेजी में

वाले श्रमिकों और खनिकों (कोयला और अभ्रक खनिकों को छोड़ कर) पर लागू होती है। अब जो सुझाव वह दे रहे हैं उस के सम्बन्ध में आगे चल कर विचार किया जा सकता है।

†**श्री पलनियाण्डी** (पेराम्बलूर) : इन श्रमिकों को प्राक्कलन तैयार करने के सम्बन्ध में प्रविधिक सहायता भी दी जानी चाहिये क्योंकि उन के लिये वह काम बहुत कठिन है।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं समझता हूं कि आवास बोर्ड तथा संबंधित राज्य विभाग उनकी सहायता करने के लिये तयार हैं। जहां कहीं भी कार्य किया जाना होता है कुछ धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सहायता इन लोगों को दी ही जा रही है। उन की शत प्रतिशत आवश्यकतायें सरकारी कोष से पूरी की जा रही हैं।

जहां तक गन्दी बस्तियों को सफाई की योजना का सम्बन्ध है, बम्बई सरकार ने एक बहुत बड़ी परियोजना झोंपड़ों में रहने वालों के लिये प्रारम्भ की है। इस परियोजना में बम्बई के निकट ६००० मकान बनाये जायें जिन पर लगभग २.०९ करोड़ रुपये खर्च हों। वास्तव में यह एक वृहद् योजना का पहला प्रक्रम है जिस में गन्दी बस्तियों में रहने वाले २५,००० लोगों के लिये नए मकान बनाये जाने हैं। दिल्ली के अनधिवासियों के सम्बन्ध में सरकार ने २५,००० झुग्गियों और झोंपड़ियों को गिरा कर नये मकान बनाने का निर्णय किया है जिन पर लगभग ४.३८ करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रत्येक अनधिवासी परिवार को लगभग ८० वर्ग गज का खुला प्लाट उस की आधी कीमत अर्थात् ८७५ रुपये में दिया जायगा। उन प्लाटों में स्नानागार और शौचालय भी होंगे। यह परियोजना दो वर्षों में पूरी की जानी है। पहले समस्त अनधिवासियों की गणना की जायगी और यह कार्य प्रारम्भ भी किया जा चुका है। उस के १५ मई तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि जो योजनायें चल रही हैं उन में भूमि अर्जन और विकास योजना और जोड़ी गई है जिस का उद्देश्य भावी मकान मालिकों के लिये बिना लाभ हानि के आधार पर उपयुक्त प्लाट उपलब्ध कराना है। इस योजना से समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सकेगा, भूमि की कीमत के सम्बन्ध में सट्टेबाजी कम होगी और अल्प आय वर्ग के लोगों को सरकार से बिना अतिरिक्त वित्तीय सहायता लिये मकान बनाने की प्रेरणा मिलेगी। इस के लिये दूसरी योजना में २.९ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। यह योजना कुछ महीने पहले ही चालू की गई थी। राज्य सरकारें १५ करोड़ रुपये की परियोजनायें प्रारम्भ कर सकती हैं। यद्यपि दूसरी योजनावधि में वास्तविक भुगतान २.९ करोड़ रुपये का ही किया जायगा।

इस के बाद मैं प्रेसों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्री नंजप्प ने दूसरी योजना-वधि में कोयम्बटूर में खोले जाने वाले प्रेसों के सम्बन्ध में पूछा है। हम दो सरकारी प्रेस खोलना चाहते हैं, एक कोयम्बटूर में और दूसरा कोरट्टी में। भूमि अर्जित की जा चुकी है परन्तु चूंकि मुद्रण को योजना के मुख्य भाग में सम्मिलित नहीं किया गया था इसलिये धन नहीं मिल सका। इन दो प्रेसों के चालू करने में विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता थी क्योंकि जो मशीनें लगाई जानी थीं उन में से अधिकांश विदेशों से मंगाई जानी थीं। परन्तु मुझे खुशी है कि पिछले कुछ दिनों में ७.६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की मंजूरी हमें मिल गई है और कोयम्बटूर के प्रेस के लिये मशीनों का आर्डर भेजा जा रहा है। कोरट्टी के प्रेस के लिये भी आवश्यक मशीनों का आर्डर शीघ्र ही भेजे जाने की आशा की जा रही है।

†**श्री नंजप्पे** : क्या कोयम्बटूर के प्रेस की योजना के सम्बन्ध में कोई संपरिवर्तन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिल कु० चन्दा : जी नहीं ।

जहां तक कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध है, मैं दो एक का निर्देश करना चाहता हूं क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं । कटौती प्रस्ताव संख्या १८११ में सर्वश्री कोडियान और वारियर ने यह कहा है कि बागान मालिकों को सरकार से ऋण लेकर बागान श्रमिकों के लिए पर्याप्त मकानों का निर्माण करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए । बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत बागान श्रमिकों के लिए आवास सम्बन्धी व्यवस्था को पूरा न करने पर तीन महीने तक के कारावास अथवा ५००० रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है । इस उपबन्ध को लागू करना, जैसाकि हैदराबाद में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की है, राज्य सरकारों का काम है ताकि बागान मालिक अपने श्रमिकों के लिए रहने के स्थान का निर्माण करने के लिए बाध्य हो जाये । उनसे यह पूछा गया है कि क्या वे इन दण्डों को बढ़ाना पसन्द करेंगे । जैसा कि मैं कह चुका हूं हमने पूल गारण्टी फण्ड का एक नया फार्मूला भी निकाला है जिससे छोटे-छोटे बागानों के लिए इस योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जायेगा ।

फिर श्री तंगामणि का कटौती प्रस्ताव है जिसमें श्रमिकों के नियोजकों को उनके लिए क्वार्टर बनाने के लिए बाध्य करने पर जोर दिया गया है । वास्तव में उनका कार्य बहुत संतोषजनक नहीं रहा है क्योंकि अभी तक नियोजकों के क्षेत्र में केवल १३००० मकानों का निर्माण हुआ है । जितने मकान औद्योगिक श्रमिकों का दिये गये हैं उनमें से ८३ प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये हैं, १६ प्रतिशत नियोजकों द्वारा और १ प्रतिशत औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी समितियों द्वारा । नियोजकों को बाध्य करने के विषय पर विभिन्न आवास मंत्री सम्मेलनों में चर्चा की जा चुकी है और हैदराबाद के सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है कि इस मामले के सम्बन्ध में भारत सरकार को राज्य सरकारों और औद्योगिक नियोजकों और श्रमिकों के अखिल भारतीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके ठोस प्रस्तावों का निर्माण करना चाहिए । अब यह मामला हमारे हाथ में है और श्रम तथा योजना मंत्री योजना आयोग के साथ चर्चा कर रहे हैं । कोई निर्णय करने के पूर्व अनेक बातों पर विचार करना होगा । उसमें कुछ समय अवश्य लगेगा परन्तु यह निश्चित है कि सरकार उसके सम्बन्ध में सक्रियता से विचार कर रही है ।

इसके बाद मैं श्री तंगामणि द्वारा विस्फोट विभाग के कार्यकरण, विशेष रूप से जमुरिया विस्फोट के, सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव का निर्देश करूंगा । वह निस्संदेह एक भयंकर दुर्घटना थी जो मनुष्य की गलती से हुई थी । उसमें ५७ व्यक्ति मरे थे । जो लोग अपनी साप्ताहिक खरीद करने के लिए बाजार आये थे वे विस्फोट के परिणामस्वरूप जलकर मर गये ।

इस सम्बन्ध में विस्फोटक विभाग की कार्य रीति का निर्देश करना भी वांछनीय होगा । विस्फोटक विभाग का कार्य अनेक प्रकार का है जो सब प्रकार की खतरनाक वस्तुओं के आयात, संग्रहण, निर्माण, धारण और परिवहन तथा भारतीय विस्फोटक अधिनियम, १८८४ और भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, १९३४ और उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रशासन से सम्बन्धित है । इस संगठन का प्रधान मुख्य निरीक्षक है जिसका कार्यालय नागपुर में स्थित है । देश के पांच विभिन्न भागों में पांच सर्किल कार्यालय हैं । विभाग में इस समय एक विस्फोटक मुख्य निरीक्षक (चीफ इन्सपेक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज), दो सहायक मुख्य निरीक्षक और २४ निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक हैं । मोटे तौर से लगभग १५००० लाईसेंसदार हैं । पिछले दो वर्षों में एक तिहाई अर्थात् ५००० संस्थापनों का निरीक्षण किया जा चुका है । इस विभाग का कार्य प्रविधिक है और

†मूल अंग्रेजी में

अधिकारियों को लाईसेंस दि गये स्थानों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करना होता है। उन्हें उन स्थानों के नक्शे तथा निर्माण, संग्रहण, धारण आदि से सम्बन्धित अन्य प्रविधिक आवश्यकताओं का निरीक्षण करना होता है। यह एक केन्द्रीय विषय है और इसका प्रशासन हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत विस्फोटक विभाग द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य समस्त देश में विस्फोटक पदार्थों के निर्माण, धारण आदि का विनियमन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग और जिला प्राधिकारियों द्वारा लाईसेंस जारी किये जाने से सम्बन्धित नियमों में पर्याप्त उपबन्ध रखे गये हैं।

अधिक महत्वपूर्ण लाईसेंस विभाग द्वारा मंजूर किये जाते हैं और साधारण संस्थापनों के लाईसेंस जिला प्राधिकारियों द्वारा। प्रशासन में हमारे विभाग और जिला प्राधिकारियों का दोहरा नियंत्रण रहता है। जिला प्राधिकारियों को प्रत्येक अवस्था में हस्तक्षेप करना होता है क्योंकि विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत विस्फोटक विभाग किसी भी व्यक्ति को उस समय तक लाईसेंस मंजूर नहीं कर सकता जब तक जिला प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र न दें। अर्थात् जब कभी भी विस्फोटकों के निर्माण के लिए संस्थापन के लाईसेंस के लिए कोई प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो पहले हम यह कहते हैं कि जिला प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाइये। वे व्यक्ति के पिछले आचरण, स्थान की आवश्यकताओं आदि की जांच करते हैं। फिर पहली बार में लाईसेंस केवल एक वर्ष के लिए मंजूर किया जाता है। लाईसेंस मंजूर किये जाने के पूर्व हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। नियमों के अनुसार यह निरीक्षण केवल प्रथम संस्थापन के सम्बन्ध में आवश्यक है। लाईसेंस हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के पश्चात् ही लागू होता है। लाईसेंस केवल एक वर्ष के लिए दिया जाता है और उसका प्रति वर्ष पुनर्नवीकरण कराना पड़ता है। पुनर्नवीकरण प्रमाणपत्र दिये जाने के पूर्व जिला प्राधिकारियों को पुनर्नवीकरण के प्रार्थनापत्र की सूचना दी जाती है और पुनर्नवीकरण प्रमाणपत्र देने से तभी इन्कार किया जाता है जब कि जिला प्राधिकारियों द्वारा कोई आपत्ति की जाती है। अर्थात् यदि जिला प्राधिकारी यह समझते हैं कि वह व्यक्ति लाईसेंस के पुनर्नवीकरण के योग्य नहीं है तो पुनर्नवीकरण प्रमाणपत्र मंजूर नहीं किया जायेगा।

फिर नियम ६ के अन्तर्गत समस्त जिलाधीशों, वृत्तिकाग्राही मजिस्ट्रेटों और ऐसे पुलिस अधिकारियों को, जो सब-इन्सपेक्टर की श्रेणी से नीचे के न हों, निरीक्षण, जब्ती आदि की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। लाईसेंसदारों को अपने स्टाक और बिक्री का जिला प्राधिकारियों द्वारा विनिहित स्वरूप में रिकार्ड रखना पड़ता है। स्थानीय प्राधिकारी भी लाईसेंस रद्द कर सकते हैं। यदि वे यह समझते हैं कि किसी व्यक्ति का यह काम करते रहना खतरे से खाली नहीं है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हर अवस्था में दोहरा नियंत्रण है। जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें ऐसा होना अपरिहार्य है। हमारा नियंत्रण प्रविधिक पहलू के सम्बन्ध में है। विस्फोटक जैसी खतरनाक चीज के निर्माण के सम्बन्ध में केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही विचार नहीं करना होता है वरन् कानून तथा व्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्यायें भी उसमें अन्तर्ग्रस्त हैं।

†**श्री तंगामणि** : प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इस मामले में बारूद का संग्रह ऐसे स्थान पर किया गया था जो गन्धक और सेफ्टी फ्यूज़ के संग्रह के लिए था। ऐसा १९५० से होता आ रहा है। क्या इस गलती की जिम्मेदारी विस्फोटक विभाग पर नहीं आती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक उस मामले का सम्बन्ध है, वह न्यायाधीन है इसलिए मैं समझता हूं कि उसका निर्देश करना ठीक नहीं होगा ।

†**श्री तंगामणि** : उसका उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं जानता हूं । इस प्रतिवेदन के परिणामस्वरुप दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निर्देश नहीं किया जाना चाहिए ।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि श्री सुरीटा के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि जिस स्थान में बारूद का निर्माण किया जाता हो, उसकी भली प्रकार जांच की जानी चाहिए, अर्थात् उस स्थान की जांच की जानी चाहिए थी जिसमें बारूद का निर्माण किया जा रहा था; माननीय सदस्य उस गोदाम की जांच नहीं संग्रह के किये जाने का ज़िक्र कर रहे थे जहां कि वह व्यक्ति बारूद स्टाक करता था । उस गोदाम का लाईसेंस तो गन्धक और फयूज़ों के संग्रह के लिए किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया था विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत नहीं दिया गया था । इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य दोनों के अन्तर को नहीं समझ रहे हैं ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मेरा विचार है कि इस प्रकार के नियम विरुद्ध कार्यों का पता लगाना स्थानीय प्राधिकारियों का कार्य है । ये स्थान समस्त देश में यत्रतत्र फैले हुए हैं और हमारे अधिकारी पुलिस की तरह इन बातों का पता नहीं रख सकते हैं । इस प्रकार की बातें तभी खत्म हो सकती हैं जबकि स्थानीय प्राधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सतर्क रहें । श्री सुरीटा ने अपने प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं और हमने उसी प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की है ।

हां, एक बात है जो हमारे अधिकारियों से सम्बन्धित है और जिसका निर्देश श्री तंगामणि ने कल किया था । कहा जाता है कि श्री सीताराम साहू के जमुरिया कोयला खान संख्या ७ और ८ के निकट स्थित संस्थापना की जांच से यह पता लगा था कि संग्रहण स्थान का कुछ समय से उपयोग नहीं किया गया था और श्री राय ने यह कहा था कि यदि निरीक्षण प्रायः होते रहते तो निरीक्षण अधिकारी को इस मामले का पता चल जाता । यदि वार्षिक निरीक्षण भी किया जाता तब भी इस प्रकार की बुरी बातों को रोका नहीं जा सकता था । इसके अतिरिक्त वह बहुत छोटा सा संस्थापन है और अधिकांश छोटे छोटे संस्थापनों में विस्फोटकों का संग्रह नहीं किया जाता है । वे जितना उत्पादन दिन भर में करते हैं उसे बेच भी डालते हैं। अधिकांश छोटे संस्थापनों में संग्रह किया ही नहीं जाता है । मितव्ययता और संग्रहण की कठिनाइयों और खतरों से बचने की दृष्टि से वे अपना उत्पाद उसी दिन बेच डालते हैं । इसलिए यदि हम जल्दी जल्दी निरीक्षण भी करें तब भी सम्भव है कि इन कानून विरुद्ध बातों का पता न लग सके । हां, अकस्मात उनका पता लग सकता है । यदि हमारे निरीक्षण अधिकारी प्रविधिक निरीक्षण के लिए गये भी होते तो सम्भव है कि उन्हें यह पता न चलता कि इस संस्थापन में उत्पादित विस्फोटकों का २$^{1}/_{2}$ मील की दूरी पर गैर कानूनी संग्रह किया जा रहा है । फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि निरीक्षण अधिक जल्दी जल्दी किये जाने चाहिएं और हम अपने कर्मचारी बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि अधिक जल्दी जल्दी

---

†मूल अंग्रेजी में

निरीक्षण किये जा सकें । जिन क्षेत्रों में बहुत बड़ा संस्थापन होता है अथवा छोटे छोटे अनेक संस्थापन हैं उनके लिए हमने विशेष अधिकारी रखे हुए हैं जो केवल उन विशिष्ट क्षेत्रों की देखरेख करते हैं । गोमिया फैक्टरी के लिए हमारे विशेष अधिकारी हैं । इसी प्रकार सिवकासी के लिए हमारा एक विशेष अधिकारी है । हम आसनसोल के लिए भी, जहां यह दुर्घटना हुई थी, एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि वह कोयलाखान क्षेत्र के बीच में स्थित है ।

जहां तक श्री सुरीटा की सिफारिशों का संबंध है, हम ने राज्य सरकारों से लिखापढ़ी प्रारम्भ कर दी है और उन सिफारिशों को क्रियान्ति करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं । जहां तक हमारे विभाग का सम्बन्ध है, हम विस्फोटक नियमों के नियम ८७ और ९१ में संशोधन करने के लिये गजट में नोटिस जारी करने के लिये कदम उठा चुके हैं और उन संशोधनों को प्रवर्तित किया जायेगा । १९ मार्च, १९६० के भारत सरकार के गजट में उन का पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है ।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व म अशोक होटल का निर्देश करना चाहता हूं । पिछले समय में इस होटल में जो घाटा हुआ है उस की तीव्र आलोचनायें की गयी थीं । कुछ घाटा होना तो अपरिहार्य था । पहले वर्ष में होटल में ठहरने वालों का दैनिक औसत ८० व्यक्ति था और वर्ष भर में ३७.७६ लाख रुपये का घाटा हुआ था । इस राशि में से ३४.७६ रुपये अवक्षयण, ऋणों पर ब्याज, विकास छूट आदि के थे । दूसरे वर्ष में ठहरन वाले यात्रियों का दैनिक औसत ८० से बढ़ कर २१४ हो गया और वर्ष भर में १५.७७ लाख रुपये का घाटा हुआ । यह घाटा उस राशि को निकाल कर हुआ जो अवक्षयण, ऋणों पर ब्याज और अन्य स्थायी प्रभारों के लिये रखी गयी थी । तीसरे वर्ष में हम ने छमाही के आधार पर हिसाब चालू किया और अक्तूबर १९५८ से मार्च, १९४९ तक की अवधि में ठहरने वालों का दैनिक औसत २९० हो गया और उस अवधि में केवल २.२३ लाख रुपये का घाटा हुआ । यह राशि ऋणों पर ब्याज, अवक्षयण आदि के लिये रखी गई १४.६० लाख रुपये की राशि को अलग कर के आई है । जो वर्ष अभी खत्म हुआ है उस में ठहरने वालों का दैनिक औसत ३०० हो गया है और हमें आशा है कि समस्त प्रभारों का भुगतान करने के बाद हमें लगभग ८ लाख रुपये का लाभ होगा ।

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : क्या इस में अवक्षयण ऋणों पर ब्याज आदि सम्मिलित है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी हां, और विकास छूट भी ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस होटल ने सरकार को ऋणों पर ब्याज के रूप में ३०.१७ लाख रुपये का भुगतान किया है । इस के अतिरिक्त १०.३ लाख रुपये का एक ऋण भी ब्याज और भूमि के मूल्य सहित चुका दिया गया है । इस मामले का उल्लेख मैं ने इसलिये किया है कि जब मैं ने इस होटल के सम्बन्ध में इस सभा में पहला वक्तव्य दिया था तो मैं ने यह आशा व्यक्त की थी कि तीन वर्षों में कार्यकरण के बाद इस होटल को लाभ होने लगेगा । मुझे खुशी है कि मेरी बात गलत नहीं सिद्ध हुई ।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैं देहातों की आवास समस्या के बारे में ही बोलूंगा । देहाती क्षेत्रों की इस समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

श्री पुनेकर ने अपनी पुस्तिका —**भारत की आवास समस्या**—में देहाती क्षेत्र की आवास समस्या की संकटापन्न स्थिति दिखाई है । उस में कहा गया है कि देहाती क्षेत्रों में ५ करोड़ मकान इतने अनिरापद और जलवायु की दृष्टि से इतने अस्वास्थ्यकर और टूटे फूटे हैं कि तुरन्त ही

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० २० पटेल]

उन का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। उस में बताया गया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सातवें सर्वेक्षण के अनुसार, ८५ प्रतिशत मकानों की कुर्सी मिट्टी की है, ८३ प्रतिशत की दीवारें मिट्टी, बांस और लकड़ियों की हैं, ७० प्रतिशत की छतें घास-फूस और मिट्टी की हैं ; और केवल ७ प्रतिशत मकानों में ही ईंटों, पत्थर और सीमेंट और लोहे की नालीदार चादरों का उपयोग हुआ है। और ५ करोड़ मकानों के तुरन्त पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस में २,५०० करोड़ रुपये लगेंगे ।

[श्री गोरे पीठासीन हुए]

माननीय उप मंत्री ने बताया है कि मजदूरों के आवास की योजना के लिये आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन क्या खेतिहर मजदूरों को मजदूर नहीं माना जाता ? उन के आवास की कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई ? उन की आय तो फैक्टरी-मजदूरों की आय के मुकाबले बहुत ही कम होती है। उन की भी सहायता की जानी चाहिये। भारत सरकार शहरों की विकास योजनाओं पर ही अधिकांश व्यय करती है। गांवों के लिये कोई भी वृहद् योजना नहीं बनाई गई। गांवों में तो ४–५ फीट से अधिक चौड़ी सड़कें भी नहीं हैं। अमरीका और इंगलैंड में ग्रामीण जनता के लिये बड़ी सुविधायें जुटाई जाती हैं। हमारे यहां सिर्फ लम्बी-चौड़ी बातें की जाती हैं।

दिल्ली शहर की बात लीजिये। आज ही सुबह मैं कुछ ऐसे लोगों को ले कर माननीय रेलवे मंत्री के पास गया था, जो शरणार्थी हैं, और जिन्होंने कुछ निजी भूमि किराये पर ले कर उस पर मकान बना लिये थे, पर निगम ने उन मकानों को गिरवा दिया है। सरकार उन के रहने की क्या व्यवस्था करेगी। सरकार एक फ्लैट में दो संसद् सदस्यों को क्यों नहीं रखती। इस से जनता की आवास समस्या कुछ हद तक तो हल की जा सकती है। मैं इस के लिये सहर्ष तैयार हूं। हमारी जनता ऐसी तंग गलियों और बदबूदार मोहल्लों में रहती है। उन की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे विदेशी अतिथि बड़े शहरों के बड़े बड़े होटलों में रहते हैं। वे देश की वास्तविक दशा को देखे बिना, यह नतीजा निकाल लेते हैं कि देश ने बड़ी तरक्की की है । माननीय मंत्री को वास्तविक परिस्थिति को देख कर उस पर विचार करना चाहिये।

सरकार सहकारी समितियों द्वारा गृह-निर्माण की योजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है। इस के फलस्वरूप अहमदाबाद में बहुत सी सहकारी समितियां खड़ी हो गई हैं। कुछ सहकारी समितियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण देने का वायदा भी किया गया है। लेकिन बम्बई का प्रशासन कुछ इस ढंग का था कि ज्यादा सहकारी समितियों को ऋण नहीं मिल पाता था। अब माननीय मंत्री को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से कि इन समितियों को पर्याप्त ऋण मिल जाये।

इन सहकारी समितियों के मामले में भी भाई-भतीजावाद चलता है। दुर्यापुर पटेल सहकारी समिति ने गृह-निर्माण के लिये दो प्लाट खरीदे थे संख्या ३३ और ३४। लेकिन बाद में, कुछ प्रभावशाली लोगों ने एक दूसरी—जय सोमनाथ सहकारी समिति—बनाली उन की पहुंच माननीय मंत्री तक थी। इसीलिये राज्य ने प्लांट संख्या ३३ को इस दूसरी समिति के लिये अर्जित करने का आदेश दे दिया। मैं मानता हूं कि वह आदेश राज्य सरकार का था, लेकिन जब केन्द्र की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है, तो उसे इन पर कुछ नियंत्रण भी तो करना चाहिये। राज्य सरकार ने इस सहकारी समिति के प्लाट सख्या ३१ और ३२ के अर्जन के लिय आदेश जारी करन में दो साल लगा दिये। उस के बाद भी, मंत्री पर प्रभाव डाल कर आगे की कार्यवाही स्थगित करा दी गई। इस तरह तो गृह-निर्माण का कार्यक्रम नहीं चल सकता। सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिये और राज्य सरकार से सर्तक रहने के लिये कहना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी शक्ति है।

†श्री नि० बि० माईति (घाटल) : आवास योजनाओं के क्षेत्र में मंत्रालय ने बड़ी संतोषजनक प्रगति की है। लेकिन देहाती क्षेत्रों में आवास की समस्या का हल करने में वह पूर्णतया असफल रहा है।

योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में देहाती क्षेत्रों के आवास के संबंध में कुछ निश्चित नीतियां रखी थीं। लेकिन मंत्रालय ने उन की ओर ध्यान इसलिये नहीं दिया कि वह समस्या की विशालता को देख कर भय खा गया। देश भर में ५ करोड़ ४० लाख मकान देहाती क्षेत्रों में बनाने की बात सोचते ही उस के दांतों पसीना आ गया।

मंत्रालय ने अक्तूबर १९५७ में देहाती क्षेत्रों की आवास परियोजना का काम हाथ में लिया था। पिछले ढाई साल में पूरे देश भर में कुल ९०० मकान ही बन पाये है। इस हिसाब से तो सभी देहाती क्षेत्रों की समस्या हल करने में सदियां लग जायेंगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ५,००० गांवों में काम शुरू होना था, लेकिन अभी तक कुल ९०० गांवों का सामाजिक आर्थिक सवक्षण पूरा हुआ है। और अब द्वितीय योजना का केवल एक ही वर्ष शेष है। इस एक वर्ष में ४,१०० गांवों का सर्वेक्षण कैसे पूरा हो सकेगा। और फिर, उन का पुनर्निर्माण तो सर्वेक्षण से कहीं बड़ा काम है। हमारे देश में पांच लाख गांव हैं। यह मंत्रालय इस गति से पांच लाख गांवों की समस्या का हल कैसे कर सकेगा ?

मंत्रालय की सारी नीति ही गलत है। भारत सरकार चाहती है कि पांच लाख गांवों का पुनर्निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कराया जाय। इस के लिय संविधान की दुहाई दी जाती है। गांवों के पुनर्निर्माण के लिये यहां दिल्ली में बैठ कर योजनायें नहीं बनाई जा सकतीं।

हमारे मंत्रियों को गांवों की दशा का कोई ज्ञान नहीं है। वे ऐसे अधिकारियों से घिरे रहते हैं जो बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बढ़िया से बढ़िया नोट लिख सकते हैं। उन्हें देहाती क्षेत्रों की समस्याओं का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। उन का सारा ज्ञान किताबी है।

योजना आयोग ने इसीलिये कहा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकता इस बात की है कि गांवों की जनता को आवास-समस्याओं के संबंध में जागरूक बनाया जाये और उन्हें विस्तार के लिये सभी सुविधायें दी जायें।

अभी तक मंत्रालयों ने देहाती क्षेत्रों के मौजूदा मकानों की ओर ही ध्यान दिया है। लेकिन ये देहाती क्षेत्र भी वही है जो सामुदायिक विकास खडों में हैं। विकास खडों से बाहर के गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय मंत्री ने जो भी कुछ कहा वह उन ९०० गांवों के बारे में ही कहा है जिन का सर्वेक्षण हो चुका है, अन्य देहाती क्षेत्रों के बारे में नहीं।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि सामुदायिक विकास खंडों से बाहर के गांवों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। अन्यथा गावों की इस समस्या का हाल नहीं किया जा सकेगा। हमें घनी आबादी वाले गावों की ओर अधिक ध्याद देना चाहिये। उन के लिये योजना आयोगने लिखा है कि वहां प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

गांवों में जल निस्सारण कीव्यवस्था का नितान्त अभाव है। यदि इस की ओर ध्यान दिया जाये तो, समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी। कार्यक्रम को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये।

देहाती क्षेत्रों की आवास समस्या के लिये मूल प्राक्कलन १० करोड़ रुपये का था। अब वह ५ करोड़ रुपये ही रह गया है, जिस में से ९५ लाख रुपये ३१ दिसम्बर, १९५९ तक खर्च किये जा चुके है। इस के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह समस्या बहुत विशाल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नि० बि० माईति]

इसलिये मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय अपनी नीति में परिवर्तन करे। असफलता मिलने का कारण मंत्रालय की गलत नीति ही है, मंत्रियों या अधिकारियों का इस में कोई दोष नहीं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (हिसार) : जनाब चेयरमैन साहब, आज जो मैं ने तकरीर सुनी आनरेबिल मिनिस्टर साहब की, उसके बारे में मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब को और आनरेबिल मिनिस्टर साहब को, दोनों को, मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए जो डिस्पलेस्ड परसन्स की झुग्गियों और झोंपड़ियों का मसला दस वर्ष से चला आ रहा था उसके बारे में उन्होंने ऐलान किया कि उसको वह दो वर्ष में खत्म कर देंगे और इतना रुपया उस पर खर्च करेंगे। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो डिस्प्लेस्ड परसन्स हैं उनको काफी इमदाद मिलने की उम्मीद है और उनका मामला तै हो जाएगा। इसी सिलसिले में मैं उन लोगों की तरफ उनकी तवज्जह दिलाना चाहूंगा जिनको एश्योरेंसेज (आश्वासन) दिए गए थे और जिनके बारे में मैं ने पिछली मर्तबा अर्ज किया था और मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया था कि वह कमेटी फार्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि वह उस कमेटी के बारे में भी एनाउसमेंट करेंगे ?

इसके साथ ही मुझे एक और चीज जनाब की खिदमत में अर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी दो तीन दिन हुए जब कि मैं ने रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की ग्रांट्स पर तकरीर करते हुए किंग्सवे कैम्प के २५००० लोगों की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलायी थी कि वह स्लम गवर्नमेंट का बनाया हुआ है और वह दिल्ली के स्लम्स से कहीं ज्यादा खराब हालत में है। दस दस बारह बारह आदमियों के लिए ३३ गज जमीन में मकान बना हुआ है, जिसमें न पैखाना है, न नहाने की जगह है, न और कुछ है। मुझे उस बात को दुहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उनकी सारी हिस्ट्री पहले बयान कर चुका हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब एक बार वहां जाकर अपनी आंखों से देख लें तो उनको मालूम हो जाएगा कि दिल्ली में यह सब से बड़ा स्लम गवर्नमेंट ने बनाया है। यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह कम से कम इसको दूर करे। उसमें आपका बहुत रुपया खर्च नहीं होगा, बहुत थोड़े खर्च से उनका मामला तै हो जाएगा। और जो आपका रुपया लगेगा उसको वह पांच परसेंट सूद के साथ वापस करने को तैयार हैं। आप उनसे ४४ लाख रुपया ले चुके हैं। जमीन आप उनको फरोख्त कर चुके है और वह उनके कब्जे में है, जो कि ११६ एकड़ के करीब है। इस काम में आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा, पांच सात लाख रुपया खर्च होगा और इतने में उनका काम बन जाएगा, और जो रुपया आपका खर्च होगा वह आपको अदा भी हो जाएगा। इसलिए मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस काम को हाथ में लीजिए और उसका फैसला कीजिए।

म जनाब की तवज्जह एक और जरूरी मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने बताया, जब मेरे दोस्त पटेल साहब तकरीर कर रहे थे, और वह शिकायत कर रहे थे कि गांवों में यह हुआ और वह हुआ, कि आप अपने कांस्टीट्यूशन को देखिए, हमारी मिनिस्ट्री तो सिर्फ सुपरवाइज करती है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन (वास्तविक कार्यान्विति) तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। मैं भी यह बात जानता हू। मुझे कांस्टीट्यूशन में तो इस बारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन काम इसी तरह से चलता है कि हमारे मिनिस्टर साहब खुद अपने आप कोई काम नहीं करते, वह तो काम करवाते हैं। मैं ने कांस्टीट्यूशन को आंख फाड़ फाड़ कर देखा। मैं ने सारी रिपोर्ट को गौर से दो तीन मर्तबा पढ़ा। लेकिन मुझे कहीं यह चीज नहीं मिली जिसके बारे में कम से कम निस्फ दरजन मेम्बरान ने आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह दिलायी है। रिपोट के पेज १ पर पैरा १–२ में इस मिनिस्ट्री की सात रेसपांसिबिलिटीज लिखी हैं, लेकिन हाउसिंग की कोई

रेसपांसिबिलिटी दर्ज नहीं है। यह कहीं दर्ज ही नहीं है कि यह मिनिस्ट्री हाउसिंग के लिए जिम्मेवार है। यह मिनिस्ट्री हाउसिंग की मिनिस्ट्री कहलाती है जिससे कोई लैमेन यही समझेगा कि इस मिनिस्ट्री का काम है मुल्क में अच्छे मकान बनाना, मकानों की मरम्मत करना, लोगों को हाउस देना। लेकिन यह रेसपांसिबिलिटी कहीं दर्ज नहीं है। जो लिस्ट्स दी हुई हैं कांस्टीट्यूशन में उनको आप मुलाहिजा फरमाइए, उनमें यह न स्टेट लिस्ट में दर्ज है, न सेंट्रल लिस्ट में दर्ज है और न कानकेरन्ट लिस्ट में है। लेकिन मैं जानना हूं कि यह मिनिस्ट्री हाउसिंग का काम करती है, मिनिस्ट्री ने करोड़ों रुपया हाउसिंग पर खर्च किया है। मैं समझता हूं कि इंसान की जिन्दगी के लिए खुराक और पानी के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वह मकान है। जैसे इन्सान की सोल (आत्मा) को रखने के वास्ते एक अच्छे जिस्म की जरूरत है, जो कि ताकतवर हो, उसी तरह से एक इंसान की जिन्दगी के वास्ते, उसकी कडीशन्स आफ वर्क (काम की दशा) के वास्ते, उसकी एफीशेंसी (कार्य क्षमता) कायम रखने के वास्ते हाउस सब से ज्यादा लाजिमी अच्छा मकान है। और इसी सिलसिले में मैं ड्रिंकिंग वाटर का भी जिक्र कर देना चाहता हूं। चन्द रोज हुए जब इस हाउस में इस चीज का जिक्र आया था। उस वक्त मैं ने इस मसले पर तकरीर की और मिनिस्टर साहब से कहा कि पीने के पानी के मसला कितना अहम है, तो उन्होंने तसलीम किया था कि फिल वाकैं पीने का पानी एक बड़ी रेसपांसिबिलिटी है और वह तो फंडामेंटल राइट में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट की रेसपांसिबिलिटी होनी चाहिए कि वह हर सिटीजन को अच्छा पीने का पानी मुहय्या करे। मैं जो अपील करना चाहता हूं उसका सारा लुबलबाब इसी पर खत्म करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस जिम्मेवारी को सारे हिन्दुस्तान के लिये मंजूर करके ऐलान करें कि वह इस मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है।

अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की उसको मैं ने सुना। उन्होंने बड़े दुःख के साथ कहा कि हाउसिंग का मामला कितना खराब है, और उन्होंने जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया वह हमारे लिए काफी है, हमको उस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आज गवर्नमेंट को और इस मिनिस्ट्री को यह समझ लेना चाहिए कि लोगों का यह फंडामेंटल राइट है कि उनको अच्छे हाउसेज मिलें। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको मुफ्त हाउसेज दें। न मैं यह कहता हूं कि आप उनको इतनी इमदाद दें जो कि आपकी ताकत के बाहर हो, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप यह तसलीम कर लें कि हाउसिंग मिनिस्ट्री का फर्ज है कि लोगों को अच्छे मकान दे और यह लोगों का फंडामेंटल राइट है कि उनको अच्छे मकान मिलें। इसके वास्ते मिनिस्ट्री का फर्ज है कि वह देखे और इन्तिजाम करे। हम इसको काफी नहीं समझते कि मिनिस्ट्री कह दे कि हमने तो स्टेटों को रुपया दे दिया, वह करें या न करें, यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है, जैसा कि अभी पटेल साहब की शिकायत पर आनरेबिल मिनिस्टर ने कहा था। मैं इस से सैटिसफाइड नहीं हूं। अगर आप के पास यह पावर नहीं तो बतलाइए कि कांस्टीट्यूशन में यह पावर किसको दी गयी है। यह चीज किसी लिस्ट में नहीं दी गयी है, न स्टेट लिस्ट में है और न सेंट्रल लिस्ट में। जब यह चीज दोनों लिस्टों में नहीं है तो रेजीड्यूअरी आर्टिकल के मातहत यह आपका फर्ज हो जाता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह मामला साफ हो जाना चाहिए कि यह जो काम है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है।

प्लांटेशन्स के मकानात के बारे में कहा गया कि वहां दिक्कत यह है कि सीक्योरिटी नहीं दी जाती और इसलिए वह तकलीफ दूर नहीं हो सकी। अभी तक प्लांटेशन एरियाः में कुल २८१ मकान बने हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि मिडिल इनकम ग्रुप की स्कीम है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको तो हमने सन् १९५९ में ही शुरू किया है, इसमें शक नहीं कि लो इनकम ग्रुप की

[पंडित ठाकुर दास]

स्कीम में काम हुआ है। उसमें ७४००० मकानों में से ४६००० मकान बन गए हैं और इससे उनको फायदा हुआ है। लेकिन बाकी की आप किसी स्कीम की तरफ देखें, सबसीडाइज्ड स्कीम में जो काम हुआ है उसको देखें, तो आपको मालूम होगा कि बहुत कम काम हुआ है।

लेकिन जब मैं विलेज हाउसिंग की तरफ देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं। मैं ने इस गरज से कांस्टीट्यूशन को देखा। उसकी आर्टिकिल्स ३९, ४३, ४७ में यह दिया गया है कि गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि कंडीशन्स आफ वर्क और स्टेंडर्ड आफ लाइफ (रहन सहन का स्तर) को बढ़ावें। आर्टिकिल ४३ और ४७ में जो चीजें दी हुई हैं गो कि वह साफ तौर पर फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन वह बमंजिल फंडामेंटल राइट के हैं और गवर्नमेंट की पालिसी यह होनी चाहिए और उसका काम इस तरह होना चाहिए कि इन चीजों में इम्प्रूवमेंट हो।

आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने चन्द फिगर (आंकड़े) दिए हैं और उनको देखकर मैं एक क्रिटिसिज्म आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने बतलाया कि पांच करोड़ रुपया विलेज हाउसिंग के लिए प्लान किया गया और यह रकम इस काम के लिए रखी गयी। इसमें से पिछले चार सालों में उन्होंने १.९६ करोड़ रुपया खर्च किया है, और बाकी तीन करोड़ के करीब इस साल में खर्च कर देंगे। जब चार सालों में सरकार खर्च करती है कोई पचास लाख फी साल के करीब, तो एक साल में वह तीन करोड़ कैसे खर्च करेगी? लेकिन अगर वह खर्च भी हो, तो मेरी शिकायत तो यह है कि इस सरकार ने हिन्दुस्तान के गांवों के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया है। फ़िलवाकया मुझे आनरेबल मिनिस्टर साहब से शिकायत नहीं है। इस रिपोर्ट में मैं पाता हूं कि मिनिस्ट्री ने बेहद तरक्की की है। जो नेशनल बिल्डिंग्ज़ की नई आरगनाइज़ेशन बनाई गई है, उस ने बड़ा शानदार काम किया है। कितनी नई-नई चीजें उस ने निकाली हैं और कितना स्टील और सीमेंट बचाया है। होटलों के सिलसिले में भी बड़ी तरक्की की गई है। मुझे उस होटल को देखने का मौका मिला है। मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वहां इतना अच्छा इन्तज़ाम किया गया है और उस से हिन्दुस्तान की इज्ज़त को ऊंचा कर दिया गया है। वहां अब टिपिंग (बख्शीश) नहीं होती है। वहां के कमरों, बाथरूम और वहां की हाईजीन को देख कर यकीन होता है कि दुनिया के होटलों में वह निहायत अच्छा होटल है। इस के अलावा और भी बातें रिपोर्ट में दर्ज हैं। मिनिस्टर साहब मेहरबानी कर के कनसल्टेटिव कमेटी को भी इस बारे में आगाह करते रहते हैं। जाहिर होता है कि आनरेबल मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब का हाथ इन तरक्कियों के पीछे है। लेकिन मेरी शिकायत यह नहीं है। मेरी शिकायत यह है कि इस मिनिस्ट्री ने दिल्ली का मास्टर-प्लान बनाया, जिस में थोड़े से आदमी बसते हैं, शहरों के आदमी बसते हैं, यहां बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज़ तैयार की, बीस-बीस स्टोरीज़ की बिल्डिंग्ज़ तैयार करने की स्कीम तय्यार कीं, लेकिन इन बारह सालों में उस ने हिन्दुस्तान के गांवों का कोई मास्टर-प्लान नहीं बनाया है।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव) : दिल्ली का भी पूरा नहीं बनाया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे इस का पता है। मैं भी दिल्ली में रहता हूं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन बारह बरसों में हिन्दुस्तान के गांवों के लिये कोई स्कीम तैयार की है। सरकार कहती है कि स्टेटों में जाओ। क्या स्टेट्स में कोई स्कीम है? क्या किसी जगह कोई स्कीम है? अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बताया कि मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ ने इस बारे में इतना खर्च किया है। उन्हों ने बताया कि इस में ६४ करोड़ रुपये खर्च होंगे। लेकिन मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब की तवज्जह आर्टिकल १४ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। और जितने

भी आदमी हैं, जो इंडस्ट्रियल मेगनेट्स और इंडस्ट्रियल लेबरर्ज़ हैं, उन के लिये यह गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है और उन के हाउसिंग को सबसिडाइज़ करना चाहती है। प्लान्टेशन के लिये भी वह कुछ करना चाहती है। लेकिन मुझे बताया जाये कि जो आर्डिनेरी आदमी गांव में रहता है, जिस की आमदनी सरकार के कहने के मुताबिक १०४ रुपये साल है, चार से आठ आने रोज़ के करीब है, क्या उस का यह हक़ नहीं है कि वह गवर्नमेंट से दूसरे सिटिज़न्ज़ की तरह फ़ायदा उठाये। वह रहता है गांव में। वहां उस को जितनी तक्लीफ़ है, वह भी सरकार को मालूम नहीं है। उस को यह भी मालूम नहीं है कि गांवों की हालत क्या है, किस तरह बड़े अच्छे-अच्छे मकानों में भी आदमी भी रहते हैं और मवेशी भी वहां रहते हैं। वहां ड्रेनेज, विन्डोज, चिम्नी का कोई ज़िक्र नहीं है। उन लोगों के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं हैं। उन के लिये न सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई तरकीब सोची है और न स्टेट्स ने सोची है। स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि पंजाब स्टेट ने इस सिलसिले में जो काम किया है, उस की तरफ़ मैं मिनिस्टर साहब की ज़रा सी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। सब से पहला सवाल ग़रीब आदमी का है। पंजाब में हमेशा से यह था कि नोन प्रोपराईटर्ज़ कूढ़ी कमीनी देते थे प्रोप्राइटरी बाडी को। जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स थे और जितने नान-प्रोप्राइटर थे, वे अपने मकानों का किराया देते थे। वे मकान पक्के नहीं बना सकते थे। अगर मकान-वाला जाता था, तो कच्चे मकान में सक्सेशन नहीं होता था। वह सब का सब पंजाब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। शिड्यूल्ड कास्ट्स के पास जितने मकान थे, उन के नीचे जो ज़मीन थी, उन को उस का मालिक बना दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में जितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के मकान हैं, उन को यक-कलम लैजिस्लेशन के साथ उन का मालिक बना दिया जाये, अगर सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स का कुछ भला चाहती है। आप को याद होगा कि टंडन जी यहां पर कई बरस तक मौजूद रहे और उन की स्कीम थी कि हर एक को कम से कम आधा एकड़ ज़मीन मकान के लिये और कुछ बोने के लिये दी जाये। मैं ने भी चन्द मर्तबा इस हाउस में अर्ज़ किया है कि १.८ एकड़ ज़मीन हर फ़ैमिली को रहने के लिये मिलनी चाहिये, क्योंकि लोग खुद भी वहां रहेंगे और अपने मवेशियों को भी रखेंगे। इतनी ज़मीन होगी, तो वे आराम से रह सकेंगे। ज़मीन का पहला यूज़ यह है कि वहां इन्सान के लिये मकान बनाया जाय। मुझे नहीं मालूम फायदा सोशलिस्टिक पैटर्न का। मुझे नहीं मालूम फायदा सीलिंग का। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है कि हिन्दुस्तान भर में जहां तक ग़रीब आदमियों के रहने का सवाल है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वह हर एक फ़ैमिली को $^{1}/_{8}$ एकड़ ज़मीन दे, ताकि वहां मकान बनाया जा सके। अभी बताया गया है कि पांच करोड़ मकान हैं और ढाई हजार करोड़ रुपये सरकार को चाहिये। दर अस्ल यह तो डराने वाली बात है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट—जैसाकि वह कहती है कि स्टेट्स का भी इस में फ़र्ज़ है—हर एक आदमी को साइट्स प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदारी स्टेट्स पर डाले। जब सरकार की नैशनल बिल्डिंग्ज़ आरगानाइज़ेशन चल रही है और उस में नई से नई तरकीबें निकाली जाती हैं लेकिन मैटीरियल्ज़ वगैरह के लिये, वहां पर रिसर्च जारी है, तो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया बराये मेहरबानी मकान बनाने के लिये मैटीरियल दे, सस्ते मकान के लिये मैटीरियल मुहैया करे और जो आदमी खुद काम कर के मकान बनाते हैं, लेबर उन के ज़िम्मे होनी चाहिये। अगर ये तीनों ड्यूटीज़ बांट ली जायें, तो यह प्राबलम इतना बड़ा नहीं रहेगा, जितना कि यह नज़र आता है। यह ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी को पक्का मकान दिया जाय। मैं खुद एक कच्चे मकान में रहता हूं—कच्ची ईंटों की उस की बिल्डिंग है, लेकिन कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि ज़ाहिरा वह ऐसा मालूम होता है कि वह रहने के काबिल नहीं है। मैं जानता हूं कि कितने आदमी इस हाउस में मौजूद हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं। पक्के मकानों की ज़रूरत नहीं है। सरकार ऐसे मकान दे, जो डिसेन्ट, हैल्दी और स्ट्रांग हों। ऐसे मकानों के लिये ढाई हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत नहीं है। यह तो हम को डराने की बात है। मैं तो यह चाहता हूं कि यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

गवर्नमेंट प्लान बनाये, ज़िम्मेदारी ले, स्टेट्स को ज़िम्मेदार ठहराये, लोगों को ज़िम्मेदारी दे, लेकिन मेरी मुसीबत यह है कि मैं मिनिस्टर साहब को क्या कहूं। इन को मिले हैं पांच करोड़। वह इस रकम को खींच कर बढ़ा तो नहीं सकते। वह क्या कर सकते हैं ? मेरी शिकायत गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन से है कि उन्हों ने सही तौर पर इस सवाल को हल करने की कभी कोशिश नहीं की है। मैं मिनिस्टर साहब से यह अर्ज़ करूंगा कि जिस तरह हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यह पानी का हमारा फ़ंडामेंटल राइट है और हम प्लानिंग कमीशन से इस फ़ंडामेंटल राइट के लिये लड़ेंगे, मैं चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान की तरफ़ से आनरेबल मिनिस्टर साहब प्लानिंग कमीशन को कहें कि वह हम को ज्यादा रुपया दे, जितना कि मुमकिन हो। पांच करोड़ क्या ६४ करोड़ रुपये भी मामूली चीज़ है।

आप की रिपोर्ट में लिखा है कि दस साल में वह फ़ेज़ किया जायगा। मैं मानने के लिये तैयार हूं कि दस साल में फ़ेज़ किया जाये, आहिस्ता आहिस्ता किया जाये। वे लोग खुद अपने आप करेंगे, लेकिन सरकार यह न करे कि वह इस की ज़िम्मेदारी ही न ले, क्योंकि कांस्टीच्यूशन में दर्ज नहीं है। वह मुझे क्यों दिखाते हैं कांस्टीच्यूशन ? कांस्टीच्यूशन की दफ़ा में दर्ज है। अभी मैं ने आर्टिकल ४३ और ४७ का ज़िक्र किया है, जिस के मुताबिक यह उन की ड्यूटी बनती है।

मैं और लम्बी चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मेरे पास नोट्स बहुत से हैं और मैं बहुत सारी बातें अर्ज़ करना चाहता था। लेकिन शायद मैं ने ज्यादा वक्त ले लिया है। मैं किसी और मेम्बर के हिस्से का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन आखिर में मैं मिनिस्टर साहब के काम की सराहना करते हुए उन को मुबारकबाद देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस हाउस की तरफ़ से प्लानिंग कमीशन के यहां और दूसरी जगह अपनी मिनिस्ट्री की रेसपांसीबिलिटी साफ़ तौर पर दर्ज करा दें कि सारे हिन्दुस्तान के विलेज हाउसिंग की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पर और प्लानिंग कमीशन पर है। बिना इस के हम मिनिस्टर साहब को शिकायत कैसे कर सकते हैं ? उस के लिये एक करोड़ रुपया रखा गया है। एक करोड़ रुपया क्या चीज़ है ? अगर आप इस तरह करते हैं, तो यह तो एक मज़ाक की बात है। और काम इतना भी नहीं हुआ।

मेरे लायक दोस्त ने हर एक मिनिस्ट्री की रकमें पढ़ कर सुनाईं और ९० परसेंट क्लेम किया। इस साल खर्च करने के लिये बड़ी बड़ी रकमें बाकी पड़ी हैं हर एक मद में। अगर मैं उस से जज करूं, तो यह ९० की बजाय सत्तर परसेंट रह जायगा, जोकि टारगेट है। मेरी नाक़िस राय में वह इस मामले को साफ़ करा दें कि इस मिनिस्ट्री का प्रिंसिपल फ़र्ज़ यह है कि वह हिन्दुस्तान के हाउसिंग की देख-भाल करे। प्लानिंग कमीशन को इस तरफ़ पूरी तवज्जह देनी चाहिये।

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर) : सभापति जी, हिन्दुस्तान की साधारण जनता को तीन चीज़ों की अधिक खोज रहती है खाने की, कपड़े की और घर की, और उस के पीछे वह बड़ी परेशान रहती है। शहरों में जो लोग रहते हैं, वे अपने अपने दर्जे के अनुसार खाने और कपड़े का इन्तज़ाम करते हैं। चाहे वह थोड़ा हो, चाहे बहुत हो, लेकिन उस से उन की गुज़र हो जाती है। पर उन को परेशानी होती है, तो घर की। जब उन को घर नहीं मिलता है, तो वे बड़े परेशान होते हैं। बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज यहां दिल्ली में हम देखते हैं कि हमारे क्लार्क, सरकारी कर्मचारी कितनी कठिनाई में हैं। उन को घर की परेशानी सांस नहीं लेने देती। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को, जोकि दो सौ रुपये या तीन सौ रुपये वेतन पाते हैं और जिन को कठिन काम करना पड़ता है, अगर घर नहीं मिलता है, तो उन को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपने परिवारों को किसी दूसरे शहर में रख

सकें । अगर वे निजी तौर पर कहीं मकान लेते हैं, तो उन को एक कमरे का साठ सत्तर रुपये तक किराया देना पड़ता है । इस से उन को बड़ी कठिनाई होती है । उन को अपने परिवार पर और बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च करना पड़ता है । इस के अतिरिक्त जहां वे काम करते हैं, वहां उन को कम से कम दस बीस मील साइकिल पर जाना पड़ता है । अगर वे बस पर जाना चाहें, तो दिल्ली में इतना अच्छा इन्तजाम नहीं है कि वे थोड़ा सा वक्त लगा कर अपने काम पर पहुंच जायें । जब उन को मकान की दिक्कत होती है, तो उन के मन में बड़ी अशांति रहती है, जिस के कारण वे अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं । यह बड़े दुख की बात है । मैं निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय को यह परामर्श दूंगी कि सरकार के जितने विभाग हैं, उन में काम करने वाले छोटे राज-कर्मचारियों और क्लार्क्स के लिये मकान देने की ज़िम्मेदारी उन विभागों पर ही डालनी चाहिये, ताकि वे इस समस्या को अच्छी तरह से समझ सकें और एक सच्ची तस्वीर उन के सामने आ जाय ।

एक तरफ तो हम निजी उद्योग वालों पर ज़ोर डालते हैं कि वे श्रमिकों के लिए अच्छे अच्छे मकान बनवायें लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं और जिन पर ज्यादा जिम्मेवारी है, उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और हम उनकी इस दिक्कत को दूर नहीं करते हैं । यह अच्छी बात नहीं है और मैं चाहती हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाये ।

श्रीमान्, दूसरी बात मैं गन्दी बस्तियों के बारे में कहना चाहती हूं । गन्दी बस्तियां हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हैं । एक तरफ तो हम शानदार और विशाल भवन देखते हैं और दूसरी तरफ एक दम गन्दी बस्तियों में रहने वाले वे लोग हैं जिन की दशा बहुत ही खराब है । मैं चाहूंगी कि उनकी तरफ केन्द्रीय सरकार का और खास तौर पर इस मत्रांलय का अधिक से अधिक ध्यान जाये । मैं मानती हूं कि यह काम राज्य सरकारों के जिम्मे दे दिया गया है । लेकिन यह देखा गया है कि इस काम में कुछ खास तरक्की नहीं हुई है । अच्छा यही होता कि एक दम से इनका सफाया कर दिया जाता । ऐसा करके अगर उन लोगों को थोड़ी देर के लिए तम्बुओं में भी रहना पड़ता तो भी कोई हरज की बात नहीं थी । वे लोग आज नरक में रह रहे हैं, नारकीय जीवन बिता रहे हैं, बदबू और गन्दगी में रह रहे हैं उससे तो उनको छुटकारा मिल सकता था । अगर यह चीज़ इसी तरह से चलती रहती है तो यह एक स्वतंत्र देश के नागरिकों को शोभा नहीं देती है । मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे और उनके लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध जरूर करेंगे ।

मैंने १९५९-६० के प्रतिवेदन में दो तीन महत्वपूर्ण बातें देखीं । एक तो यह है कि जनता के होटल खोले जा रहे हैं । यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है । अकसर देखा गया है कि बाहर से आने वाले, छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पाने वाले और साधारण श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए दिल्ली में सस्ते होटल नहीं हैं । दिल्ली में कोई ऐसा होटल नहीं है जहां पर कि सस्ते में और थोड़े रुपये दे कर कोई रह सके । आपने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है ।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि दो होस्टल बनाये जायेंगे एक अविवाहित पुरुषों के लिए और दूसरा कन्याओं और महिलाओं के लिए । इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं । मंत्रालय ने यह एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है । मैं चाहूंगी कि हर एक राज्य में ऐसा एक एक होस्टल बने और खास तौर से लड़कियों के लिए बनाना बहुत जरूरी है । अब हमारी लड़कियां बाहर निकलने लग गई हैं, सार्वजनिक कामों में हिस्सा लेती हैं । लेकिन देखा गया है कि उनके रहने का कहीं भी प्रबन्ध नहीं होता है । इस बारे में उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

है। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये और मैं यह बात ज्यादा ज़ोर दे कर कहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि राज्य सरकारों को कहा जावे कि वे भी ऐसे होस्टल बनायें और उन पर इसके विषय में ज़ोर डालना चाहिए।

कम्युनिटी ब्लाक और पंचायत घर जहां हैं उनके नजदीक एक एक होस्टल होना चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि पक्का बनाया जाये। एक एक होस्टल मामूली सा बना दें तो बहुत अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि हमने देखा है कि गांवों में खास तौर से जब हमारी लड़कियां जाती हैं तो उनको सब से ज्यादा परेशानी और घबराहट होती है क्योंकि उनके सामने समस्या यह रहती है कि वे रहेंगी कहां। उनके लिए गांवों में रहना और काम करना दुश्वार हो जाता है। आप जानते ही हैं कि गांवों की जो जिन्दगी है, वह बिल्कुल अलग सी होती है। यहां से जो हमारी लड़कियां जाती हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आशा करती हूं कि उनकी इस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा और माननीय मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

अशोका होटल में मंत्रालय को सफलता मिली है, उसके लिए मैं मंत्रालय को और प्रशासन को बधाई देती हूं। गत वर्षों में घाटा उठाना पड़ रहा था और छोटे-बड़े हर एक ही ज़बान पर इसकी चर्चा थी और हर कोई कहता था कि सरकार को अशोका होटल में एक बड़ी विफलता देखनी पड़ी है। जिधर देखो यही चर्चा सुनने को मिलती थी कि इतना बड़ा भवन बना कर और इतना खर्च करके सरकार ने एक गलत कदम उठाया है। गत वर्षों के आंकड़ों पर जब हमारी दृष्टि जाती थी तो निराशा की झलक दिखाई देती थी और हम पूछते थे कि इसका क्या कारण है। सन् १९५८-५९ के मंत्रालय के कार्य के सारांश को देखने से मालूम पड़ता है कि ३० दिसम्बर १९५७ को समाप्त होने वाले बैलेंस शीट के अनुसार ३७.७६ लाख की हानि हुई। १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में मेहमानों की औसत संख्या प्रति दिन २२४ थी। १९५७ में समाप्त होने वाले वर्ष में मेहमानों की औसत संख्या ८० थी। १९५९-६० में मेहमानों की औसत संख्या २९० रही। १९५८-५९ के सारांश में बताया गया था कि मेहमानों की औसत सख्या २६० तक पहुंचे तो होटल अपना खर्च खुद निकाल लेगा। इस वर्ष जबकि संख्या २९० औसतन रही तो होटल लाभ में चला है और लाभ में चल रहा है। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि लगभग आठ लाख का लाभ हुआ है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मैं तो समझती हूं कि यह मंत्रालय की बहुत बड़ी सफलता है और उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूं और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी और प्रशासन को भी बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि अशोका होटल का स्तर इसी तरह से ऊंचा बनाये रखा जायेगा और ईमानदारी से उसमें काम होगा। देश विदेश से आने वाले मेहमानों को हमारी उन्नति का, सभ्यता का, अतिथि सत्कार का आभास मिलना चाहिए और वे अच्छे और ऊचे विचार हमारे बारे में ले कर वापिस जायें, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसी के अनुरूप हमें वहां वातावरण बनाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहती हूं। वह मुझे कृपा करके बतायें कि ऊधमपुर और धार जो रोड है वह कब तक पूरी होगी और उस पर यातायात कब तक चालू हो सकेगा। यह भी वह बतायें कि उस पर कितना खर्च हुआ और जो इतने वर्षों से इस पर काम चल रहा है, वह काम पूरा क्यों नहीं हुआ है। मैं चाहती हूं कि इसके बारे में वह बताने को कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रारम्भ में ही माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं । कहा जाता है कि पिछले दिनों अखबारों में कुछ खबरें निकली थीं इस तरह की कि शासकीय पार्टी के संगठन के जो अध्यक्ष हैं, श्री संजीव रेड्डी उन्हें दिल्ली में मिनिस्टर्स बंगलो में से एक बंगला दिया गया है । समाचारों में इस तरह की बात भी छपी थी कि इसके बारे में जो नियम हैं, वे बदले गये हैं और उन नियमों के मुताबिक जो राजनीतिक पार्टियों के नेता दिल्ली में निवास करते हैं उनको, सब को, इस तरह के बंगले दिये जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि जो बंगला दिया गया है वह क्या किसी नियम को बदल कर दिया गया है, किस के कहने से बंगला दिया गया है, खुद माननीय मंत्री महोदय ने दिया है या किसी और ने दिलवाया है और क्या किन्हीं दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने इस तरह की मांग की है या उनसे पूछा गया है और अगर किन्हीं दूसरी पार्टियों के नेताओं को बंगले दिये गये हैं तो कहां दिये गये हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे कोई बंगले दिये गये हैं तो वे क्या किसी कंसेशनल रेट पर दिये गये हैं या नई दिल्ली में जो बाजार भाव से रेंट होना चाहिए, उस रेंट पर दिये गये हैं । मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस सारी चीज़ पर अपने भाषण में रोशनी डालें ।

दूसरी बात मैं उस समस्या के बारे में कहना चाहता हूं, उस समस्या की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं जिस की तरफ कि बहुत से माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान खींचा है । पांच करोड़ रुपया दूसरी योजना में गांवों में मकान बनाने के लिए रखा गया था । आपकी रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि मुश्किल से एक करोड़ रुपया अभी तक आप उस में से खर्च कर सके हैं और वह भी आप कर्ज़ पर दे रहे हैं, अनुदान के रूप में नहीं दे रहे हैं । इसके विपरीत मैंने देखा है कि इस साल की जो डिमांड्स रखी गई हैं उनमें से एक डिमांड पेज १०४ पर है जिस में कहा गया है कि प्रधान मंत्री के निवास स्थान के कारपेट्स बदले जाने हैं । इस में यह भी है कि पिछले साल तक आप १ लाख ५५ हज़ार ७१० रुपये खर्च कर चुके थे और इस साल भी ५०,००० रुपया खर्च कारपेट्स को बदलने के लिए करने जा रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि प्रधान मंत्री के आराम के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए, उनको आराम नहीं मिलना चाहिए । लेकिन क्या यह आराम लाखों रुपया कारपेट्स को हर साल बदलने पर खर्च करके मिल सकता है, यह सोचने वाली बात है । या आराम उनको तब मिलेगा जब देश की जनता भी कुछ आराम से रह सकेगी, इसके ऊपर आप सोचें । पिछले दिनों यह समाचार छपा था कि प्रधान मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि वह छोटे से मकान में रहना चाहते हैं । वह इच्छा तो हवा में उड़ गई । जो बड़ा बंगला उनके पास है, उसी बंगले में आप ५०,००० रुपया साल में कारपेट्स बदलने में लग देते हैं और दूसरी तरफ हालत यह है कि पांच करोड़ रुपया गांवों के लिऐ रखा गया था उसमें से चार साल के अन्दर आप एक करोड़ रुपया ही कर्ज़ को शक्ल में दे पाये हैं और अब यह आशा नहीं की जा सकती कि एक साल में आप ४ करोड़ रुपया दे देंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आप यह नीति निश्चित कीजिये कि बड़े बड़े बंगले बना कर उन में एक एक आदमी रखने का जो कार्यक्रम है वह देश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । मैं नहीं कहता कि किसी को आराम से रहना नहीं चाहिए, आराम से रहिये, लेकिन इस के साथ साथ हमें यह भी चाहिए कि हम देखें कि हम जिन का शोषण कर रहे हैं, जिन के बल पर हम यहां पर आराम कर रहे हैं, उन के लिए भी कुछ किया जा रहा है या नहीं । यहां पर यह प्रश्न नहीं है कि प्लैनिंग कमिशन आप को कुछ करने नहीं देता है । यहां पर जब प्लैनिंग कमिशन की बात रोज चल जाती है तो यह बात भी निश्चित हो जानी चाहिए कि इस प्लैनिंग कमिशन की क्या हैसियत है । यहां पर रोज यह कहा जाता है कि वह ऐडवाइजरी हैसियत में काम करता है, लेकिन फिर भी उस के बावजूद यह बात चलती है कि प्लैनिंग कमिशन बीच में रोकता है, वह काम होने नहीं देता है । यदि ऐसा है तो

[श्री ब्रज राज सिंह]

फिर एक बार इस का निश्चय हो जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल जो कि देश के द्वारा चुना हुआ है अगर वह कोई निश्चय करता है तो क्या उस पर एक बिना चुनी हुई संस्था जो है वह रोक लगा सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आखिर यह क्या बात है कि ५०,००० रु० हर साल आप इस में लगा दिया करते हैं ?

अब आप देखिये, हमारे संसद् भवन में एक तरह की बिजली से दूसरी तरह की बिजली में बदलने के लिये इस साल करीब साढ़े तीन लाख रु० की व्यवस्था की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यहां पर इस तरह का क्या प्रश्न आ जाता है कि इस को करना ही चाहिये। मैं इस बात की तरफ नहीं जाना चाहता, जिस पर हम बहस नहीं कर सकते, मगर जो लोक सभा सेक्रेटेरियट का खर्च है वह अलग है। यह वह खर्च है जो कि वर्क्स, हाउसिंग तथा सप्लाई मिनिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में है और जिस के लिये इतने रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सब इस तरह की चीजें हैं जिन से पता चलता है कि सिर्फ प्रश्न यह नहीं है कि आप गांवों के लिये कुछ करना नहीं चाहते, इस लिये कि प्लैनिंग कमिशन के द्वारा रुपया मंजूर नहीं किया गया है, बल्कि प्रश्न यह है कि जो रुपया दिया गया है, उस को आप वहां पर खर्च नहीं करना चाहते। हर साल हम नानप्लैंड एक्स्पेन्डिचर के नाम से इतना रुपया खर्च करते हैं जो कि गांवों में काम दे सकता था। इसलिये मैं निवेदन करूगा कि सारी योजना में, जो आप का सारा काम करने का तरीका है, उस में आप को परिवर्तन करना पड़ेगा।

मैं जानना चाहूंगा कि जो आप का एस्टेट आफिस है जिस में आप ने एक स्पेशल आफिसर मुकर्रर किया इस काम के लिये कि जितना रेंट बकाया पड़ा हुआ है उस की वसूली वह करेगा, जब से वह स्पेशल आफिसर मुकर्रर किया गया है तब से उस ने कितना रुपया वसूल कर के दिया है और जब से वह मुकर्र किया गया तब से बकाया की क्या हालत है। तब से बकाया बढ़ गया है या घट गया है। सारे का सारा काम जिस तरह से चल रहा है, उस से मैं समझता हूं कि रुपया खर्च हो जायेगा लेकिन काम कुछ नहीं होगा। इस लिये पूरे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये।

इंडस्ट्रियल हाउसिंग की आप की स्कीम है, उस में गल्तियां हैं। कोआपरेटिव हाउसिंग की स्कीम है, उस में गल्तियां हैं, फिर भी आ प उस के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पर यह प्रश्न आता है और सब से बड़ी समस्या यह है कि आप शहरों के लिये भले ही कुछ कर दें। पर गांवों की हैसियत इस प्रकार की समझी जाती है जैसेकि उन का कोई पुरसां हाल नहीं है, उन की कोई सुनवाई नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी योजनाओं में मूलभूत परिवर्तन कीजिये। अगर पूरे तरीके से सब लोगों के लिये मकान नहीं बनवा सकते हैं तो शहर हो या गांव हो, जो लोग मकान बनवाना चाहते हैं उन के लिये आप जमीन की व्यवस्था करें। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ऐसे लोग गांवों में हैं जिन के पास न जमीन है और न झौंपड़ी है। वे दूसरों के मकानों में पड़े हुए हैं और उन की कृपा पर निर्भर करते हैं। उन के लिये जमीन की व्यवस्था की जाये। इस तरह से आप बड़े बड़े शहरों में जमीन की व्यवस्था करें कि जिस से गरीब लोग प्लाट पा कर मकान बनवा सकें। उसी तरह से जब आप शहरों में इस तरह की व्यवस्था करें तो गांवों में भी यह व्यवस्था लागू करें कि जिन को जमीन की आवश्यकता हो, जो लोग मकान बनवाना चाहते हैं, अगर आप उन को पैसा नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उन को जमीन दीजिये। इस से बहुत आसानी हो जायेगी।

अन्त में मैं एक बात की तरफ ध्यान दिला कर अपनी बात खत्म कर दूंगा। यह जरूरी नहीं है कि सारे देश में आप पक्की ईंट के या पत्थर के मकान बना दीजिये। यह कर पाना बड़ा मुश्किल है। इस लिये सब से पहले कच्ची ईंटों के मकान बनाये जा सकते हैं, उस से भी काम चल जायेगा,

लेकिन इधर भी ध्यान नहीं है। आप की हाउसिंग की समस्या जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से हल नहीं होगी। जितनी आबादी बढ़ रही है उतने मकान बनाने का इन्तजाम सरकार नहीं कर सकेगी।

मुझे याद है कि आप की योजना थी दिल्ली से दूसरी जगहों को दफ्तर ले जाने की। इस के सम्बन्ध में तजवीज रखते ही कोई वजह बीच में आ जाती है, कोई न कोई ऐसी रुकावट पड़ जाती है जिस से जो दफ्तर आप दूसरी जगहों को ले जाना चाहते हैं वह जा नहीं पाते हैं। मुल्क में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर जगह खाली पड़ी हुई हैं, जिन का उपयोग किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इस की तरफ ध्यान दिया जाये। दिल्ली शहर में वैसे ही मकानों की किल्लत है अगर यहां से कुछ दफ्तर उन जगहों को चले जायें जहां पर स्थान खाली पड़े हैं। इस प्रकार दिल्ली के खाली स्थान में और दफ्तर रखे जा सकेंगे और राजधानी की मकानों की समस्या हल करने में सहायता मिलेगी।

†श्री क० च० रेड्डी : मेरे मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर जो चर्चा हुई है, उस से बहुत लाभ हुआ है, माननीय सदस्यों ने मंत्रालय के कामों की सविस्तार चर्चा की है। उन में से कई ने मेरी और मेरे मंत्रालयों के कार्यों की प्रशंसा की है, मैं उन के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं इसके साथ ही कुछ मामलों की सख्त आलोचना भी हुई है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का काम, काम की कोटि तथा भ्रष्टाचार का विवाद में कई बार उल्लेख आया है। यद्यपि थोड़े से समय में यह तो सम्भव नहीं कि मैं सारी बातों का विस्तार से उल्लेख कर सकूं। परन्तु मैं नीति सम्बन्धी सभी प्रमुख बातों को लेने का प्रयत्न करूंगा। यदि कोई बात रह गई तो उस के सम्बन्ध में मैं पूर्ण जानकारी सभा पटल पर रखने का प्रयत्न करूंगा। माननीय सदस्यों द्वारा जिस प्रकार की भी जानकारी मांगी गयी है वह सब उन्हें दी जायेगी।

मेरे सहयोगी उपमंत्री ने मेरा काम काफी हलका कर दिया है। उन्हों ने अपने विभागों के बारे में काफी प्रकाश डाला है। उन्होंने आवास तथा विस्फोटक पदार्थ विभाग के बारे विस्तार बताया है। श्री सुरीटा के प्रतिवेदन और इस दिशा में उन की सिफारिशों पर की गयी सरकारी कार्यवाही का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है। मुद्रण और स्टेशनरी के बारे में भी उन्हों ने बताया है। अशोक होटल के कार्य के बारे में भी उन्हों ने कुछ बातें बताई हैं। इन सब बातों में जाना मेरे लिये आवश्यक नहीं।

सब से पहले मैं आवास नीति के कुछ मोटे मोटे पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। मेरे सहयोगी इस मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं का उल्लेख कर चुके हैं और उन की प्रगति के बारे में बता चुके हैं। उन के विश्लेषण से पता चल सकता है कि काफी सीमा तक हमारा मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वित करने में सफल रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवास के लिये ८४ करोड़ रुपये दिये गये थे। योजना के प्रथम चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं पर ५६ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। और आशा है कि योजना काल के अन्त तक सारी राशि का ठीक प्रकार से उपयोग कर लिया जायेगा। हाल ही में हम ने इस दिशा में दो तीन नई योजनायें चालू की हैं। इस के लिये हम ने जीवन बीमा निगम से भी सहायता ली है। यह योजनायें हैं मध्यम वर्ग गृह-निर्माण योजना और सरकारी कर्मचारी किराया योजना। यदि जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई सहायता को शामिल कर लिया जाये तो हमें आशा है कि इन योजनाओं पर जो राशि व्यय होगी वह ८४ करोड़ रुपये से ज्यादा ही हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रड्डी]

आवास एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है । जैसा माननीय सदस्यों ने कहा रोटी, कपड़े के बाद इस का ही सब से अधिक महत्व है । मेरा भी यही मत है कि हमारे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में आवास को ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यह ठीक है कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं में हम ने खाद्य उत्पादन को सब से अधिक प्राथमिकता दी । हम ने सभी प्रकार के औद्योगिक विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे उत्पादन में और हमारी राष्ट्रीय आय में समुचित वृद्धि हो, हमारा जीवन स्तर ऊपर उठे और लोगों को अपने लिये अच्छे आवास की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध हो । अतः हम प्रथम और द्वितीय योजना में आवास-समस्या को उतनी प्राथमिकता नहीं दे सके । मैं जब रूस गया, तो मुझे पता लगा कि वहां योजना सम्बन्धी काफी चेतना होते हुए भी छटी पंचवर्षीय योजना या सातवीं योजना में जा कर आवास योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है । इस से पूर्व, जैसा कि श्री निकोयान के साथ मेरी भेंट में मुझे बताया गया । वे अपने खाद्य तथा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में लगे रहे । औद्योगिक और खाद्य सम्बन्धी क्षेत्र में विकास करने के बाद उन का ध्यान देहाती आवास की ओर गया । उसी प्रकार अब हमारे देश में भी ऐसा समय आ गया है जब कि हमें आवास समस्या को सब से अधिक प्राथमिकता देनी होगी ।

इस सम्बन्ध में एक बात यह भी है कि आवास का मामला किस सीमा तक सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिये । गैर-सरकारी क्षेत्र पर इस समस्या को हल करने के लिये किस सीमा तक जिम्मेदारी है ? यह सच है कि प्रथम योजना में ३० से ३५ करोड़ रुपये की व्यवस्था आवास के लिये की गयी थी और उस में से हम केवल १८ करोड़ खर्च कर पाये थे ; दूसरी योजना में, ८० से ८४ करोड़ रुपया इस काम के लिये खर्च होगा और तीसरी योजना में भी यह राशि १५० करोड़ रुपये से अधिक नहीं पहुंचेगी । देखने में यह सब रुपया बहुत काफी लग सकता है । परन्तु इतनी राशि से हम इस विशाल देश की देहाती और शहरी आवास समस्याओं का मामूली अंश भी हल नहीं कर पायेंगे । केवल देहाती आवास के लिये हमें २५०० करोड़ रुपये की अपेक्षा है । शहरों में भी ५० से ६० लाख तक घरों की अभी भी आवश्यकता है । अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या को हल करने के लिये हमें गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना होगा । केवल सरकार द्वारा पैसा दिया जा कर हम इसे हल नहीं कर सकेंगे। द्वितीय योजना के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को मिला कर आवास पर व्यय का मेरा अनुमान १००० करोड़ का था । यह सब लगभग खर्च हो गया है और १० लाख से अधिक मकान बने हैं । सरकारी क्षेत्र में आवास व्यवस्था पर कुल व्यय ४०० से ५०० करोड़ रुपये तक होगा । इस में प्रतिरक्षा, रेलवे, वाणिज्य व उद्योग और गृह-कार्य आदि मंत्रालयों द्वारा दिये जाने वाला व्यय भी शामिल है । इन में वह व्यय शामिल है जो कि चितरंजन, सिंदरी, रूरकेला, भिलाई इत्यादि विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किया जा रहा है; राज्य सरकारों का व्यय भी इसी में आ जाता है । १९५९–६० में यह व्यय ६५ से ७० करोड़ रुपये हुआ है । यह एक वर्ष का व्यय है और इस में औद्योगिक परियोजनाओं से सम्बन्धित आवास व्यय शामिल नहीं जो कि रूरकेला, भिलाई इत्यादि स्थानों पर किया गया है । गै-रसरकारी क्षेत्र में इस दिशा में व्यय का अनुमान ५०० से ६०० करोड़ रुपये है ।

तीसरी योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालय इत्यादि को मिला कर इस कार्य के लिये ४०० से ५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी । लेकिन इस मंत्रालय को केवल १५० करोड़ रुपये उपलब्ध होगा । गैर-सरकारी क्षेत्र में इस कार्य के लिये १००० करोड़ की व्यवस्था की जा रही है । इस पृष्ठ भूमी को सामने रख कर ही हमें आवास की समस्या पर विचार करना चाहिये ।

कई माननीय सदस्यों ने देहाती आवास की चर्चा की है । मैं तो आरम्भ से ले कर आज तक हमेशा ही देहाती आवास के लिये पूर्ण भावना से काम करता रहा हूं । गांवों के प्रति मेरा प्रेम किसी

से कम नहीं; मैं अपने अधिकारियों पर, योजना आयोग पर और अन्य स्तरों पर यह जोर देता आया हूं कि गांवों में आवास व्यवस्था के लिये और अधिक काम किया जाना चाहिये। जहां तक देहाती आवास के लिये सहायता देने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि इस मामले में देहातियों को अपने साधनों पर ही अधिकतर आश्रित रहना होगा। यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस दिशा में किसी योजना का निर्माण होना चाहिये और देहातियों को अपने लिये आवास व्यवस्था करने के बारे में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये लेकिन सरकार की ओर से भी उन्हें सहायता दी जानी चाहिये। एक माननीय सदस्य का सुझाव था कि हमें ५ लाख गांवों में मकानों की व्यवस्था करनी चाहिये; ऐसा करना कहां तक संभव है, यह मैं नहीं कह सकता।

इस सम्बन्ध में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। यह तो सम्भव नहीं कि हम ५ लाख गांवों में ५०० लाख मकानों की व्यवस्था कर सकें। परन्तु हमारी अग्रिम योजना के अनुसार ५००० गांवों का पुनर्निर्माण किया जायेगा। इस से गांव वालों को पता चलेगा कि अन्य गांवों में क्या हो रहा है और उन्हें भी इस दिशा में जागरूक होना चाहिये। हम यह व्यवस्था करने की सोच रहे हैं कि गांव वालों को इस उद्देश्य के लिये भूमि अर्जित और विकसित कर के दी जाये। मैं यहां सिर्फ अपने विचार रख रहा हूं, अभी इस पर विभिन्न स्तरों पर सोच विचार होगा। फिर फैसला होगा। शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा किया जा सकता है। इस के साथ ही हम यह भी व्यवस्था करने को सोच रहे हैं कि लोगों को इस काम के लिये कर्ज दिये जायें। यदि हो सके तो टाइलों इत्यादि के रूप में कुछ सामग्री भी उन्हें दी जाय। पंजाब और मैसूर इत्यादि राज्यों में ऐसा करने से आवास समस्या में काफी सुधार हुआ है। जिन गांवों में काफी मकान हैं, वहां और भी सुधार किया जा सकता है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता, कि वर्तमान घरों को सुधारा ही नहीं जा सकता।

यह बात ठीक है कि गन्दी बस्तियों को ठीक करने और औद्योगिक आवास के लिये सहायता दी जाती है। देहाती आवास के लिये भी सहायता दी जा रही है, यद्यपि उस का रूप थोड़ा भिन्न है वह इस प्रकार है कि छोटी बड़ी नालियां बनाने तथा अन्य सफाई इत्यादि के कार्य देहातों में सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होते हैं। इस का ५० प्रतिशत व्यय सामुदायिक विकास प्रशासन द्वारा उठाया जाता है और ५० प्रतिशत व्यय गांव को पंचायत के जिम्मे आता है। कई बार तो नालियों और सफाई तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी राज्य अथवा स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है। गांवों के अपने जिम्मे तो कुछ नहीं आता। अतः हम कह तो सकते हैं कि इस कार्य के लिये सहायता दी जा रही है। परन्तु इस से क्या सुधार हुआ है और हम अपनी वित्तीय सीमाओं का ध्यान रखते हुए हम इसे कहां तक बढ़ा सकते हैं, यह गम्भीर प्रश्न है। इस पर ठीक प्रकार से विचार किया जाना चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले वर्षों में हम इस प्रकार की योजना तैयार करने में सफल हो जायेंगे जोकि सन्तोषजनक होगी। तीसरी योजना के अन्तर्गत भी इस महत्वपूर्ण समस्या को और ध्यान देने का और पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

औद्योगिक आवास की ओर भी सरकार का कुछ ध्यान अवश्य गया है। इस दिशा में सुधार करने के लिये सुझाव दिये हैं उन की ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा। श्री तंगामणि चाहते हैं कि काम में तेजी आनी चाहिये वैसे तेजी तो सभी कामों में आनी चाहिये, परन्तु ऐसा करने से पूर्व विचार करना ही पड़ता है। उन्हों ने औद्योगिक मजदूरों की भविष्य निधि में से रुपया निकालने के बारे में पूछा है ताकि प्रत्येक कर्मचारी से जो १० प्रतिशत अंशदान लिया जाता है वह उस से पूरा हो सके। इस सम्बन्ध में मेरी कठिनाई यह है कि यह मेरे मंत्रालय से ही सम्बन्धित बात नहीं है। जहां तक इस में देरी होने का प्रश्न है, यह दोष मेरा नहीं और इस के लिये मुझे जिम्मेदार न ठहराया जाना चाहिये। खैर, अब संगठन और प्रक्रिया विभाग इस मामले का सविस्तार अध्ययन कर रहा है।

[श्री क० च० रेड्डी]

श्री तंगामणि ने सहकारिता के आधार पर निर्माण कार्य करने का उल्लेख किया है । हम सब इस के पक्ष में हैं । परन्तु सहकारी संस्थायें इस प्रकार का कार्य करने के मैदान में हो नहीं आईं । हम तो उन्हें प्रोत्साहन देना चाहते हैं, परन्तु अच्छे ढंग से कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं का नितान्त अभाव है । दिल्ला में २६ सहकारी संस्थाओं ने यह काम करने के लिये अपने नाम रजिस्टर कराये हैं, परन्तु अपेक्षित साधन और सामग्री केवल कुछ के पास ही है । काम को न जानने वाले लोगों के हाथों में काम दे कर हम उसे खराब करना नहीं चाहते । इस मामले में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य तथा अन्य आवास सम्बन्धी कामों में हम सहकारी संस्थाओं को पूर्ण रूप से प्रोत्साहन देंगे बशर्ते कि संस्थायें अच्छी हों । ऐसा न हो कि वे हम से अगाऊ रुपया और सामान ही मांगती रहे और काम भी समय पर समाप्त न हो पाये । हमारी सरकार ने तो एक व्यापक नीति के रूप में घोषणा कर रखी है कि हम सब दिशाओं में सहकारिता को प्रोत्साहन देंगे । हमारा यही लक्ष्य भी है ।

गन्दी बस्तियों को साफ करने के बारे में मेरा निवेदन है कि हम ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी और हम ने उन्हें मंजूरी के अधिकार दिये हैं । उन्हें योजनाओं को हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं । हम ने उन्हें वित्तीय सुविधायें दी हैं । हर मास आवास निर्माण के लिये स्वीकृत राशि का बारहवां भाग हम उन्हें देते हैं । और भी प्राविधिक तथा अन्य सम्भव सहायता हम उन्हें देते हैं । हम राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों से भी मिलते रहते हैं । इस से अधिक हम और क्या कर सकते हैं । माननीय सदस्य, श्री केशव का यह सुझाव बड़ा क्रांतिकारी है कि राज्य सरकारों से यह कार्य छीन कर हम स्वयं इसे करें । इस के परिणाम अच्छे नहीं हो सकते । इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता । पहले ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम बहुत अधिक केन्द्रीयकरण की ओर जा रहे हैं जबकि हमें विकेन्द्रीयकरण की ओर बढ़ना चाहिये ।

श्री तंगामणि ने यह पूछा है कि हम आवास मंत्रियों की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं कर पाये हैं । सच यह है कि हम ने उन की बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और निर्णय कर के उन्हें अमल में लाया जा चुका है । एक दो विवादास्पद विषयों को छोड़ बाकी लगभग सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है । इन के अन्तर्गत ऐसे मामले आते थे जिन के बारे में हम स्वयं आदेश नहीं दे सकते । हमें इन मामलों पर योजना आयोग, वित्त और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों से भी परामर्श करना पड़ता है । कई अन्य बातें भी सोचनी पड़ती हैं इन सब बातों के बाद ही आवास मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में कोई अधिसूचना जारी की जा सकती है । यह किसी मंत्रालय अथवा मेरे मंत्रालय पर आरोप अथवा प्रत्यारोप की बात नहीं । हम किसी के दोष तो बता सकते हैं परन्तु बिना किसी प्रकार के औचित्य के हमें आरोप नहीं लगाने चाहियें । मुझे आशा है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत हमें, धन, इस्पात और सीमेंट इत्यादि के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से, भूमि अर्जन सम्बन्धी अधिनियम के लागू हो जाने से, और अन्य अपेक्षित सुविधायें तथा सामग्री उपलब्ध होने से हमें अपनी आवास-व्यवस्था में काफ़ी सफलता मिलेगी । अब मैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को लेता हूं । इस विभाग द्वारा विभिन्न दिशाओं में बड़ा अच्छा काम किया गया है । चम्बल के पुल के बारे में तो अभी अभी ही कहा गया है कि वह बड़ा ही सुन्दर पुल बना है और बहुत जल्दी बना लिया गया है । अगर एक सेक्शन आफ़िसर कोई दोष बताता है, जिस ने स्वयं ने ग़लतियां की हैं और जिस को खुद चार्ज-शीट दे दिया गया है, तो इस से यह नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिये कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और काम भी खराब आ है ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : एक प्रश्न के उत्तर में आप ने हो कहा था कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले हुए थे ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस के ब्यौरे में जाने का मेरे पास समय नहीं है । अगर मैं ने यह माना भी था कि कुछ मामले भ्रष्टाचार के हुए थे तो इस का यह मतलब तो नहीं है कि माननीय सदस्य उस अधिकारी से सूचना प्राप्त कर के यहां आरोप लगाने लग जांये जिस के खिलाफ़ खराब काम करने की शिकायत विचाराधीन है । खैर, चम्बल का यह पुल एक शानदार चीज़ है जिस के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग गर्व कर सकता है ।

चम्बल के समान ही जवाहर सुरंग है जोकि जम्मू को श्रीनगर से मिलाती है । यह भी इसी विभाग का शानदार काम है । इसी प्रकार ऊधमपुर रोड, नेफा रोड और भूटान में हुए कार्यों के बारे में कहा जा सकता है । वजीराबाद बांध, विज्ञान भवन और अशोक होटल भी कारीगरी के अद्वितीय नमूने हैं । इस दिशा में एक लम्बी सूची प्रस्तुत की जा सकती है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बहुत शानदार काम किया है । इसलिये संसद् और देश को उस की सराहना करनी चाहिये । परन्तु इस का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि हम विभाग के वर्तमान दोषों की तरफ से आंखें बन्द कर लें । यह बात नहीं है कि इस विभाग के दोषों से मैं परिचित नहीं हूं । इस विभाग का काम ही कुछ इस प्रकार का है कि इस में गड़बड़ की हमेशा गुंजाइश रहती है । हमारे राष्ट्र के चरित्र के ऊंचे उठने के साथ-साथ यह सब दोष दूर होते जायेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का आलोचक हूं । कभी कभी मैं इंजीनियरों आदि से पूछता हूं कि उन्हों ने अमुक काम क्यों नहीं किया था अमुक काम क्यों किया । कभी कभी मैं उन के साथ कड़े शब्द भी प्रयोग करता हूं । मैं कभी-कभी सोचता हूं कि शायद उन्हें मेरे बारे में कुछ शिकायत होगी । पर ऐसी बात नहीं है । मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे गलत नहीं समझा है । वे स्थिति को सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । अभी उस दिन एक बात का मुझे पता लगा । मैं उस पर चिन्तित हो गया । मैं ने अपने पदाधिकारियों से बताया । अब उसे ठीक कर के लिये उचित उपाय कर रहे हैं । क्या वे न्याय के अधिकारी नहीं हैं ?

श्री राधा रमण ने कहा कि जो अनुमान तैयार किये जाते हैं, उन में से ६० से ७० प्रतिशत तक पैसा निर्माण के काम में प्रयुक्त होता है और शेष ३०–४० प्रतिशत पैसा इंजीनियरों तथा अन्य लोगों के जेबों के अन्दर जाता है । मैं नहीं समझता कि किस आधार पर ऐसी बात कही जा सकती है । किसी एक मामले में ऐसी बात हो, यह मैं मान सकता हूं । पर यह बात मैं नहीं मान सकता कि हमारे सारे मंत्रालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । भ्रष्टाचार है यह मैं भी जानता हूं । मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है । सच पूछा जाये तो कोई भी नहीं कह सकता कि भारत सरकार में कोई भी ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं है । भ्रष्टाचार सभी विभागों में है अन्य विभागों की भांति हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि इस पर नियंत्रण रखें और इसे समाप्त कर दें। गृह-कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय चौकसी संगठन है, जो देश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने का काम करता है । सभी मंत्रालयों में इस विभाग की एक-एक शाखा है । हमारे मंत्रालय में भी एक उच्च अधिकार सम्पन्न शाखा है । इस शाखा की कार्य प्रणाली का वर्णन करने में तो आधे घंटे का समय लग जायेगा । मेरे पास उस का सारा ब्यौरा है कि कितनी शिकायतें आईं, उन को कैसे निबटाया गया आदि । ये सभी बातें प्रशासकीय प्रतिवेदन में भी हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रष्टाचार को दूर करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

मेरा कहना है कि विभाग के उच्च स्तर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। केवल नीचे के स्तर पर ही भ्रष्टाचार है। उसे रोकने तथा उसे समूल नष्ट करने के लिये हमें हर संभव कार्यवाही करनी है। इस सम्बन्ध में अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि माननीय सदस्यों को निराधार आरोप नहीं लगाने चाहियें। मैं चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य हमें भ्रष्टाचार के मामले बतायें और उन के सम्बन्ध में सबूत वगैरह दें, तो यह अधिक लाभदायक होगा। मैं इस का स्वागत करूंगा।

†**श्री मोहन स्वरूप** : मैं आप को सैकड़ों मामले दूंगा पर मुझे भय है कि कुछ भी नहीं किया जायगा !

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह कहना गलत है। मंत्रालय मामले की जांच कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही अवश्य करेगा। हम तोगुमनाम पत्रों के द्वारा की गयी शिकायतों पर भी जांच कराते हैं, जब कि सरकार का नियम यह है कि गुमनाम पत्रों पर कोई ध्यान न दिया जाये। अतः यदि कोई माननीय सदस्य हमारे सामने भ्रष्टाचार का कोई मामला लायेंगे, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारा मंत्रालय उसकी जांच कराके अपराधी को दण्ड दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। सरकार और संसद् दोनों चाहते हैं कि प्रशासन में से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाये। प्रधान मंत्री ने भी इस बात का एक सामान्य सा जिक्र किया था। खैर, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मेरा सुझाव है कि अब समय आ गया है कि हम एक समिति नियुक्त करें, जो इस बात का पता लगाये कि भ्रष्टाचार कैसे आरम्भ होता है, कौन रिश्वत लेता है, क्यों लेता है और किन परिस्थितियों में लेता है, इत्यादि। मे इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करने की बात सोच रहा हूं। सामान्य आलोचना करने से कोई लाभ नहीं। मैं यह नहीं कहता कि मैं समिति नियुक्त करूंगा बल्कि आगामी महीनों में सोचूंगा कि इस सम्बन्ध में कैसे और क्या किया जा सकता है।

निर्माण कार्यों में विलम्ब होने के सम्बन्ध में भी अनेक बातें कही गयीं। मेरा कहना है कि हर विभाग को और केन्द्रीय निर्माण विभाग को भी अपने सामने कुछ सिद्धान्त रखने चाहिएं। जैसा कि एक बार वित्त मंत्री ने भी कहा था, ये सिद्धान्त होने चाहिएं :—न्यूनतम लागत, न्यूनतम समय, डिजाइनों की सादगी व सुन्दरता। ये हैं कुछ सिद्धान्त, जिन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अपने सामने रखना चाहिए।

जहां तक लागत कम करने का सवाल है, हम सभी निर्माण कार्यों में लागत कम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। मोटे तौर से प्रथम व दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में १०,००० करोड़ रु० में से लगभग ३००० या ४००० करोड़ रु० अर्थात् २० या २५ प्रतिशत धन हमने निर्माण कार्य पर व्यय किया है। यदि इस में २० प्रतिशत नहीं बल्कि १० प्रतिशत की बचत की जाये, तो भी १००० करोड़ रु० की बचत हो सकती है।

अतः हम हर प्रकार से विचार कर रहे हैं कि सभी स्तरों पर धन के व्यय में बचत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिएं।

जहां तक सामग्री का प्रश्न है, सभी कामों में इस्पात व सीमेन्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अभी उस दिन रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव ने भी भिलाई में कहा था कि आज का युग लोहे और कान्क्रीट का युग है। लोहे तथा कान्क्रीट की उपयोगिता की बड़ी सम्भावनायें

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे सामने हैं । हमें चाहिए कि हम स्थानीय सामग्री का उपयोग करें—चाहे वह बांस हो या अन्य लकड़ी हो या मिट्टी हो । हमें स्थानीय सामग्री के बजाय स्थानीय सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए ।

राष्ट्रीय निर्माण संगठन ने निर्माण की नाप तोल, भूमि उपयोग, भीतर तथा बाहर के क्षेत्र आदि के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है । हम ने इस जानकारी को राज्य सरकारों तथा अन्य निर्माण अभिकरणों को भेज दिया है ।

इसके बाद बिलों के भुगतान, प्रतिभूति धन आदि के लौटाने तथा टेण्डर आदि का सवाल है । टेण्डर ऊंची दर के होने का मतलब है लागत अधिक लगना । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय निर्माण विभाग तथा हमारा मंत्रालय दोनों प्रयत्नशील हैं कि लागत को कम कैसे किया जाये । हम ठेकेदारों की बैठक करके उन से बातचीत करते हैं । हम उन से पूछते हैं कि इतने अधिक ऊंचे टेण्डर क्यों हैं । वे अनेक बातें व कारण बताते हैं । हम उन कारणों पर विचार करते हैं और उसके बाद उनकी कुछ कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि लागत कम हो जाये । इस सम्बन्ध में हम लगातार सावधानी बरत रहे हैं । मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि मैं माननीय सदस्यों को एक टिप्पण उपलब्ध करवा दूं जिसमें बताया गया हो, कि निर्माण लागत को कम करने के लिए हमने क्या किया है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो इमारतें बनाई जाती हैं, वे बहुत खराब होती हैं । बनते ही उन में दरारें पड़ जाती हैं और वे गिरने लगती हैं । हो सकता है कि एक दो मामलों में ऐसा हुआ हो । मैं खुद भी जानता हूं कि एक इमारत में, बनने के दो साल बाद ही, दरारें पड़ गईं । पर मैंने देखा है कि ९९ प्रतिशत मामलों में ऐसा नहीं होता । मुख्य प्रविधिक निरीक्षक के काम के सम्बन्ध में यदि हमें अधिक भुगतान की, या किसी अनियमितता की शिकायत मिलती है तो हम बड़ी कठोर कार्यवाही करते हैं ।

एक बात यह भी कही जाती है कि मुख्य प्रविधिक निरीक्षक की सिफारिशों पर कभी-कभी ध्यान नहीं दियाजाता । पर बात ऐसी नहीं है । मुख्य प्रविधिक निरीक्षक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से स्वतंत्र है । वह भवनों के निर्माण का प्रविधिक परीक्षण करता है, उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कुछ काम करना पड़ता है । उसे टेण्डरों, निर्माण, सामग्री आदि अनेक बातों की छानबीन करनी पड़ती है । प्रशासकीय प्रतिवेदन में हमने सारी बातें दे दी हैं, कि वह कैसे अपना काम करता है ।

श्री मोहन स्वरूप ने मुख्य प्रविधिक निरीक्षक द्वारा लोक लेखा समिति में कही गयी बात का उल्लेख करते हुए कहा कि उसके कथनानुसार ७० प्रतिशत इमारतें दोषपूर्ण थीं और ३० प्रतिशत मामलों में भुगतान अधिक किया गया था । मैंने इस मामले की छानबीन की थी । मैंने मुख्य प्रविधिक निरीक्षक को बुलाकर स्थिति पूछी थी । उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रतिशत से ठीक स्थिति प्रकट नहीं होती । किन्हीं इमारतों में कोई नट खराब है या कहीं कोई बोल्ट । यदि ऐसी छोटी-छोटी त्रुटियों को ध्यान में रखा जाये, तो प्रतिशत बहुत ज्यादा होगा, पर यदि केवल बड़ी त्रुटियों पर ही ध्यान दिया जाये, तो यह प्रतिशत इतना नहीं होगा । एक बात और भी है कि मुख्य प्रविधिक निरीक्षक केवल उन्हीं मामलों की छानबीन करता है, जिनके बारे में उसे शक होता है । अतः यदि आप लोक लेखा समिति के सामने उसके द्वारा कही गयी बात को स्वीकार करते हैं, तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए उसके बाद में जो दूसरी बात कही है, उसे आप क्यों स्वीकार नहीं करते । इसका मतलब है कि आप न्याय नहीं करना चाहते । मुख्य

[श्री क० च० रेड्डी]

प्रविधिक निरीक्षक ने मुझे बताया और उसका लिखित नोट भी हमारे पास र जिसमें उसने कहा है कि वह केवल उन्हीं इमारतों के सम्बन्ध में छानबीन करता है, जिनके बारे में उसे काफी शक होता है। वैसे अन्य इमारतों की भी छानबीन वह करता है।

इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर ही उनके वक्तव्य का, जो उन्होंने लोक लेखा समिति के सामने दिया था, मतलब निकाला जाना चाहिए। अतः हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मुख्य प्रविधिक निरीक्षक के कथनानुसार ७० प्रतिशत इमारतें दोषपूर्ण थीं।

जहां तक काम की क्वालिटी का सम्बन्ध है, कुछ महीने पहले मैंने संसद की मंत्रणादाता समिति के सदस्यों से निवेदन किया था कि वे दिल्ली में हो रहे निर्माण कार्य को जाकर देखें। जो माननीय सदस्य वहां गये, उन्होंने वापस आकर मुझे बताया कि वहां बड़ा अच्छा काम हो रहा है। एक ऐसी बात है जिस पर हमारे चीफ इंजीनियर बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं। वह शर्मा रहे हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : गैलरी में बैठे किसी भी पदाधिकारी की ओर इशारा करके इस तरह उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

†श्री क० च० रेड्डी : मैं आपके विनिदेश का पालन करूंगा।

मेरे कहने का मतलब यह था कि मंत्रालय का जो अच्छा काम रहा है, उसका अधिकतर श्रेय मंत्रालय के पदाधिकारियों को है।

अब मैं ठेका प्रणाली के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसके बारे में भी सभा में कई बार बहुत कुछ कहा गया है। यह सुझाव दिया गया है कि ठेका प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये और उसकी जगह पर श्रम सहकारी प्रणाली या विभागीय प्रणाली या अन्य कोई प्रणाली चलाई जाये। इस सम्बन्ध में पिछले अवसरों पर मैं अपनी बात सभा को बता चका हूं और अब मैं इस बात पर सभा का समय नहीं लेना चाहता। कस्तूर भाई लाल भाई समिति ने भी, जिसने इस मामले में छानबीन की थी, सिफारिश की है कि ठेका प्रणाली को एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर यह भी कहना सही नहीं है कि ठेका प्रणाली को हटा कर विभागीय प्रणाली लागू करने पर खर्च में बचत अवश्य हो जायेगी। इस मामले पर मैं कभी किसी अन्य समय पर अपने तर्क उपस्थित करूंगा। पर मेरे मंत्रालय का ही नहीं बल्कि एम० ई० एस० तथा वांचू समिति व रेलवे तथा अन्य अधिकरणों ने भी, जिन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया है, यही कहा है कि अभी तक हम ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंच पाये हैं कि हम ठेका प्रणाली हटा कर विभागीय प्रणाली या कोई अन्य प्रणाली अपना लें। फिर भी हम यह करना चाहते हैं कि ठेका प्रणाली के दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें और निर्माण सहकारी समितियों तथा विभागीय अभिकरणों पर अधिकाधिक विश्वास करना शुरू करें। हमारा इरादा है कि हम अच्छी सहकारी समितियों पर अधिकाधिक विश्वास करें और उन्हें अधिकाधिक काम दें। हम भारत सेवक समाज को कुछ काम दे रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि भारत सेवक समाज ५० प्रतिशत लागत पर ही काम कर देगा, मैं कहता हूं कि उनकी बात सही नहीं है। हमने उन्हें अनुसूचित दर पर ही काम दिया है ५० प्रतिशत कम दर पर नहीं। वे काम कर रहे हैं और उनका काम अच्छा हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री केशव : बंगलौर में जो काम हो रहा है, वह भी भारत सेवक समाज को दे दिया जाये ।

†श्री क० च० रेड्डी : मैं मैसूर सरकार तथा बंगलौर निगम के माध्यम से भारत सेवक समाज के सभापति से बातचीत करूंगा और प्रयत्न करूंगा कि यह काम उन्हें सौंप दिया जाये ।

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं कि मैं उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करूंगा । पर उन्हें अपने साधन तथा प्रविधिक जानकारी बढ़ानी होगी, ताकि हम इस विश्वास के साथ उन्हें काम सौंप सकें कि वे काम अच्छा कर सकेंगे ।

मेरे माननीय सहयोगी विस्फोटक पदार्थों के विभाग के सम्बन्ध में कह चुके हैं अतः इस सम्बन्ध में मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा ।

यह हर्ष का विषय है कि पिछले महीनों में अशोक होटल ने अच्छा कार्य किया, यद्यपि पिछले ढाई वर्ष से उसका काम घाटे में चल रहा था । वस्तुतः यह एक व्यापक अनुभव है कि प्रारम्भिक वर्षों में होटल में घाटा होना स्वाभाविक है । बम्बई के एक गैर-सरकारी होटल को लाभांश घोषित करने में १५ वर्ष का समय लगा था । इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि यह होटल प्रारम्भ में गैर-सरकारी क्षेत्र में था, हमें उनसे लेकर यह इमारत बनानी पड़ी । जब इमारत पूरी तरह नहीं बनी थी तभी हमने होटल का काम चालू कर दिया था । मेरे माननीय सहयोगी हमें पहिले ही बता चुके हैं कि पहिले दो वर्षों में हमें जो कुछ भी आय हुई, उसमें से समवाय विधि के अधीन, अवक्षयण, विकास छूट तथा सरकार को ५ प्रतिशत की दर से ब्याज देने के उपरांत बकाया राशि निकाली गई । सभा में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन से ज्ञात होगा कि सितम्बर १९५८ से मार्च १९५९ के बीच आवश्यक विनियोगों की व्यवस्था करने के उपरांत होटल को २ लाख रुपये की हानि हुई । सभा को मेरे माननीय सहयोगी के मुंह से यह सुन कर हर्ष हुआ होगा कि १९५९-६० में आवश्यक विनियोगों तथा अन्य व्यय की व्यवस्था कर सभा को ८,७५,००० रुपये के विशुद्ध लाभ होने की आशा है । हम आशा करते हैं कि भविष्य में होटल से और अधिक आय होगी तथा होटल उन वस्तुओं का भी विदेशों से आयात नहीं करेगा जिनके लिए हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे । मैं आशा करता हूं कि सेवाओं में सुधार होगा तथा व्यय में कमी आयेगी । मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि होटल में ठहरने वालों की संख्या बढ़ी है । वस्तुतः इस दिशा में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने अच्छा कार्य किया है । हम उसमें कुछ और परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे कि इस फैक्टरी के काम में और अधिक सुधार होगा ।

गृह-निर्माण के सम्बन्ध में यह आरोप लगाया गया है कि हम शानदार इमारतें बनाने में लाखों रुपये व्यय कर रहे हैं, जब कि ग्रामीण गृह-निर्माण की उपेक्षा की जाती है । मैं इस सम्बन्ध में केवल दिल्ली का उल्लेख करना चाहता हूं । दिल्ली में कार्यालयों के लिए ४२ लाख वर्ग फीट की आवश्यकता है जब कि हमारे पास स्थायी इमारतों में केवल १२ से १३ लाख वर्ग फीट स्थान प्राप्त है । इसमें से आधा स्थान उन हटमेंटों में है जो १५-१६ वर्ष पूर्व युद्ध काल में बने थे और जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी । उनकी मरम्मत करना भी कठिन प्रतीत हो रहा है तथापि भारत सरकार के आधे कार्यालयों का काम इन्हीं हटमेंटों में चल रहा है । मैं इस सम्बन्ध में संसद-सदस्यों से सहमत हूं कि ५ या ७ वर्ष पश्चात् ये मनुष्यों के रहने के लिए भयावह सिद्ध हो सकते हैं और यदि इनके

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

स्थान पर नई इमारतें नहीं बनाई जायेंगी तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। यद्यपि हम कुछ कार्यालयों को दिल्ली से स्थानान्तरित करने में सफल हुए हैं और १ लाख वर्ग फीट स्थान इस अवधि में निर्मित हो चुका है। तथापि सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि यदि हम ५ या ६ वर्षों की अवधि में निर्माण कार्यों में पर्याप्त प्रगति नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति चिन्तापूर्ण हो सकती है। यदि सदस्य यह सोचते हैं कि हम दो तीन बहुमंजिली इमारतें बना कर धन का अपव्यय कर रहे हैं तो यह गलती पर हैं। हम इन इमारतों के स्थापत्य तथा अन्य पहलुओं पर इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि उनकी उपयोगिता पर। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन बहुमंजिली इमारतों पर जो रुपया व्यय किया है, वह उचित तरीके से व्यय हुआ है। इसके सम्बन्ध में श्री पाटिल की अध्यक्षता में एक दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने उसमें कहा है कि किसी भी देश की अन्य इमारतों की तुलना में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गई ये इमारतें सस्ती हैं।

रहने के मकानों के सम्बन्ध में मैं केवल एक पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। यह कहा गया है कि हम ऊंचे वर्गों के कर्मचारियों के लिए अधिक मकान बना रहे हैं तथा निम्न वेतन क्रम वाले कर्मचारियों की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक २८००० क्वार्टर बने हैं इन में से २२७६० क्वार्टर उन कर्मचारियों के हैं जिनका वेतन २५० रुपये से कम है। इन २२७६० क्वार्टरों में से ३७४० 'एफ' प्रकार के जो १५०–२५० वेतन क्रम वालों के लिए हैं, १०३४८ 'जी' प्रकार के क्वार्टर हैं जो ५५ रु०–१५० रु० वेतन क्रम वालों के लिये हैं ८६७२ क्वार्टर 'एच' प्रकार के हैं जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों तथा काम के लिए स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के लिए हैं।

कुछ क्षेत्रों में निम्न वर्ग के अधीन आने वाले क्वार्टरों को ऊंचे वर्ग का बनाया गया है। यह इस कारण किया गया है कि जिससे निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए अधिक मकान बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध हो जाय जिससे कि उच्च वर्ग के कर्मचारियों को वे क्वार्टर दिये जा सकें जो पहिले निम्न वेतन वर्ग के कर्मचारियों के थे। यह कहा गया है कि इसके कारण लोगों को अधिक किराया देना पड़ा है। क्या जो व्यक्ति ऐसे क्वार्टर में गया है, जिसके वर्ग को बढ़ाया गया था, उसे अधिक किराया देना पड़ा? यह केवल इस कारण किया गया कि ऊंचे वेतन क्रमों के अधीन आने वाले व्यक्तियों को ऊंचे वर्ग के मकान मिल सकें और उनके लिए नये मकान बनाने की आवश्यकता न हो। अतः यह कहना गलत है कि हम ने निम्न वर्ग के कर्मचारियों की उपेक्षा की है। मेरे विचार से और अधिक मकान बनाने की आवश्यकता होगी। हमारा लक्ष्य ८० प्रतिशत कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाना है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम तीसरी योजना की अवधि के लिए कार्यालयों तथा रिहायशी मकानों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था कर पाते हैं। हमें आशा है कि तृतीय योजना में हमें अपेक्षित राशि प्राप्त हो जायेगी। यदि वह प्राप्त हो जायेगी तो हम लगभग आधी आवास समस्या हल करने में समर्थ होंगे।

श्री तंगामणि ने यह कहा है कि संभरण और निपटान के महानिदेशक के कार्यालय को विदेशी मुद्रा बचाने का कार्य अपने हाथों में लेना चाहिए। उनका तात्पर्य था कि हम अधिक से अधिक स्वदेशी माल मंगायें। हमने यह नीति अपनायी है कि यथासम्भव अधिक से अधिक स्वदेशी निर्माताओं या विदेशी कारखानों के स्वदेशी एजेंटों से माल मंगवायें। मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े हैं तथापि समयाभाव में मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। तत्सम्बन्धी कुछ आंकड़े प्रतिवेदन में भी दिये गये हैं तथापि आयात की गई वस्तुओं की कीमतें स्वदेशी वस्तुओं के मुकाबले काफी कम हैं। उक्त कार्यालय में एक प्रगति विभाग भी है जो कि स्वदेशी निर्माताओं को उन वस्तुओं का देश में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देता है जो अभी तक देश में नहीं बनायी जाती थीं।

हमारे यहां कई समितियां हैं जिन में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन समितियों का यह कार्य है कि वे इस बात का पता लगायें कि किन वस्तुओं का अभी भी आयात किया जाता है, उनमें से कितनी वस्तुएं देश में निर्मित हो सकती है तथा उसके लिए क्या क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं। इस योजना के उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में औद्योगिकरण की गति अधिक तीव्र होगी तथा हम उन वस्तुओं का आयात बन्द करने में समर्थ हो जायेंगे जिनका इस समय हम आयात कर रहे हैं।

स्लीपरों तथा रेलवे के कुछ अन्य सामानों के बारे में मेरा ध्यान लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की ओर दिलाया गया था। इस सम्बन्ध में कुछ भ्रांति हुई है। वस्तुतः एक नोट में यह सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इस सम्बन्ध में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि संभरण और निपटान के महानिदेशक का इस में कोई दोष नहीं है। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना कर्तव्य पूरी तरह किया है। यदि कोई हानि हुई भी है तो वह बहुत कम है, यदि कुछ सुधारों के लिए कहना था तो वह प्रतिरक्षा अथवा रेलवे मंत्रालय ने कहना चाहिए था जिनके निमित्त हम यह काम कर रहे हैं। यदि वे विशेष प्रकार की वस्तुएं मंगाना चाहते हैं तो हम उनके आदेश की पूर्ति करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वस्तु-सूची वे हमें भेजते हैं वे हमारे पसन्द की नहीं होती हैं तब भी हमें उन आदेशों का पालन करना होता है। यदि इसके फलस्वरूप खराब परिणाम निकलें तो यह दायित्व संभरण और निपटान के महानिदेशक का नहीं है अपितु सम्पूर्ण भारत सरकार का है या उन मंत्रालयों का है जिन्होंने उक्त आदेश भेजा था। जैसा कि प्रारम्भ में कह चुका हूं मैं माननीय सदस्यों द्वारा पूछी गई उन सभी बातों के सम्बन्ध में, जिनका मैं तथा मेरे सहयोगी उत्तर नहीं दे पाये हैं, वास्तविक जानकारी तथा अपने उत्तर देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखूंगा। यह विवरण यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

मंत्रालय को सभा के सदस्यों की शुभेच्छायें तथा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें सदस्यों की शुभेच्छायें इसी प्रकार मिलती रहेंगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १७९५ मतदान के लिए रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में २४ और विपक्ष में ८६।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :–

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९४	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . .	५९,२०,०००
९५	संभरण	२,७०,९८,०००
९६	अन्य असैनिक निर्माण कार्य	२५,८१,६३,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९७	स्टेशनरी और मुद्रण	७,२४,६६,०००
९८	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	१,४५,१४,०००
१३५	दिल्ली पूंजी व्यय	६,२८,७२,०००
१३६	भवनों पर पूंजी व्यय	९,०१,८५,०००
१३७	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	६,४५,४८,०००

वित्त मंत्रालय

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब वित्त मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करेगी । इन मांगों पर ७३ कटौती प्रस्ताव आये हैं; जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे उनकी संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर दे दें ।

वर्ष १९६० –६१ के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२१	वित्त मंत्रालय	१,५३,८४,०००
२२	सीमा शुल्क	३,६१,२९,०००
२३	संघ उत्पादन शुल्क	८,१०,३७,०००
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर	५,४६,२९,०००
२५	अफीम	४८,६३,०००
२६	मुद्रांक	२,२८,४५,०००
२७	लेखा-परीक्षा	१०,९५,१४,०००
२८	चल-मुद्रा	३,३२,१२,०००
२९	टकसाल	६,०४,७९,०००
३०	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति-वेतन	२१,५०,०००
३१	अतिव्यस्कता भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन	३,५४,१६,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	६७,६५,७१,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३३	योजना आयोग	२,३२,८१,०००
३४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	१४,८०,०००
३५	विभाजन के पूर्व के भुगतान . . .	३५,२२,०००
१११	इंण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय . .	१२,२३,०००
११२	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय . .	५,०४,८३,०००
११३	टकसालों पर पूंजी व्यय . . .	९,३१,०००
११४	सेवा-निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य . . .	३८,९६,०००
११५	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . .	३,०००
११६	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	७२,५०,१२,०००
११७	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . .	१,६८,४३,११,०००

†श्री प्रभातकार (हुगल): देश के आर्थिक विकास का दायित्व वित्त मंत्रालय पर निर्भर करता है । आज हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वार पर खड़े हैं । अतः हमें इस बात का प्रयत्न करना है कि योजना के लक्ष्यों की यथासंभव प्राप्ति हो सके । तथापि हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो मांगें स्वीकार की जाती हैं उनका एक बड़ा अंश उपयोग न किये जाने के कारण व्यपगत हो जाता है । अतः हमें व्यय और आय सम्बन्धी वार्षिक प्राक्कलनों को प्रस्तुत करने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ।

विदेशों से लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में बजट के दौरान पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । हमें विदेशों से ऋण ५ ३।४ प्रतिशत से ३ १।२ प्रतिशत तक ब्याज में प्राप्त हो रहा है । हमें इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं देशों से ऋण लेवें जिनकी ब्याज की दरें और शर्तें हमारे अनुकूल हों ।

अब मैं भारत में लगाई जाने वाली विदेशी गैर-सरकारी कम्पनियों की पूंजी को लेता हूं । ये विदेशी कम्पनियां भारत में पूंजी इस कारण लगाती हैं कि यहां मजूरी इत्यादि सस्ती होने के कारण उनके मुनाफे का अनुपात, अपने देश की अपेक्षा कहीं अधिक रहता है । वे लोग इस मुनाफे को अपने देश में भेजते हैं और इस प्रकार भारत की दुर्बलता से लाभ उठा कर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं । इन विदेशी कम्पनियों ने भारत में प्रत्यक्ष प्रकार की पूंजी लगाई है । अर्थात् अपनी कम्पनी की एक शाखा भारत में खोल दी है परन्तु उसका नियंत्रण तथा अधिकांश अंश विदेशियों के हाथों में रहते हैं ।

पिछले वर्षों में भारत में लगी हुई विदेशी पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हुई । १९४७ में भारत में विदेशी पूंजी की कुल राशि २४७.५६ करोड़ थी जो १९५७ में बढ़ कर ५६६.६ करोड़ हो गई । इस अवधि में इन कम्पनियों ने ११२.३ करोड़ रुपये विदेशों को भेजे और केवल ५१.९ करोड़ रुपये पुनः व्यापार में लगाये गये । यद्यपि इस अवधि में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभातकार]

के कारण हमें अपने आयातों पर कटौती करनी पड़ी तथापि विदेशी विनियोजकों के लिए मुनाफे की पूंजी तथा लाभांश इत्यादि भेजने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे प्रश्न के इस पहलू पर भी ध्यान देवें इस प्रश्न का एक पहलू यह भी है कि विदेशी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों से अधिक मुनाफा कमा रही हैं क्योंकि पैट्रोल, बागान, सिगरेट तथा तम्बाकू इत्यादि पर इनका अधिकार है। वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अब मैं राजस्व जमा करने के विषय पर आता हूं। इस सम्बन्ध में २७१.६० करोड़ की राशि ऐसी है जो अभी वसूल नहीं हुई है। इसके सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने बताया था कि उक्त राशि में से केवल १७४.७३ करोड़ राशि ऐसी है जिसे हम प्रभावी बकाया राशि कह सकते हैं, कदाचित इसका तात्पर्य यह है कि केवल यही राशि वसूल हो सकती है अवशेष राशि वसूल भी नहीं हो सकती है। आशा है वित्त मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे। आयकर इत्यादि की वसूली के सम्बन्ध में भी ढिलाई हो रही है। ११ लाख करदाताओं में से केवल ४ लाख करदाताओं की राशि का निर्धारण किया गया है। अपीलीय सहायक आयुक्तों की संख्या में कमी होने के कारण निलम्बित अपीलों की संख्या बढ़ गई है तथा जो राशि निर्धारित की गई है उसकी वसूली भी नहीं हुई है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। १९६०-६१ के बजट से यह ज्ञात होगा कि प्रत्यक्ष करों से होने वाली कुल आय १९६.७४ करोड़ है जब कि अप्रत्यक्ष करों से होने वाली आय ५२१.०२ करोड़ है अर्थात कुल आय का २७ प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से और ७३ प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से वसूल किया जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि वसूल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है और अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा कर सामान्य जनता पर करों का भार अधिक डाला जा रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय।

विदेशी मुद्रा पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। विद्यार्थियों तथा (सरकारी एवं व्यवसायी व्यक्तियों के अलावा) अन्य लोगों के लिए विदेशी मुद्रा की जो राशि स्वीकृत की गई थी वह १९५७ में २६५ लाख रुपये थी। १९५९ में इस मद में २९८.८२ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उन लोगों को जो देश की आवश्यकताओं या ज्ञान के विकास के लिए बाहर नहीं जाते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। यदि जीवन निर्वाह सम्बन्धी देशनांक को १९४९ में १०० माना जाय तो १९५९ में यह १२५ हो गया है। और आशंका यह है कि वह बढ़ता ही जायेगा। अतः मंत्रालय को कीमतें रोकने की दिशा में निश्चयात्मक प्रयत्न करना चाहिए।

११ मार्च, १९६० को रक्षित बैंक द्वारा निकाली गई घोषणा के अनुसार रक्षित बैंक के पास रखा जाने वाला न्यूनतम रक्षित अनुपात २५ प्रतिशत है। अग्रिम धन देने इत्यादि की अधिकतम राशि विहित कर दी गई है। बदले के सौदों पर वित्त देने पर रोक लगा दी गई है सामान्य अंशों पर ऋण देने पर न्यूनतम ५० प्रतिशत की सीमा विहित कर दी गई है। मेरा विचार है कि इन उपायों से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि समस्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय।

अब मैं जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाने के विषय को लेता हूं ३१ दिसम्बर १९५८ तक निगम ने ४२०.४७ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है जिस में से ३६८.९३ करोड़ रुपये सट्टे बाजार की प्रतिभूतियों में लगे हैं। मेरे विचार से इतनी बड़ी राशि को विकासेतर कार्यों में लगाना अनुचित है। जीवन बीमा निगम के व्यवसाय में तरक्की हुई है तथापि यह ज्ञात हुआ है कि जितनी संख्या में

नये बीमे किये गये हैं उतनी ही संख्या में पुराने बीमे का भुगतान भी किया गया है इस प्रकार विशुद्ध लाभ कम हुआ है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में नई खरीदी गई पालीसियों तथा भुगतान की गई पालीसियों दोनों के ही आंकड़े देवें। जीवन बीमा निगम का लाभांश सम्बन्धी विवाद हल हो गया है मैं आशा करता हूं कि उन के वेतन स्तरों का मामला भी पारस्परिक समझौते से तय हो जायेगा।

जहां तक सामान्य बीमे का सम्बन्ध है, कई विदेशी कम्पनियां अपनी भारतीय शाखाओं का काम बन्द कर रही हैं। जबकि हमारे विदेशी निर्यात की मात्रा में वृद्धि होने के कारण इन का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है तथापि ये कम्पनियां अपने वार्षिक विवरण भी विलम्ब से प्रकाशित करती हैं। १९५७ के कार्यों को वार्षिक विवरण अभी हाल १९५९ के अन्त में प्राप्त हुआ है अतः मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें तथा कम्पनियों के प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रकाशित करते रहें।

मेरे विचार से लोक प्रशासन संस्था दिल्ली को इस वर्ष भी १० लाख रुपये का अनुदान दिया जाना अनुचित है क्योंकि इस संस्था ने बहुत कम काम किया है।

अब मैं पुनः राजस्व की वसूली के प्रश्न को लेता हूं। जब तक विभाग का पुनर्गठन नहीं होगा तब तक यह बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि विभाग में ऐसे अधिकारियों का जाल फैला हुआ है जो शीघ्रतापूर्वक वसूली के काम में रोड़े अटकाते हैं। यह बकाया राशि १७४ करोड़ है तथापि उन लोगों से जिन से यह राशि वसूल करनी है कोई मुकदमे नहीं चलाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन पर मुकदमे क्यों नहीं चलाये जाते हैं? अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि राजस्व वसूली व्यवस्था का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाय कि बकाया वसूली के लिये तत्काल कार्यवाही की जाय और जो लोग आयकर नहीं दे रहे हैं उन पर मुकदमा चलाया जाय।

†श्री प्रभात घोष :(बैरकपुर): जीवन बीमा निगम के द्वारा पूंजी लगाने के सम्बन्ध में सभा में काफी चर्चा हुई है। श्री प्रभात कार ने भी उस का उल्लेख किया है। माननीय वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि जब तक दूसरे पक्ष की बातें न मालूम हों इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। तथापि श्री सुव्वैया ने जो कि संसद के सदस्य और विनियोजन समिति के सदस्य थे उन्होंने इस सम्बन्ध में आरोप लगाये थे जो १२४ पृष्ठों पर लिखे गये थे, इस बात का सरकार ने भी लम्बा उत्तर दिया है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन पत्रों को सभा पटल या संसद पुस्तकालय में रख देवें जिस से इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले सदस्य उन्हें पढ़ सकें। जीवन बीमा निगम ने सिद्धान्त रूप से यह बात स्वीकार की है क वह बन्धक रखना को स्वीकार करेगी तथापि मुझे बताया गया है कि बन्धक इस कारण नहीं स्वीकार किये जाते हैं कि पिछले बीमा समवायों द्वारा ही काफी अधिक संख्या में ये बंधक स्वीकार कर लिये गये थे। मेरे विचार से बन्धकों के ऐवज में पूंजी लगाना लाभकारी है अतः बन्धक स्वीकार किये जाने चाहियें। विशेषतः इसलिये कि मध्यम वर्ग के लोग मकान बनाने के लिय ऋण चाहते हैं अतः उन्हें ऋण दिये जाने की सुविधायें दी जायें।

जीवन बीमा निगम के १९५८ के प्रतिवेदन में मूंदड़ा कांड का उल्लेख किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों से जो सौदे किये गये थे उन के अंशों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विमल घोष]

जीवन बीमा निगम ने अपनी अधिकांश पूंजी बम्बई क्षेत्र में विनियोजित की है। वित्त मंत्री ने इस की सफाई में यह कहा है कि बम्बई आर्थिक तथा औद्योगिक हलचलों का केन्द्र है। निःसन्देह यह बात सही है तथापि हमें यह नीति अपनानी चाहिये कि देश के सभी भागों में पूंजी लगाई जाय। इसी कारण निगम बनाने के प्रारम्भ में हम ने यह सुझाव दिया था कि बजाय एक निगम बनाने के देश में चार पांच निगम बनाये जाने चाहियें इस का यह परिणाम होगा कि उन में आपस में प्रतियोगिता रहेगी और इस प्रकार व्यवसाय में प्रगति होगी। इस के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी का विनियोजन भी संभव होगा। मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे अब भी इस प्रस्ताव पर विचार करें। वस्तुतः केन्द्र के जितने भी आर्थिक या वित्त सम्बन्धी कार्यालय हैं उन सब का केन्द्र बम्बई है सभी वित्त कार्यालय के मुख्य कार्यालय बम्बई में हैं सरकार को यह नीति बदलनी चाहिये और उन में से कुछ कार्यालयों को देश के अन्य भागों में भी स्थापित करना चाहिये।

इस में सन्देह नहीं कि बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम बनने के पश्चात् से बैंकों के कार्यों में सुधार हुआ है, तथापि भारत रक्षित बैंक की १९५८ के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि उस अवधि में १५ बैंक बन्द हुए उन में से एक अनुसूचित बैंक भी था। अतः मेरा सुझाव है कि भारत में भी निक्षेप बीमा निगम जैसी संस्था की स्थापना की जाय जिस से कि ५००० रु० या १०००० रु० तक जमा करने वाले व्यक्तियों को राशि की सुरक्षा हो सके। ऐसी संस्था अमेरिका में सफलतापूर्वक काम कर रही है। मेरे विचार से इस संस्था से कई लाभ होंगे।

इस के अलावा मेरा निवेदन है कि जहां तक औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगम का सम्बन्ध है उन्हें चाहिये कि वे छोटे उद्योगों तथा सामान्य व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करें। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ऋण की राशि बढ़ा कर १० लाख रुपये से २० लाख रुपये कर दी जाय। दूसरे यह कि रक्षित राशि के प्रतिशत को घटा कर ४० या ३५ प्रतिशत कर दिया जाय। इस से छोटे उद्योगों को काफी सहायता मिल जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं रेडक्लिफ समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहता हूं उस में औद्योगिक प्रतिभूति निगम बनाने का सुझाव दिया हुआ है। यह निगम वाणिज्यिक बैंकों को छोटे छोटे औद्योगिकों और कारखानेदारों की ओर से उन को दिये गये ऋण के सम्बन्ध में प्रतिभूति देगा। इस से वाणिज्यिक बैंकों को इन कारखानेदारों को ऋण देने में प्रोत्साहन मिलेगा। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करें और यदि यह योजना उपयोगी सिद्ध हो तो इसे तत्काल क्रियान्वित करें।

इस सम्बन्ध में मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन का उल्लेख करना चाहता हूं। इस के कार्यालय को बन्द किया जा रहा है। दूसरी ओर पुनर्वास औद्योगिक निगम के कार्यालय का विकास किया जा रहा है और उस में नये कर्मचारियों को नियुक्ति की जा रही है। मेरा सुझाव है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन को पुनर्वास उद्योग निगम में मिला दिया जाय।

पूर्वी पाकिस्तान से जो शरणार्थी लोग आये हैं उन्हें अपनी भविष्य निधि, पेंशनें तथा उन के द्वारा जो रुपया डाक बचत बैंक या डाक बीमा में जमा किया गया था वह प्राप्त नहीं हो रहा है। वे लोग बहुत साधारण स्थिति के व्यक्ति हैं और उन्होंने अपना धन ऐसे समय डाकखाने या भविष्य निधि में जमा किया था जबकि पाकिस्तान नहीं बना था अतः उन को वह राशि लौटाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, भारत सरकार को उन से यह नहीं कहना चाहिये कि क्योंकि पाकिस्तान से वित्तीय मामलों में हमारा समझौता नहीं हुआ है अतः हम यह राशि नहीं दे सकते हैं। अतः वित्त मंत्री को इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

वित्त मंत्रालय का आर्थिक विभाग बहुत उपयोगी सामग्री तैयार करता है । प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि वे देश और विदेशों में आर्थिक हलचलों और महत्वपूर्ण आर्थिक विकासों के सम्बन्ध में संक्षेपिकायें इत्यादि तैयार करते हैं मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि ये पुस्तिकायें संसद् सदस्यों को भी उपलब्ध होनी चाहियें । निस्सन्देह इन में जो गोपनीय प्रकार के पत्र हों वह नहीं दिये जायें तथापि उपयोगी सामग्री को उन सदस्यों को भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिये जो इन विषयों में दिलचस्पी लेते हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी (वेल्लोर): श्रीमान्, मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, परन्तु कई खडों में आंकड़े होने के कारण यह कठिनाई पैदा हो गई है कि आसानी से एक आध मद को नहीं देखा जा सकता । इस मंत्रालय को बजट के मामले में दूसरों के लिये उदाहरण कायम करना चाहिये । कई बातें इस में ऐसी हैं जिन्हें समझा भी नहीं जा सकता ।

इस प्रकार की कुछ चीजें मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं । मांग संख्या २१ में क२ के अधीन "प्रत्याशित उन्नतियों" के लिये ९४०० रुपये की व्यवस्था की गयी है । मांग संख्या ३२ में "विविध व्यय तथा व्यय" के सामने ४४,५०,००० रुपये की व्यवस्था है । पृष्ठ संख्या २२० पर फिर यही बातें दुहराई गई हैं । इस प्रकार के और भी अनेक उदाहरण इस में हैं । एक ही प्रकार के व्यय के लिये दो दो स्थानों पर व्यवस्था करने की बात गलत है । एक ही स्थान पर स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये ।

लोक लेखा समिति ने इस बात को कभी पसंद नहीं किया है कि किसी मद के लिये एक ही स्थूल की व्यवस्था की जाय । मंत्रालय सदा आश्वासन दिलाते रहे हैं कि भविष्य में ऐसा न होगा, परन्तु कभी भी उन्होंने समिति के आदेश का पालन नहीं किया ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मांग संख्या ३२ में राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था है । यही बात पृष्ठ संख्या २७७ पर भी दिखाई देती है । इस प्रकार से ठीक स्थिति का भान नहीं होता । जो तरीका वित्त मंत्रालय ने मांगों के बारे में बनाया है वह यद्यपि लेखापालों के लिये तो शायद ठीक हो पर संसद सदस्यों के लिये हरगिज उपयोगी नहीं है । इसलिये बजट पेश करने के तरीके में सुधार करना चाहिये ।

नोटों का कागज छापने के कारखाने के लिये २.५ करोड़ रुपये की एक व्यवस्था बजट में है । सब को विदित है कि लोक लेखा समिति ने अपनी पच्चीसवीं रिपोट में यह कहा था कि देहरादून वन गवेषणाशाला की मशीनों को उपयोग करने की बात सोच ली जानी चाहिये । इस कारण मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि वह इस बात पर ध्यान कर ले कि क्या नये संयंत्र पर इतना भारी खर्च करना उचित होगा ।

इस के अलावा चांदी साफ करने का कारखाना लगाने की योजना पर भी सरकार को जरा ध्यान कर लेना चाहिये । चांदी हमें अमरीका को देनी है और जब तक हमारे यहां कारखाना लगेगा तब तक चांदी वापस कर दी जायेगी । सुना जाता है फिर उसे ताम्र शोधी कारखाने के रूप में परिवर्तित किया जायेगा । उस पर भी काफी व्यय होगा । अतः यह सारा खर्चा हमें सोच समझ कर करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मूनिस्वामी]

व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध संख्या १७ के एक वक्तव्य से प्रतीत होता है कि अनेकों कर्ज की मदों की जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई है। यह मामला बड़ा गंभीर है। संविधान की धारा २९२ के अनुसार उधार लेने की शक्तियों तथा गारंटी देने के अधिकारों की सीमा का निश्चय संसद् ही कर सकती है। इस लिये इस मामले में माननीय मंत्री को काफी सावधानी से काम लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में निश्चित नियम और सिद्धान्त बनाने चाहियें। गारंटी देने से भारत सरकार पर निश्चयात्मक दायित्व आ जाता है। अतः सोच समझ कर ही यह काम करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आयकर की बकाया राशि में नित्य प्रति वृद्धि होती जा रही है। आयकर तथा निगम कर को मिला कर आज २४० करोड़ की बकाया राशि ऐसी है जिसे सरकार ने वसूल करना है। कर्मचारी भी बढ़ाये जाते हैं पर उन की वृद्धि के साथ साथ कार्य से प्राप्त होने वाले परिणाम भी ज्यादा निकलने चाहियें ; अन्यथा इस का कोई लाभ नहीं है। यदि मुनासिब हो तो स्थानीय संग्राहकों को ज्यादा अधिकार दे दिये जायें। बकाया करों की वसूलियां होनी चाहियें।

जहां तक जनता पालीसी का सम्बन्ध है, चाहे इस के कितने भी फायदे हों परन्तु दक्षिण भारत के गांवों में यह लोक-प्रिय नहीं है। इसे लोक प्रिय बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

जहां तक इनामी बौण्डों का सम्बन्ध है इन के बारे में दो रायें हैं। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि इस प्रकार से सरकार जुआबाजी को उभार रही है पर मैं उन लोगों की राय से सहमत नहीं हूं। जुआबाजी का इस में कोई सवाल नहीं है। हमारे देश के लोग बिना प्रेरणा के धन को नहीं छोड़ते इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे इनामी बौंडों को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनायें।

†श्री अरविन्द घोषाल (उलूबेरिया): अध्यक्ष महोदय वित्त मंत्रालय अन्य समस्त मंत्रालयों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला है। इसलिये यह आवश्यक है कि माननीय वित्त मंत्री अथवा इस मंत्रालय की नीति का प्रभाव अन्य मंत्रालयों पर पड़े और इस कारण यह भी आवश्यक हो जाता है कि देश की वित्तीय अथवा आर्थिक नीति विभिन्न क्षेत्रों की दशा के आधार पर बनाई जाये।

यदि हम देश के कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को देखें तो पता लगता हैं कि खेती के मामले में हम पिछड़े हुए हैं यद्यपि यह हमारा प्रमुख व्यवसाय है। भारत में ७०.६ प्रतिशत व्यक्तियों का आधार खेती पर ही है जबकि अमरीका की जनता का केवल १२.८ प्रतिशत खेती पर आश्रित है।

औद्योगिक क्षेत्र में हमारी मिश्रित अर्थ व्यवस्था है। इस को सभी ने स्वीकार कर लिया है कि पिछड़े देशों को अपने विकास के लिये सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना चाहिये परन्तु हमें अपने देश में ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार गैर सरकारी क्षेत्र के प्रति बहुत उदार है और वह ऐसा प्रयत्न नहीं कर रही है जिस से जितना आवयश्यक है उतना सरकारी क्षेत्र का विकास हो। हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी सरकारी क्षेत्र का समुचित विकास किया जाये तथा इस का ध्यान रखा जाये कि इस क्षेत्र के सभी उद्योगों का प्रशासन इस प्रकार का हो जिस से देश की अर्थ-व्यवस्था को कोई हानि न पहुंचे क्योंकि आज तो यही पता लगता है कि सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार तथा नौकरशाही का ही अधिक बोल बाला है। और यह जीवन बीमा निगम के द्वारा किये गये व्यापार से सिद्ध भी हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी आदि से लिये गये ऋणों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमें पता लगा है कि इन देशों से हम ने ३।। प्रतिशत से ६ प्रतिशत की सूद की दरों पर ऋण लिया है। परन्तु रूस आदि देशों से हम को २।। प्रतिशत की सूद की दर पर ऋण मिला है। यह बताने से मेरा यह मतलब नहीं है कि इन पश्चिमी देशों से हम कोई ऋण न लें। हमें तो अपना विकास करने के लिये धन लेना ही है परन्तु ऋण लेने के साथ साथ हमें इस का भी ध्यान रखना चाहिये कि जो ऋण हम ले रहे हैं उस को वापस भी दे पायेंगे अथवा नहीं। हमें इस बारे में पता लगा है कि १९५९ में दामोदर घाटी निगम को १६.७२ लाख डालरों का ऋण वापस देना था परन्तु वह दे पाये केवल ३.९० लाख डालर। इसलिये ऋण लेते समय हमें इस का अवश्य ध्यान रखना चाहिये।

हम देश के विकास के लिये ऋण ले रहे हैं। परन्तु जब भी कभी फर्रका बांध के बारे में पूछा जाता है तभी यही उत्तर मिलता है कि इस के लिये बहुत धन चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि जब अन्य परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये ऋण लिये जा रहे हैं तब क्या इस फर्रका बांध निर्माण के लिये ऋण नहीं लिया जा सकता।

राज्यों को संघ राजस्व से आवंटन के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने आय-व्ययक भाषण में विधान सभा में बताया था कि वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि दूसरी योजना के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को २५ करोड़ रुपये दिये जाने चाहिये। परन्तु योजना आयोग ने कहा है कि हम वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं। इसलिये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी विकास योजनायें पूरी करने के लिये यह धनराशि दे दी जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने आयकर की उगाही के बारे में कुछ बातें कहीं। मुझे कलकत्ता के आय-कर कार्यालयों का अनुभव है। यह सभी भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। सभी बड़े बड़े व्यापारी आय-कर पदाधिकारियों पर अपना प्रभाव डाल कर आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय को कोई ऐसी कार्रवाही करनी चाहिये जिस से आय-कर कार्यालयों से भ्रष्टाचार दूर हो जाये।

हम ने इनामी बौंड चालू कर के बहुत सा दबा हुआ धन बाहर निकलवाया। मेरा सुझाव है कि हमें सोने के बौंड चालू करने चाहियें जिस के अनुसार एक निश्चित अवधि में मालिक अपना सोना वापस ले सकें। मैं समझता हूं कि इस से हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो सकता है।

अब मैं आय-व्ययक उपबन्धों तथा उन के व्यय न किये जाने के बारे में कुछ कहूंगा। प्रत्येक वर्ष सरकार आय-व्ययक में उपबन्धित धनराशि को व्यय नहीं कर पाती है क्योंकि मांग स्वीकृत हो जाने के बाद योजनायें बनाई जाती हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को मांग की स्वीकृति से पहले ही योजनायें बना लेनी चाहियें जिस से धन व्यय होने से बच न जाये।

राज्यों ने यह भी शिकायत की है उन को वित्तीय वर्ष के अन्त में केन्द्र से धन मिल जाता है और इस कारण उन के लिये उस को व्यय करना बड़ा कठिन हो जाता है। जिस को उन्हें वापस देना पड़ता है। इसलिये योजनायें बना लेने के बाद निधियों का आवंटन किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं फिल्म शुल्क के बारे में यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के लगभग ८० प्रतिशत फिल्म उत्पादक साधारण व्यक्ति हैं तथा ऋण आदि ले कर फिल्म बनाते हैं। इसलिये मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस उद्योग का विकास होने में कोई बाधा न डालें।

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२१	१६५५	श्री प्रभात कार	विदेशी पूंजी के बारे में नीति ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
२१	१६५६	श्री प्रभात कार	विदेशों में लाभ प्रत्यावर्त्तन के बारे में नीति ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
२१	४५१	श्री नौशीर भरूचा	मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	४५२	श्री नौशीर भरूचा	रुपये के विनिमय मूल्य का ह्रास रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	४५३	श्री नौशीर भरूचा	राजहुंडियों को जारी करने तथा उन को दीर्घकालीन ऋण में सम्मिलित करने की नीति ।	१०० रुपये
२१	४५४	श्री नौशीर भरूचा	दूसरी योजना में घाटे की अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी नीति ।	१०० रुपये
२१	१६५७	श्री प्रभात कार	कर अपवंचकों को दण्ड देने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१६५८	श्री प्रभात कार	कर अपवंचन रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१६५९	श्री प्रभात कार	आय कर विभाग का पुनर्गठन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६६०	श्री प्रभात कार	कर नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६६१	श्री प्रभात कार	प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति ।	१०० रुपये
२१	१६६२	श्री प्रभात कार	करों की बकाया राशि उगाहने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१६६३	श्री प्रभात कार	असैनिक व्यय में वृद्धि रोकने में असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	१६६४	श्री प्रभात कार	आयोजित आय-व्ययक बनाने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१६६५	श्री प्रभात कार	सामान्य बीमा समवायों को बन्द होने से रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१६६६	श्री प्रभात कार	सामान्य बीमा समवायों पर कठोर नियंत्रण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६६७	श्री प्रभात कार	सामान्य बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६६८	श्री प्रभात कार	बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६९५	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६९६	श्री प्रभात कार	मकान निर्माण ऋण देने के बारे में जीवन बीमा निगम की नीति ।	१०० रुपये
२१	१६९७	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीतियां	१०० रुपये
२१	१६९८	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में अधिक धन विनियोजित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१६९९	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम की जनता पालिसी का प्रचार करने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	१७००	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान करने के बारे में उचित प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१७०१	श्री प्रभात कार	बैंकिंग संस्थाओं के कार्यवहन पर रिजर्व बैंक के कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१७०२	श्री प्रभात कार	बैंकों द्वारा दिये गये ऋण पर रिजर्व बैंक द्वारा उचित नियन्त्रण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	१७०३	श्री प्रभात कार	बैंकों द्वारा सभी प्रकार के अग्रिम धनों पर रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	१७०४	श्री प्रभात कार	खाद्यान्नों पर बैंकों द्वारा अग्रिम धन दिये जाने को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७०५	श्री प्रभात कार	सपकारी क्षेत्र में बैंकिंग व्यवसाय के लाभ का उपयोग करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७०६	श्री प्रभात कार	मूल्यों की बढ़ोत्तरी रोकने में असफलता	१०० रुपये
२१	१७७२	श्री आसर]	जीवन बीमा निगम में बोगस बीमा कार्यों पर नियंत्रण की आवब श्यकता	१०० रुपये
२१	१७७३	श्री आसर	जीवन बीमा निगम द्वारा जनता पालिसी का प्रचार करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२१	१७७४	श्री आसर	खाद्यान्नों पर बैंकों द्वारा अग्रिम धन देने को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२१	१७७५	श्री आसर	मूल्यों की बढ़ोत्तरी रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७७६	श्री आसर	कर अपवंचकों को कठोर सजा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७७७	श्री आसर	कर अपवंचन रोकने में असफलता	१०० रुपये
२१	१७७८	श्री आसर	प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७७९	श्री आसर	करों की बकाया रकम वसूल करने में असफलता	१०० रुपये
२१	१७८०	श्री आसर	असैनिक व्यय में बढोत्तरी रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७८१	श्री आसर	आय-कर विभाग का पुनर्गठन करने में असफलता	१०० रुपये
२१	१७८२	श्री तंगामणि	जीवन बीमा निगम वनियोजन बोर्ड से पदत्याग	१०० रुपये
२१	१७८३	श्री तंगामणि	जीवन बीमा निगम के विनियोजनों में अनियमितायें	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	१७८४	श्री तंगामणि	जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७८५	श्री तंगामणि	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान	१०० रुपये
२१	१७८६	श्री तंगामणि	जीवन बीमा निगम के एजेन्टों का एजेन्सी कमीशन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७८७	श्री तंगामणि	जीवन बीमा निगम के एजेण्टों के लिये भविष्य निधि योजना आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७८८	श्री तंगामणि	जीवन बीमा निगम के एजेण्टों को मकान बनाने के लिये ब्याज-रहित ऋण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	१७८९	श्री तंगामणि	मदुरै डिवीजन के जीवन बीमा निगम के एजेण्टों की मांगें	१०० रुपये
२१	१८२३	श्री आसर	विदेशी ऋणों के बारे में नीति	१०० रुपये
२२	१८२४	श्री आसर	सीमा शुल्क विभाग में अनियमितताओं को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२२	१८२५	श्री आसर	सोने तथा घड़ियों के चोरी छिपे व्यापार को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२२	१८२६	श्री आसर	गोआ की सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों के साथ सीमा शुल्क पदाधिकारियों का व्यवहार	१०० रुपये
२२	१८२७	श्री आसर	विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के साथ सीमा शुल्क पदाधिकारियों का व्यवहार	१०० रुपये
३२	१८३०	श्री तंगामणि	भारतीय लोक प्रशासन संस्था को अनुदान	राशि में से १०,००,००० रु० कम कर दिये जायें

१	२	३	४	५
३२	१३७८	श्री तंगामणि	. भारतीय लोक प्रशासन संस्था को दी गई सहायता	१०० रुपये
३२	१३७९	श्री तंगामणि	. लोक प्रशासन संस्था के कार्य .	१०० रुपये
३२	१३८०	श्री तंगामणि	. लोक प्रशासन संस्था को दी गई सहायता में से इमारतों पर व्यय	१०० रुपये
३२	१३८१	श्री तंगामणि	. वित्त मन्त्रालय द्वारा लोक प्रशासन संस्था जैसी संस्थाओं को सहायता देने की अवांछनीयता	१०० रुपये
३२	१३८२	श्री तंगामणि	. लोक प्रशासन संस्था के समान सहायता प्राप्त संस्थाओं पर उचित नियन्त्रण की आवश्यकता	१०० रुपये
३५	१८२८	श्री आसर .	पाकिस्तान से विभाजन-पूर्व की बकाया राशियां लेने में असफलता	१०० रुपये

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०/२७ चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६०

२५ चैत्र, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	५३५७—८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४८१	आयुध कारखानों में इस्पात का उत्पादन . .	५३५७-५८
१४८२	कोयला खानों का मिलाया जाना	५३५९—६०
१४८३	टैगोर शताब्दी . .	५३६१—६३
१४८४	संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन	५३६३—६६
१४८६	चांदनी चौक में स्मारक . .	५३६६—६७
१४८७	आर्थिक विकास के लिये विशेष संयुक्त राष्ट्र निधि	५३६७—६९
१४९०	आन्ध्र प्रदेश का आदिम जातीय वित्त निगम	५३६९—७०
१४९१	आन्ध्र प्रदेश में हीरों के निक्षेप .	५३७०—७२
१४९२	जनसंख्या सर्वेक्षण	५३७२
१४९३	प्रतिरक्षा मुख्यालय सेवा .	५३७३—७५
१४९४	कोर्ट मार्शल . .	५३७५—७७
१४९६	नहर कटिया में अशोधित तेल पर कर .	५३७७—७८
१४९७	कुलू में चांदी की खानें . .	५३७८—७९
१५००	जंगपुरा (दिल्ली) में एक लड़की की मृत्यु . .	५३७९—८०
१५०१	वाराणसी के निकट ध्वस्त हवाई जहाज में सोने और बहुमूल्य रत्नों का पाया जाना	५३८०—८१
१५०५	कुतुब मीनार को आलोकित करना .	५३८१—८२
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	५३८२—५४२०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१४८५	मनीपुर में लामफेलपट क्षेत्र . .	५३८२—८३
१४८८	भारतीय वायुसेना का सिगनल केन्द्र, गुड़गांव .	५३८३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्र.न संख्या

१४८९	औषधियों में काम आने वाले पौधे .	५३८३–८४
१४९५	बैंक ऋण नियन्त्रण . .	५३८४
१४९८	दिल्ली के गैर-सरकारी स्कूल	५३८४–८५
१४९९	सामान्य सैनिकों के लिये कालेज	५३८५
१५०२	इस्पात का मूल्य . . .	५३८६
१५०३	मनीपुर और त्रिपुरा में प्रशासकीय व्यवस्था का पुनर्गठन .	५३८६
१५०४	पश्चिमी बंगाल में कोयला	५३८६–८७
१५०६	अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान .	५३८७
१५०७	भारतीय पौधों के चित्र .	५३८७–८८
१५०८	पश्चिमी जर्मनी से ऋण . .	५३८८–८९
१५०९	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	५३८९
१५१०	राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा कारों का बेचा जाना .	५३८९–९०
:५११	रूस के भौमिकी और खनिज संसाधन मंत्री की भारत यात्रा	५३९०
.५१२	भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन	५३९०–९१
१५१३	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये ब्रिटिश बैंकों द्वारा ऋण	५३९१
१५१४	सीरिया के निकट भारतीय विमान बल के हावई जहाज का दुर्घटना-ग्रस्त हो जाना	५३९१–९२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०८१	पंजाब में खेल के मैदान .	५३९२
२०८२	नई दिल्ली का हुमायूं का मकबरा . .	५३९२
२०८३	पंजाब की शैक्षणिक सस्थाओं को अनुदान .	५३९३
२०८४	राजकीय उत्सवों के लिये निमन्त्रण पत्र	५३९३
२०८५	संगीत नाटक अकादमी का आन्ध्र प्रदेश को अनुदान	५३९३–९४
२०८६	उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा के लिये धन .	५३९४–९५
२०८७	जालसाजी निरोधी दस्ता	५३९५
२०८८	दिल्ली नगर निगम .	५३९५
२०८९	आन्ध्र प्रदेश में सांस्कृतिक केन्द्र	५३९५–९६
२०९०	"एम० वी० अन्दमान" .	५३९६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०९१	"एम० वी० अन्दमान" तथा "एम० वी० निकोबार"	५३९६–९७
२०९२	विदेशियों का भारत में नियत अवधि से अधिक ठहरना	५३९७
२०९३	नेफा और त्वेनसांग क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा	५३९७–९८
२०९४	राकफेलर अनुदान	५३९८
२०९५	अम्बाला छावनी में खेल के मैदान	५३९८
२०९६	राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति योजना	५३९८–९९
२०९७	टैगोर की प्रतिमा	५३९९
२०९८	"गोदान" का अनुवाद	५३९९
२०९९	साहित्य सेवियों को सहायता	५३९९
२१००	मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान	५४००
२१०१	आन्ध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक	५४००
२१०२	आन्ध्र प्रदेश के स्कूलों में खेल कूद	५४००
२१०३	उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय ऋण	५४००-०१
२१०४	अमृतसर जिले में सोने का तस्कर व्यापार	५४०१
२१०५	एम० ई० एस० में ठेके की पद्धति	५४०१–०२
२१०६	उड़िया नाटक	५४०२
२१०७	इस्पात का स्फटीयन	५४०२–०३
२१०८	विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में तालमेल	५४०३
२१०९	आगरे का किला	५४०३
२११०	उड़ीसा में संग्रहालय	५४०३–०४
२१११	उड़ीसा राज्य संग्रहालय, भुवनेश्वर	५४०४
२११२	हिमाचल प्रदेश में भवनों का निर्माण	५४०४
२११३	अल्प बचत योजना	५४०५
२११४	बैरकपुर में एम० ई० एस० के कर्मचारी	५४०५
२११५	गैर-कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति	५४०६
२११६	हिमाचल प्रदेश में भवन-निर्माण	५४०६
२११७	दक्षिण कलकत्ता में उपचुनाव	५४०६–०७
२११८	अन्तर्देशीय जल परिवहन, अन्दमान	५४०७

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२११९	अन्दमान में भूमि का पुनः बन्दोबस्त .	५४०७–०८
२१२०	समाज कल्याण केन्द्र	५४०८
२१२१	१९६१ की जनगणना	५४०८–०९
२१२२	दक्षिण भारतीय भाषायें	५४०९
२१२३	हिन्दी विभाग . .	५४१०
२१२४	शराब के लिये अखिल भारतीय परमिट .	५४१०
२१२५	उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपीलें	५४१०
२१२६	हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण सस्थायें .	५४१०–११
२१२७	पटना के आय कर अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्रों का दिया जाना	५४११–१२
२१२८	उदार किये गये पेंशन सम्बन्धी नियम	५४१२
२१२९	प्रतिरक्षा अनुसंधान कार्यक्रम	५४१२–१३
२१३०	सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियां . . .	५३१३
२१३१	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के लिये गृह-निर्माण योजना	५४१३
२१३२	बीजापुर की 'गोल गुम्मट'	५४१४
२१३३	इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड गोहाटी	५४१४
२१३४	राज्यों के विधि मंत्रियों का सम्मेलन . .	५४१४–१५
२१३५	आयकर से छूट . .	५४१५
२१३६	तम्बाकू की खेती . .	५४१५
२१३७	संगीत नाटक अकादमी को अनुदान . .	५४१६
२१३८	दिल्ली पुलिस . .	५४१६
२१३९	वर्ग ३ और वर्ग ४ के पद . . .	५४१६–१७
२१४०	चीनी राष्ट्रजनों को प्रदान की गयी भारतीय नागरिकता .	५४१७
२१४१	विदेशी छात्रों के लिये हिन्दी छात्रवृत्तियां	५४१७
२१४२	त्रिपुरा में पंचायतें . .	५४१७–१८
२१४३	त्रिपुरा में हाई स्कूल .	५४१८
२१४४	दिल्ली में विस्फोट .	५५१८–१९
२१४५	चाय समवायों के लाभ	५४१९
२१४६	दिल्ली की सेण्ट्रल जेल	५४१९
२१४७	झांसी में चांदमारी अभ्यास	५४१९–२०

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४२०

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियन्त्रण) आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८१४ की एक प्रति।

(२) पुनर्वास मन्त्रालय--पश्चिमी खण्ड के बारे में नवास्सीवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन-उपस्थापित . . . . ५४२०.

नवासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित . ५४२१

बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६० सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें ५४२१--७६

(१) निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०/२७ चैत्र, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि

वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।

GMGIPND—303 (Ai) LSD—LS III—2-6-60—135